लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

Preservation Unit
Fumigated 28-8-91
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 48 म अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5 — शुक्रवार, 21 फरवरी 1975/2 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 5—*Friday*, *February* 21, 1975/*Phalguna* 2, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
61	तस्कर-विरोधी अभियान का मूल्यों पर प्रभाव	Impact of Anti-Smuggling Drive on Prices	1–4
62	आसुंका/विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी-गतिविधियों निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तस्कर	Smugglers Arrested under MISA/COFEPOSA . . .	5–8
63	थोक मूल्य सूचकांक	Wholesale Price Index . .	8–11
64	राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdrafts by States . .	11–12

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या० *S. Q. Nos.			
65	बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raid by Income-tax Authorities in Bombay . . .	13
66	भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए उपाय	Steps taken to Improve India's Economy . . .	14
67	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण	Amount of Loans Advanced by Nationalised Banks . .	14–15
68	नाइलोन के धागे (यार्न) का आयात करने के लिए भगवान दास सन्त प्रकाश को प्राधिकार पत्र जारी करना	Letter of Authority to Bhagwandas Sant Prakash for Importing Nylon Yarn . .	15
69	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D.A. to Central Government Employees . . .	16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1–2 LSS/75

*तारा० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
70	तस्कर विरोधी अभियान में ढील	Slackness in Anti-Smuggling Drive	16–17
71	पोलैंड को कालीनों का निर्यात	Export of Carpets to Poland .	17
72	पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Jute Workers of West Bengal	17–18
73	राज्य व्यापार निगम के पास आयातित माल का जमा होना	Accumulation of Imported Material with S.T.C. ..	18
74	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात तथा निर्यात	Exports and Imports during the current Year . .	18–19
75	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विकास छूट के लिए प्रावधान	Provisions for Development rebate under Income Tax Act	19–20
76	कपड़े का निर्यात कोटा	Textile Export Quota . .	20
77	तस्करी रोकने वाली नौकायें	Anti-Smuggling Boats . .	20–21
78	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron-Ore . .	21
79	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	22
80	इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया के इलक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल विभागों में प्रशिक्षार्थी	Trainees in Electrical and Mechanical Sections of Indian Airlines and Air India . .	22–23

अ० तारा० प्र० संख्या०
U. Q. Nos.

601	तस्करी के माल की खरीद	Purchase of Smuggled Goods .	23
602	एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा डिप्टी कन्ट्रोलर आफ डिफेंस अकाउन्टस (भारतीय नौसेना) की छुरे मारकर हत्या	Stabbing to death of the Deputy Controller of Defence Accounts (Indian Navy) by an Ex-employee . . .	23
603	भारतीय रुई निगम के कार्यालय में एक फाइल का गुम हो जाना	Disappearance of a File in the Office of Cotton Corporation of India . . .	23
604	भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों द्वारा मांगे गये ऊपरी खर्च की धन राशि	Amount of Overhead Charges Claimed by Foreign Banks Operating in India . .	24
605	जीवन निर्वाह सूचकांक	Cost of Living Index . .	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
606	पटियाला के समीप 'पुष्पक' विमान की दुर्घटना	Crash of Pushpak Aircraft near Patiala . . .	24–25
608	कनोई समूह की कम्पनियों के नियंत्रणाधीन टी वेयरहाउस द्वारा केन्द्रीय करों का अपवंचन	Evasion of Central Taxes by Tea Warehouse under Kanoi Group of Companies . .	25
609	लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की नई दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Iron Ore Exporting countries held in New Delhi	25–26
610	दार्जिलिंग और डीघा, का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Darjeeling and Digha as Tourist Resorts .	26
611	विमान दुर्घटना में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की मृत्यु	Air Crash Involving Officers of Madhya Pradesh Government.	26
612	पेन्ट का निर्यात और पोलिस्टर चिप्स का आयात	Export of Paints and Import of Polyester Chips . . .	26–27
613	विश्व बाजार में मन्दी और उसका भारतीय व्यापार पर प्रभाव	Recession in World Market and its Impact on Indian Trade	27
614	पटसन कर्मचारियों की हड़ताल में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप	Intervention of Central Government in Jute Workers' Strike	28
615	आर्थिक संकट-ग्रस्त देशों को अमरीकी सहायता	U.S. Assistance for Countries affected by Economic Crisis	28
616	सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Soviet Union . . .	28–29
617	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर के अधिग्रहण का निर्णय	Decision to take over Laxmi Rattan Cotton Mills, Kanpur .	29
618	कोचिन स्थित असैनिक हवाई अडडा	Civil Aerodrome at Cochin .	29
619	ग्रामीण विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Credit from International Development Association for Rural Development . . .	29–30
620	पतन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	Ports and Dock Workers' Strike	31
621	स्वर्ण के अधिकृत मूल्य को समाप्त करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रस्ताव	I.M.F'.s. proposal to abolish official price of gold . .	31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
622	विदेशी ऋण भुगतान सम्बन्धी कार्य-क्रम को पुनः बनाना	Re-scheduling of Foreign Debt	31
623	नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन करने के लिए मिलों पर दायित्व	Obligation on Mills to produce controlled cloth . . .	32
624	अभ्रक के निर्यात के बारे में सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार-वार्ता	Trade Negotiation with U.S.S.R. and Czechoslovakia regarding export of Mica . . .	32
625	जनता को काफी के पाउडर की बिक्री	Sale of Coffee Powder to the Public	32
626	ऋण नीति	Credit Policy .	33
627	सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों के समक्ष कार्यकारी निधि की कमी	Shortage of working funds faced by Public and Private Sector Undertakings . . .	33–34
628	राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा राज्यों की लघु एककों को दी गई सहायता	Aid from Nationalised Banks to Small Scale Units in States .	34
629	आर्थिक अपराधों के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for Economic Offences	35
630	निर्यात ऋण के बारे मे उच्च स्तरीय स्थायी समिति	High Level Standing Committee on Export Credit . .	35–36
631	निषिद्ध वस्तओं का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Goods .	36
632	पाली स्थित आयकर विभाग के कर्म-चारियों के लिए सरकारी आवास	Government Accommodation for Employees of Income Tax Department in Pali . ..	36
633	जबलपुर के निकट बनाया गया हेलीपड	Helipads Bilt in the Vicinity of Jabalpur	36
634	लेखापरीक्षा तथा लेखाविभाग मे बर-खास्त किये गये, नौकरी से हटाये गये, और सेवा समाप्त किया गये कमचारी	Employees Dismissed, Removed and Terminated from Service in Audit and Accounts Department	37
635	धनराशियों को जुटाने के बारे में गैर-बैंकिंग कम्पनिया दवारा किये गये कदाचार/धोखाधड़ी.	Malpractics/Frauds committed by Non-Banking Companies in regard to Collection of Deposits	37–38
636	भारतीय रुई निगम को रुई सौदे से हुई विदेशी मुद्रा को हानि	Cotton Corporation of India's Exchange Loss on mysterious Cotton Deal . . .	38
637	विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank	38–39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
638	यरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता	Assistance from European Economic Community . .	39
639	आयकर की बकाया राशिकी वसूली	Recovery of Arrears of Income Tax	39-40
640	ऋण प्रतिबन्धों से उद्योगों को छूट देने के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Govenment of Kerala to exempt Industries from Credit Restrictions .	40
641	शत्रु सम्पत्तियों के लिये अनुग्रह पूर्वक मुआवजा	Ex-Gratia Compensations for Enemy Properties . .	41-42
642	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U.K. . .	42
643	विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Foreign Concerns . .	42
644	अमरीकी सहायता के बारे में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत का वक्तव्य	Former U.S. Ambassador's Statement on American Aid .	43
645	कर्नाटक में 'बांदीपुर गेम सेंक्चुएरी' का विकास	Development of Bandipur Game Sanctuary in Karnataka .	43
646	तस्करी विरोधी अभियान में गिरफ्तार किये गये तस्करों की रिहाई	Release of Smugglers Arrested during Anti-Smuggling Drive	43-44
647	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles .	44
648	पाकिस्तान से कपास का आयात	Import of Cotton from Pakistan	44
649	नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन	Production of Controlled Cloth	45
650	पटसन श्रमिकों को देय महंगाई भत्ता	Dearness Allowance dues to Jute Workers	45
651	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन अवकाश	Lunch Recess to workers in Security Paper Mills, Hoshangabad. . . .	45
652	भारत-अमरीका आयोग और अमरीकी सहायता	Indo-U.S. Commission and U.S. Aid	45-46
653	भारत में ऊनीं वस्त्रों का उत्पादन	Production of Woollens in India	46
654	पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के लघु उदयोगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan offered by S.B.I. and Nationalised Banks for Development of Small Scale Industries in West Bengal, Bihar, Tripura, Meghalaya and Assam	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
655	पेंशन भोगियों को तदर्थ वृद्धि देना	Grant of Ad-hoc Increase to Pensioners . . .	46–47
656	पाकिस्तान द्वारा भारत को रूई की बिक्री	Sale of Cotton to India by Pakistan	47
657	कपड़ा मिलों द्वारा घटिया किस्म के कपड़े का उत्पादन	Production of poor Quality of Cloth by Textile Mills .	47
658	मछली नौकाओं का आयात	Import of Trawlers . .	47–48
659	इस्पात व्यापारियों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे	Raid by Income-tax Authorities on Steel Dealers . .	48–49
660	वित्तीय संस्थानों में धन का अभाव	Shortage of Funds in Financial Institutions . . .	49
661	बैंकिग विभाग को समाप्त करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by R.B.I. in regard to winding up of the Department of Banking . .	50
662	मैसर्स जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी, मैसर्स जीवन फूडस बम्बई फैक्टरी, हैदराबाद तथा अन्य कम्पनियों द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं	Commodities Exported by M/s. J.B. Mangharam & Company, M/s. Jiwan Foods, Bombay Factory in Hyderabad and others	50
663	पूर्वी क्षेत्र में विमान द्वारा माल की ढुलाई को प्रोत्साहन देने की योजना	Plan to promote Air Cargo Traffic in Eastern Region .	50–51
664	संकटग्रस्त चाय बागान	Sick Tea Estates .	51–52
665	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई साईजिंग मशीनें	Sizing Machines Imported by S.T.C.	52
666	संकट-ग्रस्त पटसन मिलें	Sick Jute Mills	52
667	बैंकों को निर्यात ऋण के लिये पुर्नवित की शर्तें उदार बनाना	Liberalisation of the terms of refinance for Export Credit to Banks . . .	52–53
668	तस्करों के विरूद्ध कारगर अभियान चलाने के लिये संगठनात्मक परिवर्तन	Organisational Changes for effective drive against smugglers	53
669	विदेशी बैंकों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Foreign Banks	54
670	गोविन्द सागर झील (हिमाचल प्रदेश) के लिए मोटर नौकाएं	Motor launches for Gobind Sagar Lake (Himachal Pradesh) .	54–55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
671	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाए खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh	55–56
672	आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences	56
673	आय-कर अधिकारियों द्वारा टेलिविजन और वातानुकूलक व्यापारियों को क्रेताओं की सूची प्रस्तुत करने का निदेश	Directive by Income Tax Authorities to Television and Air-Conditioner dealers to provide List of purchasers	56–57
674	तस्कर-नौका को पकड़ने के लिए पनडुब्बी का उपयोग	Use of Sub-Marine for capturing smuggler's boat	57
675	विदेशों में भारतीय पयटन विकास निगम के कार्यालय	I.T.D.C. Offices in Foreign countries	57
676	बिहार में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees and Officers of L. I.C. in Bihar	57–58
677	अभ्रक की सप्लाई के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आदेशों का दिया जाना	Orders placed on M.M.T.C. for supply of Mica	58
678	फिल्म स्टारों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax Against Film Stars	59
679	रात्रि उड़ानों के कार्यक्रमों को पुनरीक्षित करने की योजना	Plan to re-schedule night flights	59
680	औदयोगिक आयात के लिए विश्व बैंक ऋण	World Bank Credits for Industrial Import	59–60
681	तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों का पुनः जोर पकड़ना	Revival of smuggling activities	60
682	निर्यात के लिये उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedures governing production for exports	60–61
683	कृषि के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय में दिया गया ऋण	Loan advanced by S.B.I. in West Bengal, Assam, Tripura, Manipur and Meghalaya for Agriculture	61–62
684	पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मनीपुर, बिहार तथा मेघालय में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan disbursed by Nationalised Banks in West Bengal, Assam Tripura, Nagaland Manipur, Bihar and Meghalaya	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
685	भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं और लौह अयस्क का पाकिस्तान को निर्यात	Export of Indian Engineering goods and iron ore to Pakistan . .	63
686	चाय बागानों से बकाया उत्पादन शुल्क की वसूली	Recovery of arrears of Excise Duty from Tea Estates	63
687	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नया प्रशिक्षण कार्यक्रम	New Training programme by Industrial Finance Corporation	63–64
688	सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide lines for jobs to local people in public sector undertakings	64–65
689	शिलांग का पर्यटण स्थल के रूप में विकास	Development of Shillong as a Tourist Resort . . .	65
690	शाहदरा में जाली सिक्कों की टाकसाल	Fake coin mint in Shahdara	65
691	पटसन से बनी वस्तुओं का अनुमानित मूल्य	Average value of Jute goods production . . .	65–66
692	पटसन कर्मचारियों की मांगे	Demands of Jute Workers	66–67
693	भारत द्वारा अमरीका को इस्पात की तैयार वस्तुओं का निर्यात	Export of Finished, Steel Products by India to U.S.A.	67
694	आयातित कच्चे काजू के बितरण के बारे में केरल उच्च-न्यायालय का निर्णय	Judgment of Kerala High Court Regarding distribution of imported raw cashewnuts. .	67–68
695	कन्नानौर, केरल के हथकरघा उद्योग की विभिन्न यूनियनों की मांगे	Demands of the various Unions of Handloom Industry in Cannanore, Kerala . . .	68–71
696	छापों के दौरान बरामद काला धन और सोना	Black Money and Gold Seized during Raids . . .	71–72
697	पश्चिम यूरोपीय देशों को लौह-अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron ore to West European Countries . . .	72
698	निर्यात के लिए ऊनी कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजनायें	Projects of strengthen Production of Woollen for Exports .	72
699	तस्करों की सम्पति पर कर लगाना	Imposition of Tax on Properties of Smugglers . . .	73
700	उत्पादन शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध	Restriction on Excisable Goods	73
701	निर्यात के लिए अधिक वित्त की उपलब्धता	Finance for Exports. . .	74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
702	पिछड़े राज्यों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार की गई योजनाए	Schemes drawn by L.I.C. for Backward States . .	74-75
704	वर्ष 1973-74 में भारत आये पर्यटक	Tourists Visited India during 1973-74	75
705	शल्य उपकरणों के आयात के लिएं लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences for the Import of Surgical Instruments .	75-76
706	भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरुद्ध आरोप	Charges against the Firm of Bhagwan Das Sant Prakash	76
707	भगवानदास संतप्रकाश के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष	Findings of C.B.I. inquiry against Bhagwandas Sant Prakash	76-77
708	भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत	Reserve Bank of India' Camplaint aginst the firm Bhagwandas Sant Prakash . .	77
709	सी०डी०ए० पतना की पूर्वि कमान में अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए अवधि	Tenure for trasnfers of section officers in Eastern Command of C.D.A. Patna . . .	77-78
710	सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV employees working in the Office of C.D.A. Patna	78
711	रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय, पटना के लिए भवन का निर्माण	Construction of building of C.D.A. Patna	78-79
712	भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Soviet Union . .	79
713	चीनी मिल मालिकों द्वारा आयकर भुगतान	Payment of Income tax by owners of Sugar mills . . .	79
714	कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Calcutta Metropolitan Development Authority . .	80
715	पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कार्यवाही	Steps to encourage tourists to Eastern Region . .	80-81
716	लघु क्षेत्र के उद्योग के लिये निर्यात गृह	Export House in Small scale Sector	81-82
717	भारत और अमरिका के बीच संयुक्त व्यापार परिषद	Joint business council between India and U.S.A. . .	82
718	भारत-आस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त उद्यम	Joint venture between India and Australia . . .	82-83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
719	भारत में बनी घरेलू वस्तुओं के लिये पोलैंड से क्रयादेश	Orders from Poland for Indian household goods . . .	83
720	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide line under section 28 of Foreign Exchange Regulation Act	83
721	आगरा-मथुरा क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र समूह	Tourist Complex in Agra-Mathura belt . . .	83–84
722	जनता से कम्पनियों द्वारा बिना जमानत दिये गये ऋण	Drawing of unsecured loans by companies from public .	84–85
723	ऊनी कपड़ों का निर्यात और बढ़ाने के लिये देश में खपत कम करना	Reduction in Home Consumption for generating further Exports of Woollen . . .	85
724	भारत और पाकिस्तान के बीच ऊपरी हवाई उड़ाने पुन: आरंभ करना	Resumption of over flights between India and Pakistan .	85–86
725	यू० के० से वित्तीय सहायता	Financial assistance from U.K.	86
726	प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए विदेशी पूंजी	Foreign capital for exploitation of natural resources . .	86–87
727	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक	Meeting of International Monetary Fund . . .	87
728	कोवलम (केरल) में पर्यटक सुविधाएं	Tourist facilities at Kovalam (Kerala) . . .	87–88
729	हीरे, मोति तथा कीमती पत्थरों का निर्यात	Export of diamonds pearls and precious stones . . .	88
730	पाकिस्तान से आयात की जाने वाली रुई पर शुल्क	Duty on cotton imported from Pakistan . . .	88
731	तस्करी गुप्तचर सेल का पुनर्गठन	Overhauling of smuggling intelligence cell . . .	88–89
732	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता	Dearness Allowance due to Central Government Employees .	89
733	मुद्रास्फिति को रोकने के लिए कदम	Steps to check Inflation . .	90
734	बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के दौरान जब्त जवाहरात	Jewellery seized during raids in Bombay by Income Tax Authorities . . .	90
735	आयकर अधिकारियों द्वारा आगरा में छापे मारे जाना	Raids by Income Tax Authorities in Agra . . .	90–91
736	भारत का विदेशी मुद्रा रज र्व	India's Foreign Exchange Reserves . . .	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
737	पूंजी निवेश व्यय नीति	Investement Expenditure Policy	92
738	सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of ready made garments . . .	93
739	वर्ष 1974–75 के दौरान व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल होना	Trade deficit during 1974-75 .	93
740	भारत की विदेशी मुद्रा का रिजर्व	India's Foregin Exchange Reserves	94
741	कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्य में वृद्धि	Rise in the Prices of Cloth by Textile Mills . . .	95
742	भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग	Demand for Rise in D.A. by Employees of Government of India	95
743	भार-तईरान पूंजी नियोजन निगम की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up Indo Iranian Investement Corporation .	95–96
744	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि	Arrears of D.A. due to Central Government Employees .	96
745	कपरोलेक्टम के आवंटन के लिये अभ्यावेदन	Representation for allotment of Caprolactum . . .	96
746	एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike notice by Air Corporation Employees Union . .	96–97
748	देसाई वेतन आयोग द्वारा गुजरात सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Desai Pay Commission to Government of Gujarat . .	97
749	इण्डियन एयरलाइन्स के अलाभकर वायु मार्ग	Uneconomic Routes of Indian Airlines . . .	97
750	'पालियेस्टर चिप्स' का आयात	Import of Polyester Chips	98
751	नायलोन धागे के आयात के लिये टायर निर्माता कम्पनियों को दिये गये लाइसेंस	Licences given to Tyre Manufacturing concerns for import of Nylon Thread .	98–99
752	विदेशी कम्पनियों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना	Grant of COB licences to Foreign Companies . . .	99–100
753	नई परियोजनाओं को ऋण सहायता देने हेतु सांविधिक ऋणदाता संस्थाओं को प्राथमिकता	Priorities for the term lending Institutions for loan assistance to new projects . . .	100
754	सरकारी एजेन्सियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जमा राशियों का गैर बैंकिंग कम्पनियों को दिया जाना	Diversion of deposits from Government Agencies and Nationalised Banks to Non-Banking Companies . . .	100–101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
755	बांगलादेश के राष्ट्रिकों को भारतीय मुद्रा जारी करना	Releasing of Indian Currency to Nationals of Bangladesh .	101
756	देश में बैंकों में जमा होने वाली धनराशि में कमी होना।	Fall in bank deposit growth in the Country	101–102
757	भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व	India's Foreign Exchange reserves	102
758	विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ हुई बातचीत	Subjects discussed with World Bank President . . .	102–103
759	'हालिडे इन इंकारपोरेटिड' द्वारा होटलों का निर्माण	Construction of Hotels by holiday INNS INC. . .	103
760	विशिष्ट तेल सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण	Credit from I.M.F. under special oil facility	103
761	बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against customs officials in Bombay . .	104
762	तस्कर-विरोधी अभियान	Anti-smuggling operation .	104
763	अमरीका से इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोईंग जेट विमानों की खरीद	Purchase of Boeing Jets by Indian Airlines from United States	104–105
764	इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign tours by officers of Indian Airlines . . .	105
765	वर्ष 1974 के दौरान चाय का निर्यात	Export of tea during 1974	105
766	भारत का विदेशी कर्जा	India's foreign debt. .	106–107
767	पर्यटक स्थानों पर भिखारी	Beggars at Tourist spots .	107
768	काफी बोर्ड द्वारा वाहनों का प्रयोग	Development of vehicle by Coffee Board	107–108
769	तस्करों और राजस्व आसूचना निदेशक के बीच कथित विवाद	Alleged disputes between smugglers and Director of Revenue Intelligence	108
770	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानन ईंधन का उठाया जाना	Lifting of aviation fuel by Indian Airlines	108–109
771	कपड़े की कीमतों में वृद्धि करने संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने के लिए कपड़ा उद्योग को चेतावनी	Warning to Textile Industry for reviewing its policy towards rise in the price of cloth .	109
772	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम की क्रियान्विति हेतु राज्यों को मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त	Guide lines to States for implementation of Conservation of Foreign Excahange and Prevention of Smuggling Activities Act	109

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
773	मैसर्स मर्करी ट्रेवल्स (आई) लिमिटेड के कलकत्ता स्थित कार्यालय को बन्द करना	Closure of Calcutta Office of M/s. Mercury Travels(I) Ltd.	109–110
774	तस्करी रोकने के लिये स्पीड बोट्स (तेज चलने वाली नौकायें)	Speed Boats to Check Smuggling	110
775	भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौता	Trade agreement between India and Pakistan . .	110–111
776	भारत और जम्बिया के बीच सम्पन्न व्यापार समझौता	Trade agreement beteen India and Zambia . . .	111
777	हरियाणा में लघु बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशि	Deposits under Small Savings Scheme in Harayana . . .	111–112
778	राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों की कीमतों में कमी करने की अनुमति दिया जाना	Reduction in prices of drugs allowed by S.T.C. . . .	112
779	'एवियेशन टरबाइन फ्यूएल' के मूल्यो में कमी करने के लिये इंडियन एयर लाइन्स का अनुरोध	Request from Indian Airlines for reduction in price of Aviation Turbine Fuel . . .	112–113
780	आय कर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Income Tax Arrears	113–114
781	कोचीन में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Civil Aerodrome at Cochin . . .	114
782	वर्ष 1973–74 के दौरान महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on payment of D.A. during 1973-74	114
783	कालीकट के समीप करीपुर हवाई अड्डा	Karipur Aerodrom near Calicut	115
784	डीघा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक सुविधाओं का विकास	Development of tourist facilities at Digha (West Bengal) .	115
785	दिल्ली तथा कलकत्ता हवाई अड्डों का विकास	Development of Delhi and Calcutta Airports	116
787	पर्यटन विभाग द्वारा चलाये जा रहे होटल	Hotels run by Tourist Department	116–117
788	अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय चाय की मांग में कमी	Declining Trend of Indian Tea in International Market .	118

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
789	नायलान यार्न तथा धागे के आयात के लिए मैसर्स सत्तप्रकाश भगवानदास को प्राधिकार-पत्र देना	Grant of a letter of authority for import of nylon yarn and thread to M/s. Sant Prakash Bhagwandas . . .	118–119
790	तम्बाकू व्यापारियों द्वारा कर-अपवंचन	Tax evasion by Tobacco Dealers	119
791	रुपये का मूल्य	Value of Rupee . .	119–120
792	रात्रिकालीन विमान सेवाओं की समय सारिणी में परिवर्तन	Re-scheduling of night flights .	120
793	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा ऋण लिया जाना	Deposits raised by private companies.	120–121
794	दिल्ली के आसपास एक शुल्क पत्तन के लिए स्थान का चयन	Selection of a site for a Dry port around Delhi . .	121
795	सेक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में नैमित्तिक और केन्द्रीय पूल के श्रमिक	Casual and Central Pool Workers in Security Paper Mill in Hoshangabad . . .	121
796	जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of forged currency notes	121–122
797	सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी	Class I, II, III and IV Officers in S.P.M. Hoshangabad .	122
798	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में सुरक्षा की व्यवस्था	Security arrangements in S.P.M. Hoshangabad . . .	123
799	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा बैंकों, जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी	Payment of D.A. to Central Government Employees and Employees of Banks L.I.C. and Public Sector Undertakings	123
800	कम्पनियों द्वारा जमा राशियों के अन्य कामों में लगाये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints in regard to diversion of deposits by companies .	123–124
	श्री तुलमोहन राम, संसद सदस्य, के आचरण पर चर्चा के बारे में	*Re* Discussion on conduct of Shri Tulmohan Ram, M.P. .	125–129
	स्थगन प्रस्तावों के बारे में	*Re* Adjournment Motions .	129–130
	सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	131–133
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	133–134
	सभा का कार्य	Business of the House . .	134–137

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment) Bill—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने का समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee . . .	138
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report . . .	138
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
51वां प्रतिवेदन	Fifty-first Report	139
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
श्री रुद्रप्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	139–140
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	140–142
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	142
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members's Bills and Resolutions—	
50वां प्रतिवदन	Fiftieth Report . . .	142
विधेयक पुरस्थापित—	Bills introduced—	
1. इर्विन और विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली (नाम बदलना) विधेयक श्री राजदेव सिंह का	Irwin and Willingdon Hospitals, New Delhi (Re-naming) Bills by Shri Rajdeo Singh	142
2. विदेशी धन पर प्रतिबंध विधेयक श्री राजदेव सिंह का	Curb on Foreign Money Bill by Shri Rajdeo Singh .	142–143
3. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1975 (अष्टम अनुसूची का संशोधन) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर का—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment on Eighth Schdule) by Shri Purushottam Kokodkar . . .	143
4. दिल्ली नाट्य प्रदर्शन विधेयक श्री मधु लिमये का	Delhi Dramatic Performances Bill by Shri Madhu Limaye	143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री आर० पी० उलगनम्बी का—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles (324) by Shri R. P. Ulaganambi—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R.P. Ulangnambi .	144–147
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya .	147
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra .	147
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury .	147–148
श्री एस० ए० मुरुगन्गनन्तम	Shri S.M. Muruganantham	148–149
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R.S. Pandey .	149
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	150
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	150–151
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	151–152
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	152–154
श्री ईरा सेझियान	Shir Sezhiyan . .	154

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1975/2 फाल्गुन 1896 (शक)
Friday, February 21, 1975/Phalguna 2, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तस्कर-विरोधी अभियान का मूल्यों पर प्रभाव

*61. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर तस्करों की गिरफ्तारियों तथा इसका वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मूल्यों पर, विभिन्न तत्वों के प्रभाव पर सतत् निगरानी रखी जाती है। हाल ही में किये गये तस्करी विरोधी उपायों के कारण, जिनमें निवारक नजरबन्दी शामिल हैं, तस्करी के माल का आयात बहुत कम हो गया है ? बाजार में शराब, सिगरेट, घड़ियां और वस्त्र जैसी तस्करी की वस्तुएं बहुत कम हो गई हैं और बताया जाता है कि यदि वे बिक्री के लिये उपलब्ध भी हों तो उनके मूल्य बहुत बढ़ गये हैं।

सरकार द्वारा किये गये तस्करी-विरोधी उपायों तथा मुद्रास्फीति विरोधी उपायों का सामान्य मूल्य स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और उसमें कुछ गिरावट आई है।

(ग) तस्करी-विरोधी कार्यवाही को तेज करने के अलावा प्रशासनिक तथा विधायी प्रस्तावों जैसे अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई व्यापक कदम उठाए गए है और सामान्यत: आर्थिक अपराधों के विरुद्ध, विशेषकर तस्करों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या तस्करों द्वारा अनुचित ढंग से अर्जित धन बिना मुआवजा दिये जब्त कर लिया जाएगा ?

2--2 L S S/75

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक पूरी आर्थिक स्थिति का संबंध है, तस्करी–विरोधी कार्य-वाही आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने का एक उपाय है। यही एकमात्र उपाय नहीं है और यही बात मैंने मुख्य उत्तर में बताई है। इसके लिए अन्य आर्थिक और प्रशासनात्मक उपाय भी करने होंगे और कुछ उपाय तो किए भी जा रहे है। जहां तक तस्करी विरोधक उपायों का संबध है, वे पूरे जोर–शोर से चल रही है और देश के विभिन्न भागों में छापे मारे जा रहे है। तस्करी रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ठोस प्रयास जारी है। जहां तक तस्करी से जमा की गई संपत्ति का संबंध है, जैसा कि इस और दूसरे सदन में बताया जा चुका है, सरकार दूसरे वैधानिक पहलुओं पर विचार कर रही है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : सभी जानते हैं कि तस्करी चोरी छिपे की जाती है, और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है; मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसे सूत्र मिले हैं जिनसे पता चले कि तस्करी में लगे पक्षों को धन कहां से और कैसे मिलता है और की गई गिरफ्तारियों से तस्करगुटों के भारतीय पक्षों को कहां तक छिन्न–भिन्न करके उनकी गतिविधियों पर अंकुश रखा जा सका है ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने कोई उच्च शक्ति–प्राप्त समिति तस्करों के विरुद्ध अभियान जारी रखने के लिए बनाई है और इस समिति ने क्या सफलता प्राप्त की है ? क्या इस समिति ने तस्करी निरोधक कार्यों संबंधी कोई सुझाव किए है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक तस्करी विरोधक कार्यों के वर्तमान प्रभाव का संबंध है तस्करों के सम्पर्क तोड़ने में सफलता मिली है। कुछ प्रमुख तस्कर बन्दी हैं। जहां तक तस्करी के वित्तपोषण का संबंध है इसके अनेक तरीके है। कभी–कभी विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय इनका वित्तपोषण करते है। कभी – कभी तस्करी द्वारा यह धन उपलब्ध किया जाता है। तथापि जैसा कि मैंने बताया है, तस्करी निरोधक कार्यों से तस्करी द्वारा लाई गई वस्तुओं की उपलब्धता में कमी हुई है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ऐसी कोई समिति नहीं है। कोई सरकारी समिति यह कार्य कर रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know whethe: out of the document seized from the Delhi residence of Shri Anil Chopra, Customs Collector of Daman, whose death is a mystery, there are document revealing political connections of smugglers, connections of smugglers at the lower level of bureaucracy etc. If so whether Government have taken any action thereon ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ऐसे विशिष्ट प्रश्न के लिए तो मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Notice is required for this ? Daman is smugglers' paradise. The Custom Collector of Daman is killed mysteriously and all documents with him are seized. I had asked whether action was taken thereon.

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रकार के प्रश्न में आप किसी केस विशेष के बारे में ब्यौरा चाहते है। ऐसे केस तो सैकडों होंगे।

Shri Madhu Limaye : Whether it is not necessary for anti-smuggling drive ? Whether hundereds of Collectors have been killed? Kindly get me a reply.

अध्यक्ष महोदय : मरे साथ तर्क न कोजिए।

Shri Madhu Limaye : There is no question of arguing. I am on my rights.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री मधु लिमये : यह प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ के प्रति अशिष्ट है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मधु लिमये : आप तो प्रतिदिन हम से रुखाई से पेश आते है।

A Person is killed, all his documents are sized they are evasive and protecting Haribhai Tandel and Premabhai Tandel etc...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : हर रोज़ यही रवैया मत अपनाइये।

श्री मधु लिमये : आप मंत्री को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है। आप प्रतिदिन ऐसा न किया करें।

Shri Madhu Limaye : Facts are being concealed.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी विशिष्ट मामले में रुचि रखते हैं तो आप उसक लिए नोटिस दे सकते हैं परन्तु सामान्य प्रश्न में ऐसी जानकारी की अपेक्षा न करें।

डा० महीपत राय मेहता : जयपुर महल से बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया है। क्या उसके तस्करी का भी सोना था ? यदि हां तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 'मीसा' के अधीन सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न तस्करों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का मूल्यों पर प्रभाव के बारे में है अतः विशिष्ट मामलों संबधी किसी भी प्रश्न की आज्ञा मैं नहीं दे सकता। ऐसे प्रश्नों के लिए अलग नोटिस दिए जाएं।

डा० महीपत राय मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यहां तस्करों और उनकी वस्तुओं को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी और क्या पकड़ा गया सोना तस्करी का है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : तलाशी अभी जारी है। इस समय कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है

डा० महीपत राय मेहता : मैंने पूछा था कि क्या जो सोना मिला है वह तस्करी द्वारा लाया गया है या नहीं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मेरे विचार में यह प्रश्न संगत नहीं है और मैंने भी इस संबंध में केवल समाचारपत्रों में ही पढ़ा है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the impact of anti-smuggling drive on the prices of stainless steel, nylon cloth, Japanese watches and pens etc. which used to be smuggled into India from Nepal?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं उत्तर दे ही चुका हूं कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरुप, जिन में तस्करी विरोधी अभियान भी शामिल है, मूल्य कुछ सीमा तक गिरे है।

Shri Bibhuti Mishra : I had asked a specific question. If hon. Minister is unable to give reply now, he may collect information and give a reply later.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस समस्या के दो पहलू है। एक तो यह कि मूल्यों का तस्करी की वस्तुओं पर तथा दूसरे देश में बनने वाली वस्तुओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। पहली स्थिति में मूल्य बढ़ है और वे दुर्लभ हो गई है जबकि तस्करी–विरोधी तथा मुद्रास्फीतर निरोधक उपाय करने से सामान्य मल्य–स्तर कम होना आरंभ हो गया है और वह और कम हो रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न था कि स्टैनलैस स्टील, घड़ियों, पैनों, नाइलोन आदि के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है जो नेपाल से चोरी छिपे लाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तस्करों को आपाती उपबन्धों के अधीन बन्दी रखा गया है और वे न्यायालय में नहीं जा सकते, परन्तु आपात स्थिति समाप्त होने पर उनका क्या होगा या कि आपात स्थिति सदा बनी रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो उनकी क्षमता से बाहर का है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं भी तो यह नहीं बता सकता कि आपात स्थिति कब समाप्त होगी, परन्तु जबतक यह स्थिति है, हम तस्करों के विरुद्ध इसका प्रयोग करेंगे परन्तु यदि सदस्य महोदय उनके लिए स्थिति सहज बनाना चाहें तो अलग बात है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह बहुत आपत्तिजनक बात है जब कि तस्कर लोगों की सत्तारुढ दल के साथ राजनीतिक सांठ–गांठ है। तस्करों को खुली अदालतों में लाइये... (**व्यवधान**) मैं जानना चाहता था कि क्या तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और क्या सरकार को आपाती उपबन्धों का ही सहारा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप नाहक ही ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियत पर तो वह संदेह कर रहे है।

Shri Darbara Singh : We want to know whether Government propose not to confiscate the seized gold worth millions of rupees ? What is the position in this regard? If it is to be confiscated , when it would be done and when the legal hitches and loopholes are likely to be removed ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक तस्करी की वस्तुओं का संबंध है, उन्हें सीधे जब्त कर लिया जाता है। सोना टकसालों और रिज़र्व बैंक में भेज दिया जाता है और अन्य उपभोक्ता-वस्तुऐं सहकारी विपणन समिति के माध्यम से बेची जाती हैं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर काफी प्रश्न हो चुके है। अगला प्रश्न श्री चन्द्रप्पन।

आंसुका/विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिर-फ्तार किये गये तस्कर

*62. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद के गत सत्र के बाद तस्करों के विरुद्ध आंसुका/विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या तस्करी की गतिविधियों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिये सरकार ने एक वृहद विधेयक लाने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ङ) इस समय 'आंसुका' विदेशी/मुद्रा परिरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द तस्करों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 दिनांक 19–12–1974 को लागू किया गया था। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम संबंधी अध्यादेश उसी दिन व्यपगत हो गया था। पहले नजरबन्द किये गये और अन्य ऐसे व्यक्तियों के संबंध में नजरबंदो के आदेश फिर से जारी किये गये जिनके विरुद्ध नजरबंदी के लिये पर्याप्त कारण विद्यमान थे। 15–2–1975 तक नजरबन्दी के 578 नये आदेश जारी किये गये हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार ऐसे विधायी प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनकी प्रभाव सीमा व्यापक है ताकि प्रवर्त्तन तंत्र तस्कर–व्यापारियों से और अधिक कारगार ढंग से निपट सके।

(ङ) इस समय आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम संबंधी अध्यादेश के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति नजरबंद नहीं है। जिन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंद किया गया है, उनके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : देश में यह धारणा है कि तस्करों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई जोरदार कार्यवाही अब समाप्त तो चुकी हैं। इस उत्तर में भी बताया गया है कि कोई और नई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या इसका अर्थ यह है कि पहले के विपरीत तस्करी के प्रति सरकारी रवैये या नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ढिलाई का कोई प्रश्न नहीं है और यह भी सच नहीं है कि नए अधिनियम के अधीन कोई नई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जैसा मैं बता चुका हूं 15–2–75 तक 578 नए नजरबन्दी आदेश जारी किए जा चुके थे। दिसम्बर की जिस तारीख को नया अधिनियम लागू हुआ था उस दिन 503 व्यक्ति नजरबन्द थे। अतः 75 नए आदेश दिए गए और छापों की संख्या भी लगभग उतनी ही है जितनी सितम्बर और अक्तूबर में थी परन्तु अधिक संख्या में मारे गए छापों में भी कम माल पकड़ा गया क्योंकि बाहर से तस्करी द्वारा लाये जाने वाले माल की मात्रा में कमी हुई है और हमें समाचार मिले है कि डुबई और हांगकांग जैसे स्थानों पर जहां से ऐसा माल लाया जाता था, बाध्य होकर कम मूल्य पर माल की बिक्री और बैंकों द्वारा ऋण न देने के समाचार मिले हैं। इस से स्पष्ट है कि तस्करों की गतिविधियां कम हुई है। और इस कार्य में कोई ढील नहीं बर्ती गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि तस्करी पर काबू पाने के लिए व्यापक विधान विचाराधीन है। जब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण विधेयक पास किया गया था उस समय सभा को यह आश्वासन दिया गया था कि छः मास के अन्दर तस्करी संबंधी एक और व्यापक विधेयक लाया जाएगा। 3 मास बीत गए हैं तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि प्रस्तावित विधेयक इसी सत्र में ही लाया जाएगा ताकि तस्करों पर खुली अदालत में मुकदमें चलाए जा सकें ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सभा में चर्चा के दौरान मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने तस्करी की वस्तुओं के निपटान के बारे में प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हमें कानूनी पहलू आदि पर ध्यान देना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो जब्ती से सम्बद्ध समस्याएं हल करने के लिये आवश्यक विधान लाया जाएगा। यह कार्यवाही अब की जा रही है परन्तु यह बताना कठिन है कि उक्त विधान कब सभा में लाया जाएगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरी शिकायत यह है कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। तस्कर तो आपात स्थिति समाप्त होते ही छोड दिए जाएंगे और बिना व्यापक विधान के उन्हें न्यायालयों में नहीं लाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपका सुझाव है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं सरकार का दृष्टिकोन जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनके इतने स्पष्ट उत्तर के बाद आपके प्रश्न की क्या आवश्यकता है।

श्री राम सहाय पांडे : यद्यपि मंत्री महोदय के अनुसार कुछ मास पूर्व आरंभ किया गया तस्करी-विरोध अभियान पूरे जोर पर है, परन्तु मैं यह नहीं मानता क्योंकि देश में यह भावना है कि इस में ढील आई है—हो सकता है कि यह बात गलत हो। मैं स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि बड़े व्यापार-गृहों द्वारा कम राशि और अधिक राशि के जो बीजक बनाए जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा को काफी हानि होती है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। इसी पूंजी से तस्करी को सहायता मिलती है अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन गतिविधियों को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि दुर्गा और काली के अतिरिक्त विदेशों से और कितनी तेज़ नौकाएं समुद्र में तस्करों को पकड़ने के लिए प्राप्त की जाएंगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि नार्वे से 20 नौकाएं मंगाई गई हैं जिनमें से 10 यहां पहुंच चुकी हैं और शेष इस वर्ष मार्च अप्रैल में पहुंच जाएंगी।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है सदस्य महोदय जानते ही हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन इस प्रकार के घोटाले रोके जा सकते है। मैं नहीं समझ सका कि यह प्रश्न पूछ कर वह मुझ से वास्तव में क्या जानना चाहते थे।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मंत्री महोदय के अनुसार पकड़े गए 503 तस्करों में से कितने तस्करों को वास्तव में दण्ड दिए गए हैं ? क्या उन्हें कोई दण्ड दिया भी गया है ? यदि हां, तो कितने तस्करों को अब तक दण्डित किया गया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस अधिनियम का प्रयोजन उन्हें न्यायालयों में न जाने देना है, क्योंकि सामान्य विधियों के अनुसार उन्हें न्यायालयों द्वारा दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः निरोधक उपाय किए गए है। ये लोग देश के बड़े बड़े तस्कर हैं और बन्दी हैं। इस अधिनियम के द्वारा उन्हें तस्करी से रोका जा सकेगा। जहां तक सीमाशुल्क अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण जैसे अधिनियमों का संबंध है, ये लोग इनका उल्लंघन करने पर दण्डित किए जा सकते हैं। यह कार्य सामान्य रूप में ही किया जा रहा है। जहां तक इस अधिनियम विशेष का संबंध है, इस का आशय उन लोगों द्वारा तस्करी करना रोकना है जिनके विरुद्ध देश के सामान्य कानून के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री समर गुह : मैं सरकार का ध्यान 'केम्पस रिपोर्टर' नामक दिल्ली की एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा पटना हवाई अड्डे पर गत अक्टूबर में दिल्ली की दो प्राध्यापिकाओं और लगभग 50 छात्राओं को रोक कर लगभग 30,000 रुपये का तस्कर से लाया गया चीनी माल पकड़ा गया। ये अधिक तस्कर दिल्ली की 'स्टैंडेंड ट्रेवल एजेंसी' द्वारा आयोजित नेपाल की यात्रा से लौट रहे थे।"
>
> "एक सुन्दर केन्द्रीय मंत्री उक्त एजेंसी के कुछ समय तक संरक्षक रह चुके बताए जाते हैं।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह समाचार देखा है और यदि हां, तो क्या उन्होंने मामले की जांच की है? यदि नहीं देखा है तो क्या इसे देख कर और जांच करके 'मीसा' के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जाएगी?

श्री अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे सम्बद्ध है? इसके लिये तो आपको पृथक सूचना देनी होगी।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने यह समाचार नहीं देखा है अतः ऐसे में कुछ नहीं बता सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नोट कर लिया है और आपको इसके बारे में वह बता देंगे।

श्री एस० ए० कादर : मंत्री महोदय के अनुसार तस्करी घट गई है परन्तु बाजार में '555' सिग्रेटों के डिब्बे का मूल्य पहले 45 से 80 रुपये तक बढ़ गया था परन्तु अब फिर 55 रुपये का है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि तस्करी पुनः आरंभ हो गई है? सरकार को किस माध्यम से पता लगता है कि तस्करी घटी है या बढ़ी है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं ने कुछ तथ्य बताएं है। तस्करी की वस्तुएं दुर्लभ हो गई हैं और उनके मूल्य 40 से 60 प्रतिशत तक बढ़े है। डुबाई और अन्य स्थानों पर भी बाध्य होकर कम मूल्य पर बिक्री के समाचार मिले है। तीसरे, उतने ही छापों के बावजूद मिलने वाले माल की मात्रा कम हुई है। इन्हीं बातों से सिद्ध होता है कि कुछ हद तक तस्करी कम हुई है।

Shri Ishaq Sambhali : Sir, with the arrest of smugglers, people have found relief and prices have also come down. Therefore, it would be unfair if we do not congratulate Shri K.R. Ganesh. I have noted one thing and therefore I want to know whether Government would bring a legislation so as to remove the defect of MISA so that the smugglers may be put behind the bars again because we have seen that due to lacunae in 'MISA' they have gone scot free after arrest and their activities are also continuing ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मूल प्रश्न के उत्तर में मैं बता हो चुका हूं कि 'मीसा" अध्यादेश अब लागू नहीं है और इसके स्थान पर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम लागू है। छापे और गिरफ्तारियां जारी हैं मैंने जो आंकड़े दिए हैं उनसे स्पष्ट है कि सरकार ने तस्करी को समस्या हल करने के लिए इसका प्रयोग किया है। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया है मूल्यों पर तस्करी क्रियाकलाप निवारक उपायों का ही नहीं अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच है कि हाल में मंत्री महोदय एक संसद्-सदस्य के साथ में अपने मंत्रालय की कार्यवाही का प्रभाव देखने बम्बई तस्करों के अड्डों पर गए थे? यदि हां तो उनकी जांच तथा निष्कर्ष क्या हैं? दूसरे वह यह भी बताएं कि मछली पकड़ने की नौकाओं की भूमिका क्या रही है क्योंकि अधिकांश तस्करी इन्हीं नौकाओं द्वारा की जाती है? क्या आपके मंत्रालय या नौवहन और परिवहन मंत्रालय में इनकी संख्या का कोई हिसाब है और क्या वे पंजीकृत है या नहीं, इत्यादि?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है यह सच है कि खुले समुद्र से तस्करी की वस्तुओं की ढुलाई में इन नौकाओं का प्रयोग किया जाता है और शायद नौवहन के महानिदेशक की सभी समुद्री वाहनों का हिसाब रखने और उनके स्वामित्व, किस्म तथा अन्य ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी है।

पहले भाग के बारे में, मैं जब सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक संबंधी प्रवर समिति की बैठक के सिलसिले में बम्बई में था तब मैं विभिन्न स्थानों पर गया था। मुझे पता नहीं है कि वे तस्करों के अड्डे हैं या नहीं। परन्तु मैं वहां गया था जहां तस्करी की वस्तुएं बेची जाती हैं और इसके बाद मैंने अधिकारियों को वहां छापे मारने के निदेश दिए थे जिसके बाद उसी महीने 12–15 छापे मारे गए और 3 लाख रुपये से अधिक का माल वहां से पकड़ा गया।

थोक मूल्य सूचकांक

*63. **श्री झारखंडे राय** :
श्री के० मालन्ना : } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक में 46.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या थोक मूल्य सूचकांक में अब कुछ कमी होने लगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके महीने वार आंकड़े क्या है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) थोक किमतों का सूचक अंक (1961–62=100) जनवरी 1973 में 213.5 से बढ़कर जनवरी 1975 में 315.5 हो गया अर्थात् इसमें 47.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) थोक कीमतों का सूचक अंक सितम्बर 1974 के बाद गिरना शुरू हो गया और इस महीने में यह 328.9 था। यह सूचक अंक अक्टूबर में 324.8 नवम्बर में 320.6 और दिसम्बर 1974 में 317.2 रहा। यह जनवरी 1975 में और गिर कर 315.5 रह गया।

Shri Jharkhande Rai : Sir, according to the hon. Minister's statement, it appears that there has been no change in retail prices and whatever change is there is negligible. In view of the fact that black money could not be checked despite best efforts

and that it continues to be the parallel economy in the country. Despite efforts made by Government during the last three years to check rising prices, satisfactory results could not be achieved at all-India level in this regard and wherever any sucesss has been achieved, it is temporary and transitory. In view of all this, whether Government propose to take any drastic or revolutionary step to keep consumer prices in control at all-India level so as to enable the comman man to have a sigh of relief ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि जहां थोक मूल्य सितम्बर–अक्तूबर में ही गिरने लगे थे, वहां खुदरा मूल्यों में कुछ वृद्धि ही हुई है। परन्तु अक्तूबर से और नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में खुदरा मूल्य भी कम होने आरंभ हो गए हैं। मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े देना चाहूंगा इसमें सितम्बर, 1974 में 334 की अपेक्षा दिसम्बर, 1974 में 326 तक की कमी हुई है, अर्थात 2.4 प्रतिशत की जबकि थोक मूल्य सूचकांक में 3.6 प्रतिशत की कमी हुई। थोक मूल्यों में कमी का प्रभाव खुदरा मूल्यों पर कुछ समय बाद ही पड़ता है क्योंकि वस्तुएं पहले ही खरीदी जा चुकी होती हैं। परन्तु अक्तूबर से मूल्य गिरने लगे हैं और अब भी गिर रहे हैं। मैं मानता हूं कि काला धन भी जमाखोरी में काम आता है, इसलिए मूल्य बढ़ते हैं। इसीलिए हमने तस्करों, जमाखोरों और करचोरों के विरुद्ध विभिन्न कदम उठाए हैं।

Shri Jharkhande Rai : Whether his attention has been drawn towards the statement of his colleagues, Shri Pai and Shri Raghunatha Reddy, wherein according to Shri Pai, the big monopoly capitalists in the country resort to under production in their factories to keep prices at higher level and according to Shri Reddy, the experience of mixed economy in the country has proved that it has failed here? So, whether Government propose to take some steps in this regard in view of the fact that two-thirds of all the countries of the world where capatalist system of economy prevails prices have gone up due to this?

Whether Government would take special efforts in this regard ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सदस्य महोदय प्रश्न–काल में नीति संबंधी इतने बड़े विषय पर उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है और क्या इसके स्थान पर सरकारी क्षेत्र ही रखा जाये इस विषय पर प्रश्न काल में चर्चा नहीं नहीं की जा सकती। इन मामलों में विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है और यद्यपि किसी मंत्री का विचार सरकारी विचारधारा से भिन्न हो, तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी की भी यही राय है।

Shri Jharkhande Rai : Under-production is also one of the reasons for price-rise. He may say something in this regard.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता था कि सदस्य महोदय इन सब बातों का उल्लेख किसी क्रान्ति हेतु कर रहे हैं जो श्री जयप्रकाश की सम्पूर्ण क्रान्ति के विरुद्ध है परन्तु वह तो बिलकुल भिन्न बात हुई।

श्री नूरूल हुडा : फिर वहीं "जयप्रकाशी" बुखारा यह तो बिलकुल अन्तंगत बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह संसद् है और यहां सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप किसी को कोई बात कहने या न कहने के लिए नहीं कह सकते। आप अनेक ऐसी बातें कहते रहते हैं जिनका कोई विरोध नहीं करता।

मुझे इस प्रकार के आचरण पर बहुत दुख है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरा ख्याल था कि वे इसका बुरा नहीं मनाएंगे, परन्तु यदि ऐसा है तो वे इसका विचार न करें। मैं खेद प्रकट करता हूं।

जहां तक एकाधिकारी–गृहों का संबंध है, यह ठीक है कि कुछ संगठन मूल्य स्तर बनाए रखने से फिर कम उत्पादन करते हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य कार्यवाही करती है कि वे ऐसे हथकंडे न अपनाए ।

श्री वी० गंगादेव : पिछले अक्तूबर से कई उद्योगों में मंदी का दौरा चल रहा है । मोटर-गाड़ी उद्योग और ऐल्यूमिनियम उद्योग में निश्चय ही माल जमा पड़ा है और उत्पादन में कटौतियों का मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या देश में मूल्यों, में कुछ स्थिरता आ रही है ? देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के न्यूनतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अत्यावश्यक वस्तुओं की संकल्पता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग है यदि माननीय सदस्य मोटर कार को आवश्यक वस्तु मानते हैं तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । यदि मोटर–गाड़ियों के उत्पादन में कमी आई है तो मुझे कोई खेद नहीं है क्यों कि हमने निजी कारों की संख्या घटाने का निश्चित कदम उठाया है । माननीय सदस्य स्पष्टत: ही हिन्दुस्तान मोटरस् का उल्लेख कर रहे हैं । यह मुख्यत: कार की किस्म के कारण तथा उसके मूल्य के 33000–34000 रुपये होने के कारण हुआ है । निश्चय ही कोई भी व्यक्ति उस कार को खरीदने को तैयार नहीं है । इसी लिये उत्पादन में कमी आई है । इसलिये उसे उत्पादन की कमी अथवा मंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती । ऐल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी बिजली की कमी के कारण हुई है । इस उद्योग को बिजली व्यापक रूप से देने की हम चेष्टा कर रहे हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके ।

श्री वी० गंगादेव : उर्वरक उद्योग की क्या स्थिति है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उर्वरक उद्योग में उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इसे बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है । जहां तक उर्वरक उद्योग का प्रश्न है उसमें मंदी का कोई प्रश्न नहीं है । दूसरी ओर पूर्ति मांग की अपेक्षा कम है और हमें उर्वरक का आयात करना पड़ता है । इसलिये कुछ ग्रुपों द्वारा अधिक रियायतें पाने के लिये मंदी का नाम लिया जाता है । मेरा सदस्यों से निवेदन है कि हमें उनके इस प्रभार में नहीं आना चाहिये ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : अध्ययन से पता चला है कि मूल्य सूचकांक में धन की उपलब्धि की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में दुगनी वृद्धि हुई है । क्या मूल्यों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धन की उपलब्धि तथा मूल्य सूचकांक के साथ उसके तुलनात्मक सम्बन्ध का अध्ययन किया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह पूर्ति और मांग का साधारण नियम है । यदि धन की बहुलता है और माल की उपलब्धता की कमी है तो स्वभावत: मूल्य बढ़ते हैं । जब धन की उपलब्धता को सीमित किया गया तो मूल्य में कमी हुई है । परन्तु निश्चय ही धन की उपलब्धता को सीमित करके हम मुद्रा स्फीति की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर सकते; समस्या का समाधान माल के उपलब्ध किये जाने पर किया जा सकता है । इस प्रकार हमें अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है . . . (**व्यवधान**)

Shri Hukum Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that there has been fall in whol esale prices. Is it due to the fact that the Government is bringing down the wholesale prices in fear of the agitation launched by the Lok Nayak ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि यह अनुसन्धान का विषय है और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं इस शोध कार्य को हाथ में ले और जे० पी० के आन्दोलन का मूल्य की गिरावट के साथ सबन्ध सिद्ध करे।

राज्यों द्वारा ओव्हरड्राफट्ज

*64. †**श्री राम प्रकाश**
श्री गजाधर मांझी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने गत छ: महीनों में रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट्ज के लिये मांग की है और कितने राज्यों को उसकी मंजूरी दी गई है; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अधिकृत अर्थोपाय की जो सीमा निर्धारित की है वह उनके द्वारा रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली न्यूनतम रोकड बाकी और केन्द्रीय सरकार की सिक्युरिटियों पर निर्भर करती है। जब रिजर्व बैंक से अधिकृत अर्थोपाय सीमा की अपेक्षा अधिक निकासी की जाती है तब यह माना जाता है कि रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट लिया है। राज्यों को मालूम है कि रिजर्व बैंकसे ओवर-ड्राफ्ट को बजट के साधन के रूप में नहीं लिया जा सकता और उन्हें रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफट लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट मांगने का सवाल ही नहीं होता।

Shri Ram Prakash : The states which are suffering from famine or floods and are required to pay heavy prices be given facilities of overdraft. May I know which of the states have asked for such permission and which you have refused ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने पहले ही कहा है कि रिजर्व बैंक पर ओवरड्राफट से स्त्रोत प्राप्त नहीं होते। सच तो यह है कि हमने इस प्रक्रिया को त्याग दिया है। इसलिए यदि और सहायता कि आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार से मांगी जा सकती है और केन्द्रीय सरकार ऐसी सहायता देती है।

Shri Ram Prakash : Is it correct that sixth Finance Commission stopped assistance to all the famine affected states? If, so, which of the states have complained against that decision and requested for permission for overdrafts ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह कतई भिन्न प्रश्न है। छठे वित्त आयोग प्राकृतिक पूर्व आपत्तिओं के बारे में सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है। वास्तव में छठे वित्त आयोग ने सूखे और बाढ़ सम्बन्धी साहायता के लिये अधिक युक्तिसंगत विधि की व्यवस्था की है जोकि अब चल रही है। किन किन राज्यों ने साहायता कि मांग की है उनके बारे में सदस्य महोदय संबद्ध मंत्रालय से पृथक प्रश्न पूछें।

श्री मुरासोली मारन : बेशक ओवरड्राफ्ट की सुविधा समाप्त कर दी गई है परन्तु राज्यों को सरकारी प्रतिष्ठानों से ऋण लेने की सुविधा दी गई है। उदाहरण के तौर पर एक राज्य को हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० से सामान खरीदने की अनुमति दी गई जिसकी अदायगी स्थगित कर दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनेक राज्यों को यह सुविधा दी जा रही है तथा किस राज्य को क्या सुविधा दी जा रही है ? और क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सौदा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स राज्य सरकार के मध्य बिजली के उपकरणों की सप्लाई के बारे में है और कुछ राज्य सरकारों ने शीघ्र अदायगी नहीं की। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स उनसे सीधे व्यवहार करता है।

श्री मुरासोली मारन : मैं बिलों की अदायगी न किये जाने की बात नहीं कर रहा अपितु ऋण सुविधायों की चर्चा कर रहा हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह ऋण सुविधा नहीं है। वे माल देते हैं जिसकी अदायगी को जानी चाहिए जिसमें कि कुछ राज्य विलम्ब कर देते हैं। कुछ समय के लिये वे इसे अपने स्त्रोतों के रुप में उपयोग करते हैं जैसः इसे हम रोक नहीं सकते। कुछ राज्य सरकारें अभी भी ऐसे व्यवहार पर आग्रह कर रहीं है और हम इस बात की चेष्टा कर रहें हैं कि इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अदायगी शीघ्र कर दी जाये। अन्यथा उनके लिये कठिनाई पैदा हो जाती है और उन्हें उसके लिये बैंकों से ऋण लेने पड़ते हैं। इससे व्यवस्था में विकृति आ जाती हैं। हम इस प्रक्रिया को भी समाप्त करना चाहिते है।

श्री नरेन्द्र कुमार मांझी : राज्य सरकारों के पास पिछले 25 वर्षो में ओवरड्राफ्ट के रुप में लिये गये ऋणों की 2000–3000 करोड़ रुपए की राशि है। क्या उन ऋणों को समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है ताकि राज्यों सरकारों की वित्तीय नीतियां सुदृढ हो सके?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसे केन्द्रीय सरकार ऋण लेती है वैसे ही यह राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋण हैं। छटे वित्त आयोग ने ऋणों के मामले का अध्ययन किया है और ऋणों को अदायगी के बारे में भी कुछ सिफारिशें की है?

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच है कि गुजरात ने पहले छः महीने अथवा उससे कुछ अधिक समय में रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफट मांगा था और यदि नहीं तो जो राज्य ऐसी सुविधा नहीं मांगते अथवा मांगने पर भी रिजर्व बैंक से ऐसी सुविधा वित्तीय सहायता के रुप नहीं प्राप्त कर पाते जबकि उन्हें सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है उनके बारें में ऐसा क्यों है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : गुजरात सरकार अधिक समझदार है और उन्होंने रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफट की मांग नहीं की है। जब कभी भी उन्हें प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण कोई अर्थोपाय सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तब वे केन्द्र से सहायता मांगतो है जोकि केन्द्र द्वारा दे दी जाती है। गुजरात सरकार को साहायता मिल गई थी तभी तो वह व्यापक सुखें में राहत कार्य कर सकी।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे राज्यों को सहायता नहीं करती जो ओवरड्राफट की मांग नहीं करते? आप उन्हें सहायता क्यों नहीं देते?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य गुजरात सरकार से रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट लेने की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि इसे सीधे अस्वीकार कर दिया जायेगा। उन्होंने साहायता मांगी है जो कि दे दी गई है।

Shri M. C. Daga : The issue is that 19 thousand villages in Rajasthan have been affected by famine and the condition has very much miserable. The Reserve Bank does not give a overdraft. People there are starving due to shortage of funds. Why don't you give them funds ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सरकार की नीति ओवरड्राफ्ट न देने की है। यदि ओवरड्राफ्ट लिया जाता है तो हम सम्बद्ध राज्य को नोटिस दे देते हैं कि भविष्य में उनके चैक अस्वीकार कर दिये जायेंगे मुझे यह तर्क समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाये। निश्चय ही यह धन उपलब्ध करने का ढंग नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

*65. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के आयकर अधिकारियों ने 7 जनवरी, 1975 को एक प्रमुख रासायनिक व्यापारी के रिहायसी स्थानों, कार्यालयों, गोदामों, कारखाने और लाकरों पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त व्यापारियों के विरुद्ध क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिकारियों ने, मेसर्स रेनबो प्राडेक्टस, बम्बई (रंजक) तथा रासायनिक वस्तुओं का व्यापार करने वाली फर्म के मालिक श्री के० एल० दलाल के मामले में तथा सम्बन्धित मामलों में बम्बई में 7 जनवरी, 1975 तथा उसके परवर्ती दिनों में छापे मारे थे तथा माल पकड़ा था ।

निम्नलिखित स्थानों को तलाशियां ली गयी थीं :—

(i) मैसर्स रेनबो प्रोडेक्टस के इण्डस्ट्रियल एश्यूरंस भवन, चर्च गेट, स्थित कार्यालयी परिसर ।

(ii) भूलाबाई देसाई रोड पर स्थित श्री के० एल० दलाल शशिधर का निवास स्थान ।

(iii) नायर अस्पताल के पास गोदाम ।

(iv) वार्डन रोड पर स्थित यूनाईटेड कमर्शियल बैंक में दो लाकर ।

(v) मैसर्स इण्डस्ट्रियल ट्यूब कन्टेनर मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी का चर्चगेट स्थित कार्यालय परिसर तथा माहिम पर कारखाने के परिसर ।

(vi) इण्डस्ट्रियल एश्यूरंस भवन, चर्च गेट में तथा ड्रीम लैण्ड बिल्डिंग, रॉकसी सिनेमा में मैसर्स महाराजा एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० के कार्यालयीन परिसर ।

लेखा पुस्तकों तथा दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी :—

(i) नकदी — 53,500 रु० ।

(ii) लगभग 24,000 रु० कीमत के जेवर ।

उस गोदाम को सील कर दिया गया है जिसमें रसायन तथा ऐल्यूमिनियम चादरों और कतरनों का काफी बड़ी मात्रा में स्टाक पड़ा था ।

(स्टाक का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत अप्रकट आय का सरकारी तौर पर निर्धारण करने तथा पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों में से जितनी परिसम्पत्तियां, अप्रकट आय पर संगणित कर की रकम तथा विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन अन्य वर्तमान दायित्व की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाय, उतनी परिसम्पत्तियों को रोक रखने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए उपाय

*66. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए उपलब्ध होने वाली संसाधनों का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल संसाधनों का अनुमान क्या है ;

(ग) क्या आर्थिक क्षेत्र में कार्यनिष्पादन का भी अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) मूल्य वृद्धि को रोकने का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ; और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाई जा रही नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) सरकार वार्षिक बजट में, आयोजनागत और आयोजना भिन्न व्ययों के लिए निश्चित की गई धन राशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवधिक मूल्यांकन करती हैं और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों में आवश्यक संशोधन करती है ।

इसी मूल्यांकन के आधार पर सरकार को जुलाई, 1974 में अनुपूरक बजट पेश करना पड़ा था। इसी प्रकार रेलवे ने भी अपने बढ़ते हुए घाटे को रोकने के लिए, अगस्त, 1974 में किराया और भाड़ा बढ़ाया था। अतिरिक्त साधनों को बढ़ाने के लिए फरवरी 1974 में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप अनुमान है कि चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कुछ साधन, जिनमें इसके विभागीय उपक्रम भी शामिल है, 690 करोड़ रुपये बढ़ जायेंगे। राज्य सरकारें भी 1974–75 में अनुमानित 358 करोड़ रुपय के अतिरिक्त साधन जुटा सकेंगी । इस प्रकार अपने प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय और राज्य सरकार 1048 करोड़ रुपये अधिक जुटा सकेंगी ।

इसके साथ साथ केन्द्रीय सरकारने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये विभिन्न उपाय किये है जैसे कि कतिपय आमदनी वाले वर्गों, जमाखोरों, कालाबाजारी करनेवालों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ना और अनिवार्य वस्तुओं के आयात द्वारा सप्लाई को बढ़ाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर, 1974 से मूल्यस्तर में सितम्बर के तीसरे सप्ताह में कमी आनी आरम्भ हो गई और जनवरी, 1975 के अंत तक थोक मूल्यों के सूचकांक में 5 प्रतिशत की कमी हुई।

1974–75 की आर्थिक स्थिति और अगले वर्ष की सम्भवनाओं का विस्तृत ब्यौरा 1974–75 की आर्थिक समीक्षा में दिया गया है, जो कि अगले कुछ ही दिनों में सभा में प्रस्तुत किया जायगा ।

Amount of Loans Advance by Nationalised Banks

*67. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans advanced by the nationalised banks during 1973-74;

(b) the amount of loans advanced in rural areas ;

(c) the total amount of loans given to the farmers ;

(d) the amount of loans given to landless labour ; and

(e) the amount of loans given to unemployed graduates and technicians ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) Outstanding advances of public sector banks amounted to Rs. 5428 crores as at the end of June 1973 and to Rs. 6566 crores as at the end of June 1974.

(b) According to the available data, which relate to scheduled commercial banks as a whole, outstanding advances of rural branches as at the end of June 1973 and Dec. 1973 amounted to Rs. 309 and Rs. 384 crores respectively.

(c) Outstanding advances of public sector banks to agriculture (direct finance only) amounted to Rs. 298 crores as at the end of June 1973 and to Rs. 392 crores as at the end of June 1974.

(d) & (e) Banks do not compile data separately for such detailed categories as landless labour, unemployed graduates and technicians. Advances to landless labour would figure under the priority sector category "Agriculture", while advances to unemployed graduates and technicians would figure under the appropriate priority sector category like small scale industries, small business and professional and self-employed. The outstanding advances of public sector banks under these priority sector categories as at the end of June 1974 were :—

Category	(*Rs. in crores*)
Small scale industries	868
Small Business	18
Professional and self-employed . .	30

नाइलोन के धागे (यार्न) का आयात करने के लिये भगवान दास सन्त प्रकाश को प्राधिकार पत्र जारी करना

*68. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाईलोन यार्न तथा धागे/पोलिस्टर धागे का आयात करने के लिये फर्म भगवान दास सन्त प्रकाश को प्राधिकार-पत्र देने का निर्णय किस स्तर पर तथा किस तारीख को किया गया और क्या यह रिजर्व बैंक तथा मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा उस समय लागू नीति के प्रतिकूल नहीं था ; और

(ख) आस्थगन (अबेयन्स) आदेश किस तारीख को वापस लिया गया तथा किस तारीख को चेतावनी परिपत्र वापस लिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नायलन यार्न तथा सिलाई-धागे के आयात के लिये सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने का विनिश्चय 12-1-1971 को किया गया था। उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट में पोलिस्टर रेशे को शामिल करने का विनिश्चय 3-3-1971 को किया गया था। ये विनिचय भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री के स्तर पर किये गये थे जिन परिस्थितियोंवश यह विनिश्चय किया गया वह यह था कि फर्म ने अफगानिस्तान को माल का निर्यात किया था जिसका भुगतान प्रतिसन्तुलनकारी आयातों द्वारा नहीं किया गया था।

(ख) स्थगन आदेशों को 1-4-1971 और 20-5-1971 को वापस लिया गया। चेतावनी परिपत्र 7-6-1971 को वापस लिया गया।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

***69. श्री रामावतार शास्त्री**
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को तीन किश्तें नकद देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते कि शर्तें क्या है और सरकार के निर्णय के प्रति कर्मचारी संघ की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अब तक देय शेष किश्तों के बारे में भी कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकारने हाल ही में क्रमश: 1 जून, 1974, 1 जुलाई, 1974 तथा 1 सितंबर 1974 से महंगाई भत्ते को तीन किश्तें स्वीकृत की है। 1 जनवरी 1975 से आगे को अवधि के लिए इन किश्तों के कारण को जाने वाली अदायगी में से 50 प्रतिशत को छोड़ते हुए, जो कि अतीरिक्त परिलब्धियों (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार अनिवार्य जमा खाते में जमा की जानी है, शेष राशि नकद अदा को जानी है और इससे पहले की अवधि की बक़ाया को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा किया जा रहा है। फिलहाल, भविष्य निधिखातों में जमा इन विशेष रकमों में से कोई भी रकम 30 जून, 1975 तक वापस नही ली जाएगी। ये निर्णय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के पश्चात किये गये थे और आम तौर पर इनका स्वागत हुआ है।

(ग) जहां तक सूचकांक औसत 272 से उपर होनेवाली मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति का संबंध है, तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, मामले की समीक्षा की जा रही है।

तस्कर-विरोधी अभियान में ढील

***70. श्री पी० ए० सामीनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में तस्करी विरोधी अभियान को जो अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 के महीनों में पूरे जोर-शोर पर चलाया गया था और आगे जारी न रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) देश में विभिन्न राज्यों में दिसम्बर, 1974, जनवरी और फरवरी, 1975 के महीनों में कितने छापे मारे गये थें ;

(घ) क्या गत वर्ष की तुलना में इन तस्करी विरोधी छापों की संख्या कम थी ; और

(ङ) ऐसे छापे अधिक मारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं ; तस्करी विरोधी अभियान में कोई कमी नहीं आई है ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में प्रतिमास 350 से भी अधिक छापे मारे गये ।

(घ) जी, नहीं; तस्करी-विरोधी क्रियाकलाप पिछले वर्ष के मुकाबले कम नहीं थे ।

(ङ) तस्कर-व्यापारियों और विदेशी मुद्रा के जालचक्र में लगे व्यक्तियों की निवारक नजर बन्दी के अलावा, सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों, वितरण केन्द्रों तथा सम्पर्क मार्गों पर निवारक चौकियां स्थापित करने के लिए उपाय पहले ही किए जा चुके हैं । पश्चिम समुद्र तट पर अनेक स्थलों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए एक बेतार संचार व्यवस्था भी कायम की गई है । इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय, कार्यालयों को अतिरिक्त कर्मचारी और उपकरण की व्यवस्था भी की गई है । नार्वे में बनी 10 नौकाएं जिन पर रडार तथा अन्य उपकरण लगे हैं, प्राप्त की जा चुकी हैं और 10 और नौकाएं सम्भवत: इस वर्ष मार्च तक पहुंच जाएंगी ।

अधिक प्रभावी अधिकारियों को तैनात करने जैसे प्रशासनिक उपाय, भी किये गये हैं । अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वैधानिक उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

Export of Carpets to Poland

*71. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India exports carpets to Poland ; and

(b) if so, the value of carpets exported during 1973-74 and how does it compare with the figures for 1972-73?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The value of exports of hand knotted woollen carpets, rugs and druggets including namdahs to Poland during 1973-74 amounted to Rs. 23·84 lakhs as compared to Rs. 68.87 lakhs during 1972-73.

पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों द्वारा हड़ताल

***72. श्री आर० ए० बर्मन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिम बंगाल के 2 लाख से अधिक पटसन मजदूरों ने हड़ताल कर दी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के परिणामस्वरूप सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार उत्पादन में कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या हड़ताल को समाप्त कराने के लिए मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं तथा सरकार के बीच समझौते के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या है ?

3—2 L.S.S.(N.D.)/75

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन हानि लगभग 1.50 करोड़ रुपये प्रति दिन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) तथा (घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अनेक सुलह बैठकें आयोजित की और जबकि प्रबन्धक वर्ग ने पश्चिम बंगाल सरकार की प्रस्थापनाओं को मान लिया है, यूनियनों ने ऐसा नहीं किया है। पता चला है कि कुछ मिलों में कर्मचारी काम पर लौटने शुरू हो गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत, अन्य बातों के अलावा, विशेष खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति कर्मचारी 120 रु० की अदायगी, उन्नरती दरों का संशोधन आदि की व्यवस्था है।

राज्य व्यापार निगम के पास आयातित माल का जमा होना

*73. **श्री हरी सिंह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास 80 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आयातित सामान न उठाये जाने के कारण इकट्ठा हो जाने से निगम को चिन्ता हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो माल न उठाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम के पास 31-1-75 को मौजूद आयातित माल के भण्डारों का मूल्य 37.22 करोड़ रु० है न कि 80 करोड़ रुपये ।

(ख) कुछ भण्डार सामान्य माल सूची के ही अंश है। माल जमा होने के कारण हैं, ऋण संकुचन के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा माल उठाने में धीमी गति, प्लास्टिक जैसे अन्तिम उत्पादों के लिए मांग में कमी और कतिपय स्वदेशी कच्चे माल की कीमत में कमी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट ।

(ग) भण्डारों को निपटाने के लिए जो विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं वे हैं, ऋण अवधि को बढ़ा कर 90 दिन किया जाना, किश्तों में माल उठाने संबंधी सुविधा की व्यवस्था और कतिपय मामलों में लाभांशों तथा प्रभारों में छूट का दिया जाना।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात तथा निर्यात

*74. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी निर्यात और आयात व्यापार हुआ है;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष निर्यात तथा आयात व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष आयात तथा निर्यात के बीच घाटे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) वे बड़ी-बड़ी मदें कौनसी हैं जिनका इस अवधि के दौरान आयात बढ़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक उपलब्ध निर्यात तथा आयात आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1974 की अवधि के हैं। अप्रैल-दिसम्बर, 1974 और 1973 की इसी अवधि के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

करोड़ रु०

	अप्रैल — दिसम्बर		अप्रैल-दिसम्बर, 1973 की अपेक्षा अप्रैल-दिसम्बर 1974 में
	1974	1973	प्रतिशतता वृद्धि
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	2342.9	1691.2	(+) 38.5
आयात . . .	2928.2	1855.3	(+) 57.8
व्यापार संतुलन . .	(—)585.3	(—)164.1	(+)256.7

(घ) आयातों संबंधी नवीनतम वस्तु-वार आंकड़े अप्रैल-सितम्बर, 1974 की अवधि के हैं। जिन मुख्य मदों के आयातों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि हुई वे थी : अनाज तथा अनाज से बने पदार्थ, पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुएं तथा मशीनरी।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विकास छूट के लिए प्रावधान

*75. **श्री एम० कत्तामुत्तु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विकास छूट की व्यवस्था करने के लिए आयकर अधिनियम के अधीन स्थिति का अध्ययन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 की व्यवस्था के अनुसार, कुछ शर्तें पूरी होने की हालत में नये जहाज अथवा नयी मशीनरी अथवा संयंत्र के संबंध में, "विकास छूट" कही जाने वाली एक कटौती स्वीकार की जाती है। इस कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिये एक प्रारंभिक शर्त यह है कि वस्तुतः स्वीकार की जाने वाली विकास छूट के 75 प्रतिशत के बराबर रकम संबंधित पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में नामें डाली जायेगी और उसको एक सुरक्षित खाते में जमा किया जायगा, यहां कर-निर्धारिती द्वारा उसका कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जायगा। वास्तविकता में यह पाया गया है कि किसी वर्ष विशेष में सुरक्षित निधि के निर्माण का आग्रह करने से उस स्थिति में परेशानी पदा होती थी जब आवश्यक सुरक्षित निधि के निर्माण के लिये पर्याप्त लाभ उपलब्ध नहीं होता है अथवा आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित लाभ की जो रकम निश्चित की जाती थी वह उस रकम से भिन्न होता था जिसके आधार पर कर-निर्धारिती द्वारा विकास छूट का लाभ पाने के लिये सुरक्षित निधि का निर्माण किया गया था। इसलिए 1965 में आयकर

अधिकारियों को आदेश जारी किया गया कि यदि विकास छूट स्वीकार करने से पहले संगणित कुल आय का परिणाम हानि दिखाता हो तो उस वर्ष में कानूनी सुरक्षित निधि निर्माण करने का दायित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार विकास छूट के प्रयोजन से अपर्याप्त सुरक्षित निधि के मामलों के संबंध में ये आदेश दिये गये कि जिन मामलों में कानून की आवश्यकताओं का जानबूझ कर कोई उल्लंघन नहीं हो और विकास छूट का विशेषतः निर्माण, कर-निर्धारिती के अपने खाते की निष्कपट संगणना के अनुसार विकास छूट के 75 प्रतिशत की निर्धारित दर पर किया जाता है, परन्तु कर-निर्धारण के समय वह रकम कानून की आवश्यकता से न्यून पायी जाय तो उन मामलों में आयकर अधिकारी यथार्थिक न्यूनता को इस शर्त के अधीन माफ कर सकता है कि कर-निर्धारिती उस कमी को, आयकर द्वारा स्वीकार की गयी मियाद के अंदर चालू वर्ष में अतिरिक्त पर्याप्त सुरक्षित निधि का निर्माण करके पूरा करेगा। कुछ औद्योगिक उपक्रमों के मामले में, विशेषतः जिन उपक्रमों में सरकार की पूंजी, ऋण अथवा गारंटी के रुप में सभागित है और विकास के प्रयोजनार्थ सुरक्षित निधि रखना कानून अथवा करार के किन्हीं उपबंधों के कारण जरुरी है उन मामलों के विकास छूट सुरक्षित निधि का विशिष्टतः निर्माण नहीं होने की हालत में भी यह मान लिया जायगा कि उक्त सुरक्षित निधि में विकास छूट सुरक्षित निधि भी शामिल है।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक लि० बनाम आयकर आयुक्त (77 आई० टी० आर० 512) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ठहराया है कि आयकर अधिनियम 1922 की तत तुल्य व्यवस्था द्वारा अपेक्षित तरीके से सुरक्षित निधि का निर्माण, विकास छूट का लाभ पाने के लिये एक पूर्वापेक्षित शर्त है। उक्त मामले में क्योंकि कर निर्धारिती ने एक अलग सुरक्षित निधि का निर्माण नहीं किया था, न्यायालय ने ठहराया कि यह उसके लाभ का दावा करने का अधिकारी नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का यह भी अभिमत था कि सुरक्षित निधि में धन का अंतरण, हानि और लाभ का लेखा करते समय ही किया जाना चाहिये। । इसलिए पूर्ववर्ती आदेशों का जिस सीमा तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ विरोध आता था उतनी सीमा तक पूर्ववर्ती आदेशों का अंश वापस लाने के आदेश सन् 1972 में जारी किये गये और ये आदेश भी दिये गये कि जिन पूर्ववर्ती कर-निर्धारणों में बोर्ड के आदेशों के आधार पर राहत दी गयी थी उनमें यथासम्भव सीमा तक दुरस्ती की जाय।

सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सी दरख्वास्तें मिलने के कारण इस प्रश्न को परामर्श के लिए महा न्यायवादी को भेजा गया है।

कपडे का निर्यात कोटा

***76. मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारतीय कपड़े के निर्यात कोटे की प्रशासनिक व्यवस्था करने हेतु एक ही प्राधिकरण बनाने पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी रोकने वाली नौकायें

***77. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी तट पर उपयोग के लिए चोर और तस्करी रोकने वाली नौकाएं चालू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नौकाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये खरीदी गई हैं और इन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इन नौकाओं को चालू करने के परिणामस्वरूप अब तक तस्करों को पकड़ने में कितनी सफलता मिली है ;

(घ) क्या भारत के पूर्वी तट पर कुछ नौकाएं चालू की गई हैं जहां कि तस्करी जोरों पर है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका और पूर्वी तट के लिए भारत सरकार द्वारा हाल में नियुक्त की गई तस्करी रोकने वाले दल द्वारा प्राप्त की गई सफलता के साथ-साथ ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अक्तूबर, 1974 में चालू की गई नार्वे में बनी 2 नौकाओं तथा पश्चिम तट पर तस्कर-विरोधी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस्तेमाल की जा रही जब्त-शुदा अन्य नौकाओं के अतिरिक्त नार्वे में बनी 4 और नौकाओं को प्रयोग में लाया गया है जबकि 4 अन्य नौकाओं को सुसज्जित किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही उपयोग में लाया जायगा।

(ख) ये नावें 13.60 मीटर लम्बी हैं और इनमें डीजल इन्जन लगे हैं। इनकी गति बहुत अधिक है और इनकी स्थिति परिवर्तन क्षमता भी बहुत अच्छी है। ये नौकाएं नार्वे से खरीदी गई हैं और एक नौका की औसत लागत लगभग 14.5 लाख रु० है।

(ग) यद्यपि, हाल ही में उपयोग में लाई गई चार नौकाओं की सहायता से कोई तस्कर-व्यापारी नहीं पकड़ा गया है तथापि ये नौकायें तस्कर व्यापार को रोकने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(घ) तथा (ङ) आयाते की गई नौकायें पूर्वी तट पर इस्तेमाल नहीं की गई हैं, परन्तु इस तट पर तस्करी विरोधी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की 17 अन्य नौकायें उपयोग में लायी जा रही हैं। पूर्वीतट के लिए ऐसा कोई तस्करी-विरोधी दल नियुक्त नहीं किया गया है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

लौह अयस्क का निर्यात

*78. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान लोह अयस्क के निर्यात में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1975–76 के दौरान लोह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) 1974–75 के दौरान भारत के लोह अयस्क के निर्यात लगभग 170 करोड़ रुपये मूल्य के 230 लाख मे० टन के होने का अनुमान है। वर्ष 1973–74 के लिए तत्स्थानी आंकड़े 243.9 लाख मे० टन मूल्य 146.15 करोड़ रुपये थे। इस वर्ष के दौरान मात्रा के दृष्टिकोण से निर्यातों में गिरावट के लिए जो कारण जिम्मेदार थे उनमें रेल हड़ताल तथा इसके पश्चातवर्ती प्रभाव, और बैलडिला खानों में हड़ताल शामिल है।

उत्पादन में विस्तार, रेल संचालन में सुधार और पत्तनों के विकास द्वारा निर्यात हेतु लौह अयस्क की प्राप्यता में वृद्धि करके 1975–76 के दौरान लोह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस उपायों के परिणामस्वरूप, 1975–76 के दौरान लोह अयस्क के निर्यात मात्रा तथा मूल्य दोनों दृष्टिकोणों से काफी ऊंचे होने की आशा है।

Export of Sugar

*79. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which sugar was exported during the last six months, the quantity exported to each of them and the rates charged therefor ; and

(b) the names of countries other than India which export sugar to international market on large scale ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) During the last six months (August, 1974 to January, 1975) 3,31,887 M/Ts. of raw and white sugar were exported to the folllowing countries :—

Countries	Qty. M/T.	
	Raw	White
U.K.	13,132	..
U.S.A.	14,000	..
Iran	3,500	88,897
Sudan	..	54,300
Morocco	..	22,500
Sri Lanka	..	20,708
Jordan	..	23,100
Egypt	..	11,550
Yemen	..	11,550
Maldives	..	400
Indonesia	..	56,600
Aden	..	11,550
	30,632	3,01,255

The prices differ from consignment to consignment depending upon the prevailing international price.

(b) The other major sugar exporting countries are Cuba, Brazil, Australia, Philippines, Dominican Republic, South Africa, Mauritius, Mexico, Taiwan, Argentina, Peru, Poland, Fiji, Thailand, Jamaica, Guyana, Swaziland, Colombia, Trinidad & Tabago, Barbados.

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के इलैक्ट्रीकल तथा मेंकेनिकल विभागों में प्रशिक्षार्थी

*80. **श्री राज देव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया के इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को उनके अपेक्षित प्रशिक्षण के बाद एयर इण्डिया और इंण्डियन एयर लाइन्स में ही रोजगार दे दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दोनों एयर लाइनों में एप्रेंटिसेज एक्ट, 1961, के अन्तर्गत क्रियात्मक प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों की संख्या निम्नप्रकार है :—

इण्डियन एयर लाइन्स . . .	91
एयर इण्डिया	11

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया एप्रेंटिसेज एक्ट 1961, के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उपर्युक्त प्रशिक्षणार्थियों को सेवा में खपा लेने के लिए बाध्य नहीं है। एक्ट के अनुसार सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद एक विशिष्ट अवधि के लिए क्रियात्मक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है ।

तस्करी के माल की खरीद

601. **श्री एस० एम० पुरती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों से यह अपील की है कि वे वास्तविक स्रोतों से भी तस्करी के सामान को न खरीदें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) तथा (ख) ऐसी कोई औपचारिक अपील जारी नहीं की गई थी, जैसी कि प्रश्न में उल्लिखित है। लेकिन, विदेशी माल की धुन को त्यागने की वांच्छनीयता पर जोर देने के लिए अवसर का लाभ उठाया गया है।

भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा डिप्टी कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउन्ट्स (भारतीय नौसेना) की छुरे मार कर हत्या

602. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व कर्मचारी ने जिसकी नियुक्ति गोआ में हुई थी और जिसे नोकरी से हटा दिया गया था, डिप्टी कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्टस (भारतीय नोसेना) को छुरे मार कर हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां तो उसे किस आधार पर नोकरी से निकाला गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) यह कहा गया है कि डिप्टी कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्टस (भारतीय नोसेना) को छुरे मार कर हत्या कर दी गई थी :

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थाई सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत लिपिक को नौकरी से निकाल दिया गया था ।

भारतीय रूई निगम के कार्यालय में एक फाइल का गुम हो जाना

603. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मार्किटिंग सोसायटी को तीन लाख रुपये के भुगतान से सम्बन्धित एक फाइल भारतीय रुई निगम के कार्यालय में गुम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फाइल के गुम होने के लिये उत्तरदायी अधिकारीयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों द्वारा मांगे गये ऊपरी खर्च की धन राशि

604. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंको द्वारा जिनके मुख्यालय विदेशों में है, मांगे जाने वाले ऊपरी खर्च की राशि की वास्तविकता का सत्यापन करने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का निश्चित रूप क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक विदेशी बैंक के मामले में इस व्यवस्था द्वारा क्या मूल्यांकन कार्य किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के ऊपरी खर्चों के सम्बन्ध में दावों की छन-बीन आय-कर अधिकारियों द्वारा बैंकों का कर निर्धारण करते समय की जाती है। इस प्रकार के दावों को तभी स्वीकार किया जाता है जब वे आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 37 में निर्धारित जांच पर सही उतरते हो।

इस सम्बन्ध में नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए हाल में कुछ उपाय किए गए हैं और कुछ विदेशी बेंकों के मामलों की व्यापक जांच शुरू की गयी है।

1973 से पूर्व रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विदेशी बैंकों को उनका आय-कर निर्धारण पूरे होने से पूर्व उनके प्रधान कार्यालय के व्यय को उसकी स्वीकार्यता के बारे में लेखा-परीक्षक के प्रमाण पत्रों के आधार पर विदेश भेजने की अनुमति दे देता था जिसमें शर्त यह होती थी कि वे बैंक आयकर-निर्धारण-आदेश बाद में प्रस्तुत कर देंगे और यदि यह पाया जाता था कि आय-कर अधिकारियों ने दावा की गयी पूरी रकम को स्वीकार नहीं किया है तो सम्बधित विदेशी बैंक द्वारा आवश्यक समायोजन करवाया जाता था। इस व्यवस्था को जनवरी 1973 से बन्द कर दिया गया है और अब इस प्रकार के व्ययप्रेषण की अनुमति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा तभी दी जाती है जब आय-कर निर्धारण पूरा हो चूका होता है और कर-निर्धारण का आदेश मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

जीवन निर्वाह सूचकांक

605. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीमाही में जीवन निर्वाह सूचकांक में कोई वृद्धि या कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिकों का जीवन निर्वाह सूचकांक (1960=100) जो सितम्बर, 1974 में 334 था, दिसम्बर 1974 में घट कर 326 रह गया, अर्थात् इसमें 2.4 प्रतिशत की कमी हुई।

पटियाला के समीप 'पुष्पक' विमान की दुर्घटना

606. **श्री वरके जार्ज** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी 1975 को पटियाला के समीप "पुष्पक" विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया था जिसमें प्रशिक्षक और कडेट की मृत्यू हो गई थी ;

(ख) विमान दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी राशि की सहायता दी गई ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ग) क्लब के नियमों में मृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए किसी प्रकार के मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। परन्तु सामान्यतया सहायता के लिए आवेदन विमान के मालिकों को भेजे जाते हैं। इस मामले में विमान पंजाब सरकार का था।

(घ) जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा दुर्घटना के कारणों के पता चल जाने के बाद इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए यथाआवश्यक उपचारी उपाय किये जायेंगे।

कनोई समूह की कम्पनियों के नियंत्रणाधीन ही वेयरहाउस द्वारा केन्द्रीय करों का अपवंचन

608. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मंत्री चाय कम्पनिओं द्वारा आयकर का अपवंचन के बारे में 20 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रश्न के भाग (ग) से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एकत्र की जा चुकी है यदि हां तो इसे सभा पटल पर कब रखा जाएगा।

(ख) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) से सम्बन्धित जानकारी दी जा चुकी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कनोई समूह की कम्पनियों के नियंत्रण और प्रबन्ध अधीन एक ही वेयरहाउस पर जानबूझ करके कर अपवंचन की सीमा का पता लगा लिया गया है ; और

(घ) यदि हां तो राज्य प्रवेश शुल्क के रुप में देयधन की तुलनात्मक राशियों सहित तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में जो सूचना पहले ही पेश की जा चुकी है उसकी एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—8945/75]**

(ग) कनोई समूह की कम्पनियों के नियंत्रण तथा प्रबन्ध के अधीन चाय गोदाम के विरुद्ध कर अपवंचन की कोई शिकायत नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

लोह अयस्क उत्पादक देशों की नई दिल्ली में हुई बैठक

609. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क का निर्यात करने वाले 14 देशों की तैयारी-समिति की हाल हीं में नई दिल्ली में हुई बैठक के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मंत्री-स्तर पर बैठक कब होने वाली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) लौह अयस्क निर्यातक देशों के ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों की प्ररम्भिक समिति की बैठक 13 जनवरी से 15 जनवरी 1975 तक नई दिल्ली में हुई जिसमें 11 देशों ने भाग लिया। समिति ने लौह अयस्क निर्यातक देशों के एक संगम की स्थापना करने हेतु करार के मसौदे को स्वीकार कर लिया जिसपर 2 तथा 3 अप्रैल 1975 को जेनेवा में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक में विचार किया जाएगा।

दार्जिलिंग और डीघा का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

610. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और डीघा नामक स्थलों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए कोई प्रयास किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल तथा वर्तमान पर्यटक बंगले का विस्तार कार्य जिसे चौथी योजना के दौरान प्रारम्भ किया गया था पांचवीं योजना के दौरान पूरा हो जाएगा। साधनों के सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण डीघा में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास कार्य को केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विमान दुर्घटना में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की मृत्यु

611. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी 1975 को एक विमान आकाश में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कौन-कौन से अधिकारी मारे गए और जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जी हां। 2 जनवरी 1975 को राय बरेली (उत्तर प्रदेश) के निकट मध्य प्रदेश सरकार का एक बोनाजा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिस के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के तीन वरीष्ठ अधिकारी तथा विमान-चालक मारे गए। केन्द्र सरकार ने दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

पेन्ट का निर्यात और पालिस्टर चिप्स का आयात

612. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेन्ट का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने मूल्य का कितना पेन्ट निर्यात किया गया ;

(ग) क्या देश में पोलिस्टर चिप्स का प्रयोग पेन्ट बनाने के लिया किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ङ) पेन्ट बनाने के लिए पोलिस्टर चीप्स के आयात के लिए गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितने लाइसेन्स जारी किये गये और ये लाईसेन्स किन्हें जारी किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

रंग रोगन सम्बन्धी मदों के निर्यात

(तैयार रंग-रोगन इनेमल, लैकर, वार्निश, चित्रकारी के रंग रिकाटिक्स (पैन्ट्स ड्रायर्स तथा मेस्टिक्स)

वर्ष	मात्रा (000 किग्रा०)	मूल्य (रु० लाख)
1971–72 . .	5044	256
1972–73 . . .	7562	420
1973–74	4614	278

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशक, कलकत्ता ।

विश्व बाजार में मन्दी और उसका भारतीय व्यापार पर प्रभाव

613. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में मन्दी आने लगी है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के सम्बन्ध में कितनी मन्दी आई है ; और

(ग) इसका (एक) भारत में मूल्य स्तर पर (दो) भारत के आयात व्यापार पर और (तीन) भारत के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पश्चमी उद्योगीकृत देशों के सामने अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत कम / नकारात्मक वृद्धि की स्थिति आ रही है । जब कि भिन्न देशों में भिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, इन अर्थ-व्यवस्थाओं में मांग में समग्र संकुचन की स्थिति बन गई है । यदि यह प्रवृत्ति एक लम्बी अवधि तक चलती है तो भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा । जब कि इससे सम्भवतः आन्तरिक कीमत स्तर और मुख्य आयातों पर प्रभाव न पड़े अनेक मदों के निर्यात में कमी आ जाएगी ।

पटसन कर्मचारियों की हड़ताल में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप

614. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों को हठधर्मी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के अप्रभावी हस्तक्षेप को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा पटसन कर्मचारियों की जनवरी, 1975 से आरम्भ होकर निरन्तर चल रही हड़ताल में हस्तक्षेप न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक विवादों के निपटाने के लिए समझौता करना सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसलिए केन्द्र सरकार ने इस मामले में अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। तथापि स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है ।

आर्थिक संकट ग्रस्त देशों को अमरीकी सहायता

615. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापी आर्थिक संकट की लपेट में आये निर्धन देशों के लिए अमरीका ने 200 करोड़ डालर की सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सूची में भारत भी लाभान्वित होगा; और

(ग) भारत को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) पता चला है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने चालू वित्त वर्ष में अपने पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देशों को अनाज सहायता के लिए 16000 लाख डालर की रकम निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त उनसे विकास सहायता के रूप में 11800 लाख डालर की रकम भी मिल सकेगी ।

(ख) और (ग) भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका ने इन राशियों से सम्बन्धित किसी अनाज सहायता या विकास सहायता करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात

616. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के आयात के लिए सोवियत संघ से सरकार ने कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इसे कब और कितनी कीमत पर दिया जाएगा ;

(घ) क्या किसी देश में अखबारी कागज की उन कीमतों में वृद्धि की है जिन पर भारत उसे आयात कर रहा है या आयात करने का उसका विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ के साथ जनवरी से मई, 1975 के दौरान डिलीवरी के लिए 22,000 मी० टन अखबारी कागज के आयात के लिए एक संविदा की है। कीमत पुख्ता तथा अन्तिम है और भारतीय रुपये में देय है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कनाडा के पूर्तिकर्ताओं ने 1-1-1975 से कीमत में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है ।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर के अधिग्रहण का निर्णय

617. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर का अधिग्रहण करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मिल के कार्यों की जांच करने के लिए 24 जनवरी, 1975 को एक जांच समिति नियुक्त की गई है और इसके प्रतिवदन की प्रतीक्षा है ।

कोचिन स्थित असैनिक हवाई अड्डा

618. **श्री वयालार रवि :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण का प्रश्न काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लेने में, विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण कार्य को यथा सम्भव शीघ्र प्रारम्भ करने और निर्माण कार्य प्रक्रिया में तीव्र गति लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) कोचीन में हवाई अड्डे के सम्भावित निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थल के चयन के लिए सर्वेक्षण कार्य करना पड़ा है जिसके लिए मामले के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच आवश्यक थी। सर्वेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तथा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिये जाने की आशा है।

बोईंग–737 विमानों के परिचालन के लिये कोचीन के नौसैनिक हवाई अड्डे के वर्तमान धावन-पथ के विस्तार का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

ग्रामीण विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

619. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने ग्रामीण विकास के लिए भारत को कोई ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋण भारत में ग्रामीण और डेरी विकास के लिये मंजूर किये गये तीन ऋणों में से ही एक है ; और

(ग) ऋण की मुख्य बातें क्या हैं और ऋण का किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत को कृषि व सिंचाई सम्बन्धि परियोजनाओं के लिए, जिनका मुख्य लक्ष्य ग्राम्य विकास है, ऋण दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ राजस्थान डेरी विकास परियोजना, मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना और सूखा-ग्रस्त परियोजना के लिए तीन ऋणों की बातचीत अक्टूबर 1974 में ही पूरी हो गयी थी। पहले दो ऋणों के समझौतों पर दिसम्बर, 1974 में और तीसरे ऋण के समझौते पर जनवरी, 1975 में हस्ताक्षर हो गये थे।

(ग) इन तीनों ऋणों की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	ऋण की रकम	उद्देश्य
राजस्थान डेरी विकास परियोजना	20.78 करोड़ रुपये (277 लाख डालर)	यह एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डेरी सहकारी समितियों और संघों का विकास करके गांवों में दूध का उत्पादन बढ़ाना है।
मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना	12.30 करोड़ रुपये (164 लाख डालर)	यह भी एकीकृत कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डेरी सहकारी समितियों और संघों का विकास करके गांवों में दूध का उत्पादन बढ़ाना है।
सूखग्रस्त क्षेत्रों में संबद्ध परियोजना	26.25 करोड़ रुपये (350 लाख डालर)	यह परियोजना देश के सूखे की संभावना से ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम का ही भाग है और यह छः जिलों अर्थात— आन्ध्र प्रदेश (अनन्तपुर), कर्नाटक (बीजापुर और नागौर) और महाराष्ट्र के (अहमदनगर और शोलापुर) कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लान और अन्य तत्सम्बन्धी अन्य गतिविधियों के लिए बनाया गया है।

ये सभी ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की आम शर्तों पर दिए गए हैं अर्थात इसकी वापसी 50 वर्ष में की जाएगी और इनकी अदायगी के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी इसके अलावा इन पर ब्याज नहीं लगेगा लेकिन इन पर 3/4 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से सेवा प्रभार देना होगा।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

620. श्री रानेन सेन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को अभी हाल में हुई हड़ताल का देश के विदेश व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस हड़ताल के कारण अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 16 से 20 जनवरी 1975 तक प्रमुख पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान मुख्यतः पो० ओ० एल० तथा खाद्यान्न वाले कुछ जहाजों को छोड़कर अन्य माल का लदान अथवा उतराई बिलकुल नहीं हो सकी। इस कारण आयात किया गया माल उतारने और निर्यात किया जाने वाला माल लादने में, विलम्ब हो गया। किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि हड़ताल के कारण कितनी अनुमानित हानि हुई।

स्वर्ण के अधिकृत मूल्य को समाप्त करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रस्ताव

621. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वर्ण के अधिकृत मूल्यों को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत की अर्थ व्यवस्था पर इस कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में, जनवरी, 1975 में वाशिंगटन में हुई गवरनर के बोर्ड की अन्तरिम समिति की बैठक में सोने के लिए भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा हुई थी। समिति ने फिर से जोर देकर कहा कि जितनी जल्दी हो सके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में विशेष निकासी अधिकारों को प्रमुख स्थान देने के लिए कदम उठाए जाएं। यह सामान्य रूप से तय किया गया कि सोने का सरकारी मूल्य समाप्त कर दिया जाय और सदस्य देशों द्वारा निधि को अनिवार्यतः दिये जाने वाले सोने की अदायगी भी समाप्त कर दी जायेगी। इन मामलों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नियमावली में संशोधनों के मसौदे पर, पैरिस में जून के शुरू में होने वाली अन्तरिम समिति की बैठक में चर्चा किये जाने की सम्भावना है। भारत की अर्थ-व्यवस्था पर तत्काल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

विदेशी ऋण के भुगतान संबंधी कार्यक्रम को पुनः बनाना

622. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा किस-किस देश का कितना-कितना ऋण दिया जाना है, ऋण के भुगतान की तिथियां क्या हैं और उनके ब्याज की दरें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा विदेशी ऋण के भुगतान सम्बन्धी कार्यक्रम को पुनः बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8946/75]**

(ख) और (ग) जी, नहीं, फिर भी, भारत को भारत सहायता संघ के सदस्यों से ऋण राहत प्राप्त हो रही है, जिसमें किसी हद तक इस कार्यक्रम को फिर से बनाया जाना भी शामिल है।

नियंन्त्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन करने के लिए मिलों पर दायित्व

623. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-मार्च, 1975 की तिमाही के लिए अधिक मात्रा में नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन करने सम्बन्धी दायित्व सरकार ने मिलों पर लगाया है ;

(ख) क्या निर्यात तथा नियंत्रित किस्म के कपड़े का संयुक्त दायित्व, जो अक्तूबर-दिसम्बर, 1974 की तिमाही के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया था अब चालू तिमाही के लिए 6 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जनवरी-मार्च 1975 की तिमाही के दौरान नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने के लिए मिलों का दायित्व, उनके पैक किये गये उत्पादन का 36 प्रतिशत अथवा अलग अलग मिलों द्वारा जुलाई/सितम्बर, 1974 के दौरान चलाई गई आठ घाटे की लूम शिफ्ट का 10.25 वर्ग गज, निर्धारित किया गया। 31-3-1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 80 करोड़ वर्ग गज नियंत्रित कपड़ा उत्पादन करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दायित्व को बढ़ाना आवश्यक हो गया है ।

अभ्रक के निर्यात के बारे में सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार-वार्ता

624. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के निर्यात के प्रश्न पर सोवियत संघ और चैकोस्लावाकिया के साथ अभी हाल में व्यापार वार्ता भंग हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जनता को काफी के पाउडर की बिक्री

625. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काफी डिपुओं और अन्य संवर्धन एककों के माध्यम से जनता को काफी के पाउडर की बिक्री करने के बारे में काफी बोर्ड ने अभी हाल में अपनी नीति को संशोधित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण नीति

626. श्री विजय पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कोयम्बतूर में कहा है कि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार उत्पादन उत्पादनोन्मुख ऋण नीति तैयार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में और जानकारी दी जा सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने, हाल ही में, कोयम्बतूर में "इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स" और उससे सम्बद्ध संस्थाओं को संबोधित करते हुए उत्पादनोन्मुख ऋण नीति की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऋण का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि जमाखोरी और सट्टे के लिए ।

उत्पादन विषयक आवश्यकताओं का मूल्यांकन वैज्ञानिक आधार पर सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अध्ययन दल नियुक्त किया जा चुका है, जो अन्य बातों के साथ साथ ऋणकर्ताओं से (1) व्यवसाय और उत्पादन योजनाओं तथा (2) इन योजनाओं से सम्बद्ध ऋण आवश्यकताओं के बारे में नियतकालिक पूर्वानुमान प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच करेगा और उनके बारे में सिफारिशें करेगा । इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि ऋणकर्ता की उत्पादन सम्बन्धी यथार्थ आवश्यकताओं से बैंक ऋण को जोड़ने और मूल्य-वृद्धि की प्रत्याशा में बड़ी मात्रा में माल का स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में बैंकों के प्रयासों को और बल प्राप्त हो । अध्ययन दल का विचार विमर्श अभी चल रहा है ।

सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों के समक्ष कार्यकारी निधि की कमी

627. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री वरके जार्ज :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के समक्ष कार्यकारी निधि की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक एककों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी ऋण नीति में किसी प्रकार की ढील देने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) क्या औद्योगिक एककों द्वारा जनता से अधिकाधिक ऋण लेने से जमाखोरी, सट्टाबाजी तथा मुद्रा स्फिति में वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो मुद्रा स्थिति- तथा जमाखोरी को रोकने तथा सरकारी के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) वर्तमान आर्थिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, ऋण नीति में ऋण फैलाव पर यथासम्भव अधिकतम नियंत्रण रखने पर जोर दिया गया है, किन्तु इसके साथ ही ऋण प्रदान में चयनात्मकता ला कर उसे इस प्रकार सुलभ करने का ध्यान रखा गया है कि निदेश जारी रहे, उत्पादन को बढ़ावा मिले और आवश्यक जिन्सों के बेहतर वितरण की सुविधा हो सके ।

4—2 LSS/75

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि उत्पादन संबंधी क्षेत्रों की यथार्त ऋण आवश्यकताओं को ऋण के द्रुत आवर्तन द्वारा पूरा किया जाय और बैंकों को चाहिए कि वे अलग अलग एककों की वित्तीय स्थिति और आवश्यक उत्पादन से सीधे सम्बन्ध उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं का अध्ययन करे।

जहां तक औद्योगिक एककों द्वारा सार्वजनिक ऋण लेने का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1963 से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, के अन्तर्गत इन एककों द्वारा जमायें जुटायें सम्बन्धी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। इस शक्ति के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिग कम्पनियोंको निदेश जारी किए हैं, जिनमें किसी कम्पनी द्वारा जुटाई जाने वाली जमाओं की राशि को जनता से एकत्र की गयी जमाओं के मामले में चुकता पूंजी तथा शुद्ध विमुक्त प्रारक्षितियों के जोड़ के 25 प्रतिशत, तक और निदेशकों द्वारा गारण्टी शुदा और-गैर-जमानती ऋण के रूप में जमाओं तथा शयर होल्डरों से प्राप्त जमाओं के विषय म चुकता पून्जी और शुद्ध विमुक्त प्रारक्षितियों के 15 प्रतिशत तक सीमीत कर दिया गया है। इन कम्पनियों को ऋण सुविधाएँ मंजूर करने के प्रश्न पर विचार करते समय बैंक इन कम्पनियों द्वारा जमाओं के रूप में जुटाई गयी राशि को भी ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता से जुटाई गयी जमाओं और बकिंग-व्यवसाय से ली गयी वित्तीय सहायता-दोनों की मात्रा केवल इतनी हो कि उससे इन कम्पनियों की मात्र उत्पादन संबंधी यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और इन निधियों का उपयोग जमाखोरी और सट्टबाजी के प्रयोजनों के लिए न किया जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों की लघू एककों को दी गई सहायता

628. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा विभिन्न राज्यों की लघु एककों को असमान रूप से सहायता दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान प्रत्यक राज्य द्वारा कितनी सहायता की मांग की गई और उन्ह कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों के अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमोंकी मात्रा अधिकतर आर्थिक कायकलाप के सामान्य स्तर और परिवहन, बिजली संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने, न होने से निर्धारित होती है। सरकारी क्षत्र के बैंकों का यह प्रयास रहता है कि सभी उत्पादक प्रयासों में सहायता दी जाय और छोटे पैमाने के उद्योगों सहित विभिन्न श्रणियों के ऋण-कर्त्ताओं को विशेष रुप से कम बैंक वाले और पिछड़े क्षत्रों में, ऋण देने के अपने कार्य को बढ़ाया जाय।

सरकारी क्षत्र के बैंकों द्वारा छोट पैमाने के उद्योगों को दिय गय अग्रिमों को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जून, 1973 और जून, 1974 तक बकाया रकम संलग्न सारिणी में दी गई है। मांगी गई सहायता सम्बन्धी आंकड़े बैंकों द्वारा पृथक रुप से नहीं रख जाते। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—8947/75]

आर्थिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

629. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री समर मुखर्जी :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा संरक्षा और तस्कर गतिविधियां निवारक अधिनियम के अधीन अब तक और विशेष रूप से वर्ष 1975 के दौरान नजरबन्द किए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) लेखा बाह्य धन रखने के विरुद्ध अभियान के एक अंग के रूप में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों और बरामद की गई सम्पत्तियों का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवर पत्र (अनुबन्ध-"क") संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8948/75]**

(ख) लेखा-बाह्य धन रखने के कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आयकर अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। आयकर विभाग द्वारा सन 1974 में ली गई तलाशियों में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य 1478 लाख रुपये है। आयकर विभाग द्वारा सन 1974 में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य के सम्बन्ध में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र वार सूचना संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध 'ख') में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8948/75]**

निर्यात ऋण के बारे में उच्च स्तरीय स्थायी समिति

630. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण के बारे में एक उच्च स्तरिय प्राप्त स्थायी समिति का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन तथा कृत्यों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह समिति कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह) : (क) तथा (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने निर्यात वित्त से सम्बन्धित एक स्थायी समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया . . .	अध्यक्ष
2. नियंत्रक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	सदस्य
3. अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक, निर्यात-ऋण तथा गारन्टी निगम, बम्बई	,,
4. अध्यक्ष, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी एसोसिएशन . .	,,
5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक प्रतिनिधि . .	,,
6. एक अनुभवी वाणिज्यिक बैंकर	,,
7. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	,,
8. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	,,
9. संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैंकिंग कार्य तथा विकास विभाग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	सदस्य सचिव

समिति निर्यात बिल से सम्बन्धित सभी मामलों में बोर्ड निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करेगी ।

(ग) समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है ।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

631. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक के महीनों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और पुलिस अधिकारियों द्वारा कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गयी ; और

(ख) उनके राज्यवार आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्र श्री प्रणब (कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

Government Accommodation for Employees of Income Tax Department in Pali

632. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Income tax officers and other employees working in the Pali headquarter in Pali District ;

(b) whether the employees of Income Tax Department have demanded construction of residential quarters there, if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether Government are aware that rents of houses are very high in Pali and residential accommodation is not available there ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) There are two income-tax Officers and 19 other employees in the Income-tax office at Pali.

(b) & (c) No representation has been received from Income-tax employees; nor has the housing problem at Pali been specifically brought to the notice of Government

जबलपुर के निकट बनाया गया हैलीपैड

633. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जनवरी, 1975 को जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हुए लोक सभा उप-चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान हैलिकोप्टरों के उतरने की सुविधा हेतु जबलपुर के आसपास बीस हैलीपैड बनाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर हैलीपैड बनाये गए थे और कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वित्त वर्ष 1974–75 के दौरान जबलपुर के आसपास न तो नागर विमानन विभाग ने और न ही भारतीय वायुसेना ने कोई हैलीपैड बनाया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में बरखास्त किए गए, नौकरी से हटाये गये और सेवा समाप्त किए गए कर्मचारी

634. **श्री बिनेश जोरबर :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 से लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कुल कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, उन्हें सेवा से हटाया गया और उनकी सेवाएं समाप्त की गई ;

(ख) इस बारे में राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनमें से किसी कर्मचारी को सेवा में वापस लिया गया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8949/75**]

धनराशियों को जुटाने के बारे में गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा किये गये कदाचार/धोखाधड़ी

635. **श्री दशरथ देव :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धन-राशियों को जुटाने के बारे में बहुत सी गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वार किये गये कदाचारों और धोखाधड़ी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई ; और

(ग) उन कम्पनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ शिकायतें मिली हैं, जो कुछ गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा देय तिथियों पर जमा रकमों अथवा उन पर ब्याज की अदायगी न करने के बारे में है। ऐसी कम्पनियों की सूची अनुबंध 'क' में दी गयी है [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—8950/75।**] कुछ और शिकायतें मिली हैं, जो कुछ विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही बेनिफिट/चिट फंड स्कीमों के लिए रुपया इकट्ठा करने के समय बरती गयी अनियमितताओं के बारे में हैं। ऐसी कम्पनियों की सूची अनुबन्ध 'ख' में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—8950/75।**]

(ग) जमा रकमें अथवा उन पर ब्याज का भुगतान देय तिथियों पर न करने से सम्बद्ध शिकायतों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि वे ऐसी शिकायतों को सम्बद्ध कम्पनियों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेज देते हैं और तत्पश्चात् सम्बद्ध कम्पनी से प्राप्त विवरण को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता को समुचित उत्तर दे दिया जाता है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने आगे यह भी बताया है कि कम्पनियों और जमाकर्ता व्यक्ति के बीच जमा संबंधी लेन-देन अनुबन्ध की शक्ल में होता है, जिसके भंग होने पर पीड़ित पार्टियों को सामान्य उपचारों का सहारा लेना पड़ता है।

जहां तक कतिपय विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा चलायो जा रहो बेनिफिट/चिट फण्ड स्कीमों के लिए रुपया जमा करते समय की गयो अनियमितताओं का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन कम्पनियों का यथावश्यक निरोक्षण किया गया है और जहां भी रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन का पता लगा है, रिजर्व बैंक द्वारा सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गयो है ।

इसी प्रकार, कम्पनो अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के उल्लंघनों का जब कभो पता चलता है तो कम्पनो कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जातो है और जब कभो आवश्यक होता है तो कम्पनी अधि-नियम, 1956 की धारा 209(4) के अंतर्गत ऐसो कम्पनियों के निरीक्षण के लिए आदेश भी दिय जाते है ।

भारतीय रुई निगम को रहस्यात्मक रुई सौद से हुई विदेशी मुद्रा की हानि

636. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री हरि किशोर सिंह

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1974 के समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर गया है कि भारतोय रुई निगम को रहस्यात्मक रुई सौदे से विदेशो मुद्रा को हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने समाचार देखा है । भारतीय रुई निगम ने ऐसा कोई सौदा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक से सहायता

637. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 1975 के लिए कितनी राशि के लिए बातचोत पूरो हो चुको है ; और

(ख) इन ऋणों का किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा 1974 में चम्बल (राजस्थान) सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपये (520 लाख डालर) की कुल सहायता (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दो गयी सहायता शामिल नहीं है) दो गयो थी । इस ऋण की रकम को राजस्थान, राज्य में मौजूदा चम्बल सिंचाई परियोजना के सिंचाई क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जायेगा ।

जहां तक 1975 का संबंध है, भारतोय कृषक उर्वरक सहकारो परियोजना के लिए, विश्व बैंक के साथ 81.75 करोड़ रुपये के (1090 लाख डालर) एक ऋण करार पर 24 जनवरो, 1975 को हस्ताक्षर किये गये । इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास फूलपुर में एक उर्वरक संयंत्र का नमूना, निर्माण किया जायेगा और उसे चालू किया जायेगा । इस संयंत्र की दैनिक क्षमता भारी ईंधन तेल से 900 मेट्रिक टन अमोनिया और लगभग 1500 मेट्रिक टन यूरिया तैयार करने की होगी ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा विश्व बैंक से चालू महीने में 67.50 करोड़ रुपये (900 लाख डालर) के ऋण के लिए बातचीत हो रही है ताकि निगम भारत में निजी क्षेत्र में उत्पादक निवेश के लिए सहायता दे सके। यह क्रम में ग्यारहवां ऋण है, जिनमें से दो ऋण इस समय चल रहे हैं।

इसके अलावा 1974 के दौरान भारत को औद्योगिक आयात, उर्वरक उत्पादन, डरो और कृषि परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 461 लाख डालर की राशि प्राप्त हुई थी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

638. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से चालू वर्ष के दौरान कोई सहायता मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

(i) संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन कार्यों के लिये अपने अंशदान के रूप में 5 करोड़ अमरीकी डालर का एक अनुदान ; और

(ii) 1974-75 के लिए सालों से भिन्न अनाज के अपने खाद्य सहायता कार्यक्रम के रूप में 150,000 टन गेहूं।

आयकर की बकाया राशि की वसूली

639. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिजली हाऊस, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली में रह रहे श्री कृष्ण मोहन की अभिग्रहण की गई अचल सम्पत्तियों का मूल्य उससे आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिये पर्याप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो आयकर की पूरी राशि वसूल करने के लिये क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं। लेकिन, अभिग्रहण की गई अचल सम्पत्तियों का मूल्य, निर्धारिती की तरफ बकाया विवादरहित आयकर को वसूल करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) अचल सम्पत्तियों के अभिग्रहण के अलावा, बकाया कर को वसूल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं :—

(1) निर्धारिती के मकान की तलाशी में पकड़ी गई 50 हजार रुपय की नकदी, उसकी और बकाया आयकर मांगों में समायोजित कर ली गयी।

(2) मार्च 1970 से जुलाई 1973 तक की अवधि में चौदह-चौदह हजार रु० की मासिक किस्तों में 5.60 लाख रु० वसूल हो गये हैं।

(3) जवाहर नगर, दिल्ली में एक जायदाद की बिक्री की 1.90 लाख रु० की रकम, 1970 में बकाया कर पेटे विनियोजित की गई थी ।

(4) बिक्री की रकम बकाया करों में समायोजित करने की शर्त के साथ निर्धारिती को सदर बाजार, दिल्ली स्थित एक सम्पत्ति बेचने की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके ।

(5) निर्धारिती की समझौता याचिका पर कार्यवाही हो रही है ।

(6) अपीलीय प्राधिकारियों से अनिर्णीत अपीलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।

ऋण प्रतिबन्धों से उद्योग को छूट देने के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

640. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऋण प्रतिबन्धों से कुछ उद्योगों को छूट देने का अनुरोध किया है अन्यथा इससे बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इस अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल ऋणों पर जो नियंत्रणात्मक उपाय चल रहे हैं, उनसे कुछ उद्योगों को मुक्त कराने के लिए सरकार को केरल सरकार से हाल ही में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अलबत्ता, जनवरी, 1974 में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री के लिखे गये पत्र में अन्य बातों के साथ यह आग्रह किया गया था कि वर्तमान ऋण नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि ऋण नीति में चयनात्मकता का समावेश हो सके । मुख्य मंत्री ने जो बात कही है वह पहिले ही सरकार की मान्य नीति का अंग है । 29 अक्टूबर, 1974 को, 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए नीति संबंधी उपायों की घोषणा करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फिर आग्रह किया है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण ऋण-निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है, किन्तु साथ ही ऋण देते समय चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि निवेश निरंतर होता रहे, उत्पादन में वृद्धि हो और आवश्यक वस्तुओं का वितरण भली प्रकार होने में सुविधा हो । बैंकों से कहा गया है कि बैंक निधि के दुर्लभ साधनों का लाभ, ऋण-कर्ता एककों को, न केवल उनके आकार के आधार पर बल्कि जिस प्रकार का उत्पादन वे कर रहे हैं उसके आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलना चाहिए । इस प्रकार कृषि वस्तुओं के वितरण सहित कृषि के लिए ऋण की आवश्यकताओं पर यथासंभव अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है । छोटे उद्योग को विशेष रूप से प्राथमिकता देने की नीति को लागू करने में और सुधार कर दिया गया है ताकि 10 लाख और उससे कम ऋण की सीमा जिन एककों के पास है और जो महत्वपूर्ण तथा वेज-गुड्स इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाते हैं, उन एककों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जा सके । सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्माणकर्ता एककों की कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा, जबकि गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र के एककों मुख्य रूप से (रासायनिक खाद, कीट-नाशक दवाएं और कृषि के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं, परिवहन और बिजली उपकरण और बुनियादी धातुओं और खनिजों का उत्पादन करने वाले एककों) को और आम जनता के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं (जैसे कपड़े की नियंत्रित किस्मों, खाद्य तेलों, चीनी आदि का उत्पादन करने वाले एककों को तरजीह दी जायगी ।

शत्रु सम्पत्तियों के लिये अनुग्रह पूर्वक मुआवजा

641. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1975 तक (1) पूर्व पाकिस्तान के प्रवासियों और (2) पश्चिम पाकिस्तान के प्रवासियों के लिये अलग अलग शत्रु सम्पत्तियों के बारे में अनुग्रहपूर्वक मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) (1) प्रवासियों के दोनों वर्गों द्वारा प्राप्त की गई मुआवजे की राशियां और (2) मंजूर की गई राशियां लेकिन जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया और (3) अभी तक विचाराधीन आवेदन-पत्रों के बारे में आंकड़े क्या हैं

(ग) कलकत्ता समिति द्वारा कितने मामलों पर विचार किया गया और (1) कितने आवेदन-पत्रों को मंजूर किया गया, (2) कितनी राशि मंजूर की गई, (3) कितनी राशि दी गई और (4) मंजूर मुआवजा किया गया जिसका अभी भुगतान बाकी है ;

(घ) क्या पूर्व पाकिस्तान प्रवासियों के आवेदकों के मामले लगभग पिछले दस वर्षों से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं ;

(ङ) क्या पश्चिम पाकिस्तान से आये लोगों के मामलों को शीघ्र निपटा दिया गया था परन्तु पूर्व पाकिस्तान से आये लोगों के मामलों को निपटाने में अत्याधिक विलम्ब किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं और पूर्व पाकिस्तान से आये लोगों के मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31 जनवरी, 1975 तक पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान से आये प्रवासियों द्वारा शत्रु सम्पत्ति के बारे में प्राप्त अनुग्रह-पूर्वक मुआवजा निम्नोक्त प्रकार था :—

(1) पूर्व पाकिस्तान	487
(2) पश्चिम पाकिस्तान	438
(ख) (1) 1. 31-1-75 तक पूर्व पाकिस्तान के दावेदारों को दी गई राशि	2,62,56,000 रु०
2. 31-1-75 तक पश्चिम पाकिस्तान के दावेदारों को दी गई राशि	1,43,10,000 रु०
(2) राशि जो मंजूर की गई है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	†17,40,000 रु०
(3) सरकार के विचाराधीन आवेदन पत्र (पैनल-केसों सहित)	203
(ग) पैनल द्वारा जिन मामलों पर विचार किया गया उनकी संख्या	208
(ग) (1) सत्यापित तथा मंत्रालय को भेजे गये आवेदन-पत्रों की संख्या	144
(2) मंजूर की गई राशि	13,71,697 रु०
(3) दी गई राशि	5,81,744 रु०
(4) मुआवजा जो मंजूर किया गया लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया	7,89,953 रु०

†इन मामलों में संबंधित दावेदारों से संबंधित इंडैमिनिटी बांडों तथा बिलों की प्रतीक्षा की जा रही है। 17,40,000 रु० का इस राशि में मद (ग) (4) में निर्दिष्ट पैनल मामलों के संबंध 7,89,953 रु० की राशि शामिल है ।

(घ) से (च) अनुग्रहपूर्वक अनुदान की योजना अप्रैल, 1971 को शुरू की गई थी। भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान से प्रवासियों के बीच अनुग्रहपूर्वक अनुदान से संबंधित उनके आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में कोई भेदभाव नहीं किया गया। दावों को यथा शीघ्र निपटाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

ब्रिटेन से ऋण

642. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटेन द्वारा भारत को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि में ब्रिटेन को ब्याज और सेवा शुल्क के रूप में कितनी राशि वापस कर दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अनुमोदित ऋण की रकम	निकाले गये ऋण की रकम	ब्याज की अदायगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1971-72 . .	98.10	91.42	19.01
1972-73 . .	103.50	119.34	19.50
1973-74	156.60	124.14	18.36

टिप्पणी : 1. ऊपर दिखाये गए अंक दिसम्बर, 1971 से पहले किये गये अनुमोदन और उपयोग के बारे में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि समता दरें और ब्याज की अदायगियां केन्द्रीय दरों के आधार पर दिखायी गयी हैं।

2. यू० के० द्वारा दिये गये ऋणों पर कोई भी सेवा व्यय देय नहीं होता है।

विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

643. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) बाटा शू कम्पनीज ; (2) इण्डिया टोबाको कम्पनी ; (3) आई० सी० आई० तथा सम्बद्ध कम्पनियों; (4) शाह वैलेस कम्पनी; तथा (5) युनियन कार्बाइड के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने के आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीकी सहायता के बारे में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत का वक्तव्य

644. **श्री नूरूल हुडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेवा निवृत्त होने वाले अमरीकी राजदूत श्री मोयनिहन के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरिकी सहायता की ऐसी शर्तें हैं कि कोई स्वाभिमानी देश अमरीकी सहायता नहीं लेना चाहेगा; और

(ख) एक अमरीकी राजदूत द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार शर्तों पर अमरीकी सहायता प्राप्त करने के बारे में स्थिति पर नये सिरे से विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकारने अमेरिका से सहायता विषय पर भारत-स्थित वहां के भूतपूर्व राजदूत द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रेस रिपोर्ट को देख लिया है। निर्णय लेने के पहले सरकार उचित समय पर सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करेगी।

कर्नाटक में 'बांदीपुर गेम सेंक्चुएरी' का विकास

645. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** :

श्री के० लकप्पा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में "बांदीपुर गेम सेंक्चुएरी" का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इसके विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। वन्य जीवन को देखने के लिये एक विश्राम गृह/फारेस्ट लाज का निर्माण तथा परिवहन की व्यवस्था प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं हैं।

(ख) जहां तक अरण्य में वन्य जीवों को देखने का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीययोजनावधि के दौरान राज्य सरकार को 42,000 रुपये की लागत से एक मिनि-बस पहले ही प्रदान की जा चूकी है।

बांदीपुर में विश्रामगृह के निर्माण कार्य पर मूलत: 7.22 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। नये निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगे होने के कारण इस प्रायोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(ग) धन राशि उपलब्ध होने की हालत में विश्रामगृह संबंधी योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के पश्चात भाग के दौरान प्रारंभ किया जा सका है।

तस्करी विरोधी अधियान में गिरफ्तार किये गये तस्करों की रिहाई

646. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तस्करी विरोधी अभियान में दिल्ली में गिरफ्तार किये गये सभी तस्करों को रिहा कर दिया गया है और इनमें से किसी तस्कर को दोबारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी विरोधी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 के अंतर्गत नजरबन्द किये गये सभी व्यक्तियों को बाद में रिहा कर दिया गया था। लेकिन जिन व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबन्दी के पर्याप्त आधार विद्यमान थे, उनको विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत फिर से नजरबन्द करने के लिये कदम उठाये गये। दिल्ली प्रशासन ने अभीतक ऐसे 7 व्यक्तियों के संबंध में नजरबन्दी के आदेश जारी कर दिये हैं।

Export of Cotton Textiles

647. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government want to pay greater attention to the export of cotton textiles during the Fifth Five Year Plan and whether an outline thereof has been prepared ;

(b) the number of countries with which talks have been held or are to be held in this regard ; and

(c) the date from which this scheme will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Government are paying greater attention to exports of cotton textiles during Fifth Five Year Plan. The Planning Commission had appointed a Task Force in 1973, to draw up the details in this regard. The Task Force has fixed an export target of 10,400 million metres for cotton cloth and 1,300 million kgs. for cotton yarn for the year 1978-79. This amounts to an increase of 32% over the actual exports during 1973.

(b) During 1974, talks have been held and agreements signed with U.S.A., Australia and Austria for exports of cotton textiles. On expiry of the earlier agreements, negotiations are progressing for new agreements with E.E.C., U. K. and Sweden and in the mean-time shipments are continuing under *ad hoc* arrangements. Apart from these India's export of cotton textiles to Bulgaria, Czechoslovakia, G.D.R., Hungary, Poland, Rumania, U.S.S.R. and D.P.R.K. are governed by the provisions made in the annual Trade Plans signed with these countries.

(c) There is no formal scheme, as such.

पाकिस्तान से कपास का आयात

648. श्री वसन्त साठे :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल ने पाकिस्तान से कपास के आयात के लिए पाकिस्तान काटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से किये गये इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत को रुई की दो लाख गांठें सप्लाई करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

Production of Controlled Cloth

649. **Dr. Laxminarayan Pandeya,** Will the Minister of **Commerce** be pleasde, to state :

(a) the quantity of controlled cloth produced for the use of common people during the year 1974 ; and

(b) the quantity of controlled cloth to be produced this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) , (a) 666 million square metres of controlled cloth were produced during the year 1974 (January to December 1974).

(b) In terms of the existing scheme, 800 million square metres of controlled cloth is to be produced per annuam.

पटसन श्रमिकों को देय महंगाई भत्ता

650. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन श्रमिकों को महंगाई भत्ते की देय राशि से वंचित करके भारत रक्षा नियमों को लागू करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते के संबंध में भारत रक्षा नियम के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किये हैं, परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 नवम्बर, 1974 के अपने आदेशों के अन्तर्गत उन सभी उद्योगों के श्रमिकों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि अधिसूचित की है जो वर्ष 1939 को आधार मानते हुए कलकत्ता क्षेत्र के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाती रही है।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन अवकाश

651. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में सभी पारियों के कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन के लिये अवकाश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्यान्ह भोजन अवकाश के दौरान मशीनें बन्द रहती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्यान्ह भोजन के अवकाश के समय मशीनों पर कौन काम करता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) लगातार चलने वाली मशीनें मध्यान्ह भोजन अवकाश के दौरान बंद नहीं होती हैं।

(ग) लगातार काम कर रहे कर्मचारी पर्यवेक्षकों से परामर्श करके पहले ही आपस में की गयी व्यवस्था के आधार पर •पारी प्रारम्भ होने के पश्चात् मध्यान्ह का भोजन करते हैं। जो कर्मचारी मध्यान्ह के भोजन के लिए नहीं जाता वह मशीन पर कार्य कर सकता है।

भारत अमरीका आयोग और अमरीकी सहायता

652. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत-अमरीका आयोग की मुख्य बातें क्या हैं और वित्त मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान अमरिका द्वारा ऋण तथा वस्तुओं के रूप में कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या भारत-अमरीका आयोग समझौतों तथा शर्तों के मामले में भारत सोवियत आयोग के समान है; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों में मुख्य अन्तर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) भारत-अमरीका संयुक्त आयोग, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच आर्थिक वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।

यद्यपि भारत-अमरीका और भारत सोवियत समझौतों की 21 शब्दावली और धाराओं में, इन देशों की आर्थिक स्थितियों के अनुसार अंतर है परन्तु दोनों समझौतों में आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। इसके अतिक्रित भारत-अमरीका संयुक्त आयोग में वाणिज्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी सहयोग की व्यवस्था है।

वित्त मंत्री की हाल ही की अमरीका यात्रा के दौरान कोई सहायता समझौता तय नहीं किया गया है।

भारत में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन

653. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी वस्त्रों के निर्यात की दृष्टि से भारत में ऊनी कपड़े के उत्पादन के आधार के विस्तार के लिए उन सप्लाई करने वाले एक प्रमुख देश का सहयोग लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है और उक्त सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) उनी माल के उत्पादन विस्तार और उसके निर्यातों का संवर्धन करने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया से सहयोग मागने का प्रश्न चाराधीन है। अन्तिम विनिश्चय अभी नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के लघु उद्योगों के विकास के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

654. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या वित्त मंत्री यही बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ़ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण के रुप में कितनी राशि दी; और

(ख) तत्सम्बन्धी बैंकवार और राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8951/75]**

पेंशन भोगियों को तदर्थ वृद्धि देना

655. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें परिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशन उपभोगियों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय संसाधनों पर वर्तमान दबाव के कारण इस अतिरिक्त भार को उठाना संभव नहीं पाया गया है और एतद्नुसार इस प्रश्न को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को रूई की बिक्री

656. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सरकार भारत को रुई बेचने के मामले में उपेक्षा दिखा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर रुई की गांठें भारत को आयात किये जाने की आशा थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत द्वारा आयात की जाने वाली रुई की कुल मात्रा 2 लाख गांठे है। कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से मेल खाती है।

कपड़ा मिल द्वारा घटिया किस्म के कपड़े का उत्पादन

657. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों द्वारा बनाया जाने वाला कपड़ा घटिया किस्म का होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रसाप सिंह) : (क) तथा (ख) कंट्रोल के कपड़े की क्वालिटी में पाई जाने वाली कुछ खामियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। परिणामत: वस्त्रआयुक्त की अनुमति के बिना मिलों को ग्रे लूम स्टेट में लट्ठे का उत्पादन करने का निषेध कर दिया गया है। कंट्रोल के कपड़े की बढ़िया क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए पहली मार्च 1975 से कंट्रोल के कपड़े से सम्बन्धित विशिष्टियों में भी संशोधन कर दिया गया है।

मछली नौकाओं का आयात

658. **श्री धामनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रों से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने तथा उनसे देश की निर्यात आय में वृद्धि करने की दृष्टि से तट दूर और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला बड़ी नौकाओं के आयात का विचार है;

(ख) क्या समुद्री उत्पादों के लिए बीमें की कोई सुविधा प्रदान की जाएगी और क्या समुद्र खाद्य पदार्थ निर्यातकों के लाभ हेतु मत्स्य बैंक और मत्स्य निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस उद्योग के छोटे तथा मध्यम उद्यमकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) देश की निर्यात आय में वृद्धि करने की दृष्टि से 50 मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात के लिए व्यवस्था की गई है। आशा है कि 18-24 महीनों का अवधि में आयात पूरे हो जायगें ।

(ख) रद्द किये जाने के जोखिम को छोड़ कर समुद्री उत्पादों के लिए बीमा सुविधा भारत में किसी भी बीमा कं० से उपलब्ध है। इस समय मत्स्य बैंक तथा मत्स्य निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि मछली पकड़ने का नौकाएं प्राप्त करने के लिए नौवहन विकास निधि से ऋणों से समुद्री खाद्य उद्योग की सहायता करने के लिए एक प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ग) मत्स्य उद्योग में छोटे तथा मध्यम उद्यमकर्त्ताओं को गैर-मशीनीकृत/मशीनीकृत नौकाओं के अपने कार्यों को चालू रखने हेतु मत्स्य उद्योग संबंधी अन्तर्निविष्ट साधनों के लिये राज्य सरकारों द्वारा ऋण/उपदान प्रदान किये जाते हैं। बड़े औद्योगिक गृहों को समुद्री उत्पादन उद्योग के विचार से केवल पिछड़े हुए तथा कम विकसित क्षेत्रों में संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाती है तथा उनके कार्यकलाप गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तक ही सीमित होते हैं और उनको केवल अपने आप पकड़ी हुई श्रिम्प तथा झींगा की निर्यात योग्य किस्मों को प्रोसैस करने की अनुमति दी जाती है।

इस्पात व्यापारियों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे

659. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1974 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा इस्पात फ़र्मों पर कई छापे मारे गए;

(ख) उनका नाम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा उनके विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) उन मामलों के समूहों के नाम, जिनमें तलाशियां ली गई थीं और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिए अनुसार है :

समूह का नाम	पकड़ी गई परि-सम्पत्तियों का मूल्य
	रुपये
(i) जिन्दल समूह	36,47,770
(ii) सुरेखा समूह	23,38,672
(iii) विशम्भर दयाल बद्री प्रसाद समूह	2,61,205
(iv) सेठ ओम प्रकाश समूह	1,70,084

(ग) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन, अघोषित आय का सरासरी तौर पर अनुमान लगाने और पकड़ी गई परिसंपत्तियों में से उतना अंश रोक रखने के लिए, जितना उक्त परिसम्पत्तियों पर कर-दायित्व तथा विभिन्न प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अधीन वर्तमान कर दायित्व की पूर्ति क लिए पर्याप्त होती हों, आदेश जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है ।

समूह का नाम	धारा 132(5) के अधीन जारी की गई मांग	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य, जो धारा 132(5) के अधीन मांग में विनियोजित किया गया है।
जिन्दल समूह	1,24,44,407	36,08,621
सुरेखा समूह	56,67,368	22,63,866
सेठ ओम प्रकाश समूह . . .	2,93,013	2,61,205
विशम्भर दयाल बद्री प्रसाद समूह . .	3,04,326	1,70,084

लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अधीन की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना इस्पात और खान मंत्रालय से एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

वित्तीय स्थानों में धन का अभाव

660. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों में धनका अभाव हो गया है;

(ख) इसके क्या कारण है तथा क्या इससे उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी हुई है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1974 तक के लिए ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है जिन पर स्वीकृति तो दी जा चुकी है किन्तु धन का वितरण नहीं किया जा सका ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्रों की संख्या तो बढ़ी हो है, पिछले कुछ दिनों में कई उद्योगों में, जैसे चीनी और वस्त्र उद्योगों में परियोजनाएं स्थापित करने की लागत बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आवेदकों की अखिल भारतीय, सरकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता की अपेक्षाएं भी बहुत काफी बढ़ गई है । इसके परिणामस्वरुप ऋणों की वापसी, बाजार-बांड़ों के निर्णय, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण आदि पर आश्रित रहने वाली अखिल भारतीय दीर्घकालीन वित्तीय सरकारी संस्थाएं कुछ समय से अपनी रुपया-साधनों में कुछ संकोच का अनुभव कर रही है ।

यद्यपि किसी विशेष समय पर हमेशा ऐसे अनेक आवेदन-पत्र अनिष्पादित पड़े रहते है, जिनके संबंध में मंजूरी हो जाने के पश्चात् भुगतान किया जाना शेष होता है, फिर भी भुगतान न किये जाने के कई कारण होते है, उद्हारणार्थ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर न होना, अवेक्कों द्वारा पर्याप्त प्रगति न करना, शेयर पंजी की वृद्धि, आयातित उपकरण प्राप्त न होना, आदि । किन्तु किसी असहायता के भुगतान के लिये देय हो जाने पर भी उसे केवल इस कारण नहीं रोका गया है कि वित्तीय संस्थाओं के नाम अपना दायित्व पूरा करने के लिए 31 दिसम्बर, 1974 को पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे ।

बैंकिंग विभाग को समाप्त करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये सुझाव

661. **श्री निम्बालकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग को समाप्त करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सुझावों को मंजूरी कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को यह सुझाव नहीं दिया है कि वित्त मंत्रालय, बैंक विभाग को समाप्त कर दिया जाय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Commodities Exported by M/s. J. B. Mangharam & Company, M/s. Jiwan Foods, Bombay Factory in Hyderabad and others

662. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 364 on the 6th December 1974 regarding commodities exported by M/s J. B. Mangharam and Company and state :

(a) the total production of M/s. J.B. Mangharam and Company, M/s. Jiwan Foods Bombay, (Factory in Hyderabad); M/s. Mangharam and sons Bombay (factory in Bangalore), M/s. International Foods, Bombay (factory in Hyderabad) during the years 1972-73 and 1973-74 and the quantity exported out of it; and

(b) the names of the countries to which exported and the foreign exchange earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Viswanath Pratap Singh) : (a) & (b) Export statistics are not maintained firmwise. Production of these units as reported to the Directorate General of Technical Development during the years 1972-73 and 1973-74 is given below :

Name of the firm	Production in tonnes	
	1972-73	1973-74
1. M/s. J. B. Mangharam & Co. Gwalior	937	1385
2. M/s. J. B. Mangharam & Co. Hyderabad	342	326
3. M/s. Jiwan Foods, Hyderabad	313	Not reported.
4. M/s. Mangharam & Sons, Bangalore	935	1126
5. M/s. International Foods, Hyderabad	Not reporting production to D.G.T.D.	

पूर्वी क्षेत्र में विमान द्वारा माल की ढुलाई को प्रोत्साहन देने की योजना

663. **श्री रामकंवर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विमान द्वारा माल की ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिये एक विशेष एयर कार्गो डिविजन की स्थापना करने के लिये सरकार योजना बना रही है;

(ख) क्या ईस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन ने विभिन्न एयरलाइनों, सरकार तथा अन्य संस्थाओं से इस समय की अपेक्षा विमान द्वारा अधिक निर्यात करने सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को ईस्ट इंडिया शिपर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) देश से विमान द्वारा निर्यात सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के अध्ययन एवं निराकरण के लिये वाणिज्य मंत्रालय में जून, 1974 में पहले से ही एक; उच्च स्तरीय स्थायी समिति (स्कोप-एयर) का गठन किया जा चुका है। यह समिति सभी क्षेत्रों की जिनमें पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है, समस्याओं से निपटेगी। अन्य संस्थाओं के साथ-साथ इस समिति में पर्यटन और नागर विमानन तथा एयर-इंडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) 1974 में ईस्टर्न इंडिया शिप्परर्ज़ एसोसियेशन ने सरकार तथा एयर-इंडिया के समक्ष निर्यात माल के लिये धारिता की कमी के बारे में अपनी समस्यायें रखी थीं।

ईस्टर्न इंडिया शिप्पर्ज़ एसोसियेशन से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तुरन्त निम्न उपाय किये गये :—

(i) एयर-इंडिया ने प्रति सप्ताह दो 10 'पैलिएट' उड़ानों का परिचालन किया और इस प्रकार बम्बई से 60 टन अतिरिक्त कार्गो क्षमता प्रदान की गई।

(ii) 23 अप्रेल, 1974 को एयर-इंडिया ने एक अतिरिक्त सैक्शन उड़ान का परिचालन किया और इस प्रकार कलकत्ता से 23, 423 किलोग्राम कार्गो उठाया गया।

(iii) 22 मई, 1974 को एयर-इंडिया ने एक और अतिरिक्त सैक्शन उड़ाने का परिचालन किया और इस प्रकार कलकत्ता से 27.905 किलोग्राम कार्गो उठाया गया।

इसके अतिरिक्त, एयर-इंडिया ने 1 अप्रैल, 1975 से प्रति सप्ताह दो केवल कार्गो 13 "पलिएट' उड़ानों के परिचालन की योजना बनायी है, जो भारत, मध्य-पूर्व यरोप और यू० के० बीच परिचालित होगी और इनमें 33-35 टन प्रति उड़ान की क्षमता होगी। इनमें उड़ाने एयर-इंडिया की सामान्य 747 परिचालनों, जिनमें प्रति उड़ान 20 टन कार्गो क्षमता रहती है, तथा य० के० के लिये 707 सेवाओं, जिनमें प्रति उड़ान 4 टन कार्गो क्षमता रहती है, के अतिरिक्त होंगी।

संकटग्रस्त चाय बागान

664. **श्रीराजराज सिंह देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संकटग्रस्त चाय बागानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या चाय उद्योग के निजी क्षेत्र ने सरकार को कहा है कि वह और बंद संकटग्रस्त चाय बागानों का पुन: खोलने तथा चलाने के लिए ऐजेंट के रुप में काम करने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से सरकार को प्राप्त हुई सूचना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जुलाई , 1972 में चाय बोर्ड द्वारा जारी की गई एक प्रश्नावली के उत्तर में देश में 125 चाय बागानों ने अपने विषय में अलाभकर (खस्ता हाल) होने का दावा किया था। इनमें से कोई भी सरकारी क्षेत्र में नहीं है। तथापि, हाल ही में किये ग आकलन से पता चलता है कि लगभग 43 खस्ता हाल बिन्द चाय बागान है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम के अधीन चाय उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा स्थापित एक समवाय, भारतीय चाय उद्योग विकास संघ ने सरकार को सूचित किया है कि वह अपने अंगीकृत सदस्यों के जरिये कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे चाय बागानों का प्रबंध अपने हाथ में लेने के लिये तैयार होगा जिनमें संभाव्य जीवन-क्षमता है।

इस सुझाव के फलितार्थों की जांच की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई साइजिंग मशीनें

665. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री आर० बी० बड़े :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1966 में जापान से 40 लाख रुपये के मूल्य की छह साइजिंग मशीनों का आयात किया था और उन्होंने सीमा शुल्क विभाग तथा गोदाम के लिये 70 लाख रुपये का भुगतान किया परन्तु निगम अभी तक इन मशीनों का निपटान नहीं कर सका है; और

(ख) मामले के तथ्य क्या है, कितनी हानि हुई और इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदार्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम ने रेएक्स (इंडिया) लि० की ओर से, जो सिल्क तथा रेयान निर्यात संवर्धन परिषद की एक फर्म है, 1965 म 43 लाख रु० मूल्य की 6 साइजिंग मशीनें आयात की थी। आज तक राज्य व्यापार निगम ने सीमा शुल्क, गोदाम प्रभार, बीमा आदि की वजह से 68 लाख रुपये खर्च किये है। ये मशीनें अभी तक बेची नहीं जा सकी क्योंकि मशीनों के लिए आयातक कम्पनी भुगतान करने में असमर्थ थी तथा बाद में इस उद्योग के अन्य एककों को बचने में कानूनी कठिनाइयां सामने आई।

(ख) इन मशीनों को शीघ्र ही बेचने के लिए उपाय कर लिये गये हैं। हानियों का अनुमान लगाने तथा जिम्मेदार ठहराने के संबंध में प्रश्न केवल मशीनों बेचन जाने के पश्चात् ही उठेगा।

संकटग्रस्त पटसन मिलें

666. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में कुछ पटसन मिलें संकट-ग्रस्त घोषित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त मिलों को अपने हाथ में ले लिया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों को निर्यात ऋण के लिये पुर्नवित्त की शर्तें उदार बनाना

667. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंकों द्वारा निर्यात ऋण के लिये पुर्नवित्त की शर्तों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस समय इनमें छूट देने के लिये कोई निर्धारित नियम नहीं हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) निर्यात क्षेत्र की ऋण सम्बन्ध आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर, उचित पुनर्वित्त सुविधाओं की व्यवस्था सहित अन्य उपाय किये जाते हैं ताकि निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा में और ब्याज की न्याय संगत दरों पर ऋण की सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों को यह बता दिया है कि निर्यात के प्रयासों में कोई ढील नहीं होनी चाहिए और इसलिए निर्यात-ऋणों की विशेष आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता मिलती रहनी चाहिये। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की बड़े बैंकों के साथ 1974-75 के व्यस्त मौसम के वास्ते उनके ऋण सम्बन्धी बजटों के बारे में हुई चर्चा के समय, निर्यात-ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में विशेष रुप से विचार किया गया था।

हाल ही में, रिजर्व बैंक व एक स्थायी समिति का भी गठन किया है, जो निर्यात-वित्त सम्बन्धी सभी मामलों में नीति निर्धारक निकाय के रुप में काम करेगी।

तस्करों के विरुद्ध कारगर अभियान चलाने के लिये संगठनात्मक परिवर्तन

668. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री पी० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तस्करों के विरूद्ध अभियान में कुछ ढील दी गई है और गत दो महीनों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या पहले चार महीनों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से बहुत कम है ;

(ख) क्या सरकार ने संदेहास्पद आचरण वाले कुछ अधिकारियों को दंड दे कर और प्रवर्तन कर्मचारियों में सुधार करके तस्करों के विरुद्ध अभियान को अधिक कारगर बनाने के लिये कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किये हैं; और

(ग) क्या अर्थव्यवस्था पर पहले अभियान के प्रभाव का मूल्याकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं; तस्कर-व्यापारियों के विरुद्ध अभियान में ढील नहीं दी गयी है। लेकिन, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी-क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नजरबंदी के आदेश जारी किये गये हैं उनकी संख्या इस समय उन व्यक्तियों की संख्या से कुछ कम है जिनके विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के अधीन नजरबंदी के आदेश दिये गये थे। नजरबन्दी के पिछले मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों तथा सलाहकार परिषदों के अभिमतों को ध्यान में रखते हुए इस नये अधिनियम के अन्तर्गत केवल उन व्यक्तियों को नजरबन्द किये जाने के आदेश दिये गये है जिन्हे नजरबन्द करने के पर्याप्त कारण विद्यमान थे।

(ख) जिन अधिकारियों की ईमानदारी में संदेह था तथा जिनमें प्रेरणा और नैतृत्व की कमी पाई गई उन्हें संवेदी (सेन्सीटिव) स्थलों से स्थानान्तरित कर दिया गया है। ऐसे अधिकारियों को, नियमों के अन्तर्गत जहां कहीं भी संभव है, अनिवार्य रुप से सेवा-निवृत्त करने के उपाय किये गये है और साथ ही जिन मामलों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है उनमें इस्तगासे की कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) इस अभियान के परिणामत: तस्कर व्यापारियों के गिरोहों के मुख्य भारतीय सम्पर्क समाप्त कर दिये गये है और तस्करी की गतिविधियों को रोक दिया गया है। देश में निषिद्ध माल का आना भी कम हो गया है। भारत के बड़े-बड़े शहरों तथा कस्बों में तस्करी के माल का खुले आम प्रदर्शन भी बहुत कम हो गया है। परिणामत: तस्करी की वस्तुओं जैसे विदेशी शराब, सिगरेट, वस्त्र तथा घड़ियों के मूल्य बढ़ गये है।

विदेशी बैंकों द्वारा आयकर का अपवंचन

669. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कोई विदेशी बैंक अपने पर बकाया आयकर की पूरी राशि का भुगतान न करने के दोषी पाये गये है ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या है और प्रत्येक बैंक पर क्रमशः वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में आयकर की राशि वसूल करने के लिये अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षो अर्थात् 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में किये गये कर निर्धारणों के आधार पर उस की तरफ बकाया आयकर की पूरी रकम अदा नहीं करने के लिये किसी भी विदेशी बेंक को दोषी नहीं पाया गया है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते है।

गोविन्द सागर झील (हिमाचल प्रदेश) के लिए मोटर नौकाएं

670. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविन्द सागर झील के लिये मोटर नौकाओं के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) नौकाओं के निर्माण के लिये पहली बार दिये गये आदेशों के बाद लगभग पांचवर्ष का विलम्ब होने के क्या कारण है और क्या ठेके में इतनी देरी होने पर किसी जुर्माने की शर्त है ; और

(ग) झील में उपयोग के लिये, उक्त नौकाएं किस निश्चित तिथि तक तैयार हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : नौकाओं, लौंचों के पेटों (हल) के पूर्व-निर्मित हिस्से स्थल पर पहले ही पहुच चुके है। हल को जोड़ने के प्राथमिक प्रबन्ध गत मास पूरे किये गये। निर्माती कम्पनी (जो सरकारी उद्यम है) के इन्जीनियरों के लगभग एक सप्ताह भर में स्थल पर जोड़-कार्य (असेम्बिलिंग) के लिये रवाना होने की आशा है। पेटों (हल्ज़) के अप्रैल, 1975 तक जुड़ कर तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) आर्डर मई 1971 में दिया गया था। डिलिवरी की संशोधित अनुसूचित तारीख 28-2-73 थी। निर्माण में विलम्ब निम्नकारणों से हुआ :--

(i) डाक यार्ड के विकास कार्य के चालू होने के कारण कम्पनी के पास निर्माण प्रारम्भ करने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। निर्माण कार्य वस्तुतः 1972 के अन्त में आरम्भ हुआ।

(ii) पावर कटौती, लोड-शेडिंग तथा ऐसीटिलीन गैस की कमी से प्रगती में बाधा पहुंची।

(iii) पेटों (हल्ज़) के पूर्वनिर्मित हिस्सों के स्थल तक रेल द्वारा परिवहन में काफी समय लग गया क्योंकि इसके लिये तीन प्राधिकरणों अर्थात्, कलकत्ता पोर्ट, पूर्वी रेलवे तथा उत्तरी रेलवे की अनुमति ली जानी थी।

(iv) यद्यपि पूर्व निर्मित हिस्से स्थल पर मार्च 1974 में पहुंच गये थे वहां गत मौनसून में कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

करार में कतिपय परिस्थितियों में विलम्ब होने पर दण्ड की व्यवस्था है।

(ग) अगर इंजन अप्रैल 1975 तक प्राप्त हो जाये तो लौंचों के सभी प्रकार से जुलाई/अगस्त, 1975 तक पूरा हो जाने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

671. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त राज्य में और अधिक शाखायें खोली जायेंगी ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है तथा उसे स्वीकृति मिल गई है लेकिन वहां अभी तक शाखाएं खोली नहीं गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कैलेंडर वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गयी नई शाखाओं की केन्द्रवार सूची अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अंत तक, हिमाचल प्रदेश म कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 16 लाइसेंसआबंटन पत्र थे।

(ग) जिन केन्द्रों से इन लाइसेंसों/आबंटन पत्रों का सम्बन्ध है, उनके नामों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

कैलेंडर वर्ष 1974 में, हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जिन केन्द्रों में कार्यालय खोले गये है, उनकी सूची

जिला	केन्द्र
चम्बा	बाथरी
	मेहला
	सिहुन्ता
किन्नौर	पेओ
कांगड़ा	पचरखी
	नेग्रोटा सूरिआं
	मालोदगंज
कुलु	मनाली
	नाग्गार
	कटाराइन
लाहौल और स्थिति	काज़ा
मंडी	आऊट
	मण्डी (2 कार्यालय)

जिला	केन्द्र
सोलन	सीनोवा लारेंस स्कूल सोलन
शिमला	शिमला
सिरमूर	राजबन

आयत लाऊसेंस देना

672. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन पार्टियों/फर्मों को चालू वित्तीय वर्ष में आयात लाइसेंस दिये गये है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक आयात लाइसेंस कितने मूल्य का है ; और

(ग) उन फर्मो/पार्टियों के नाम क्या है जिन के मामले गत तीन वर्षों में रद्द किये गये है और प्रत्येक मामले को रद्द किये जाने के कारण क्या है ?

अ **वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) तथा (ख) जारी किए गए सभी ायात लाइसेंसों का ब्यौरा, जिसमें पार्टी/फर्म का नाम तथा पता, प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य आदि होता "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसिसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशि त किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) उन फर्मों/पार्टियों के नामों के संम्बन्ध में जानकारी, जिनके मामले विगत तीन वर्षो के दौरान अस्वीकार कर दिए गए तथा प्रत्येक मामले में अस्वीकार करने कें कारण, नहीं रखे जाते । तथापि, वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-1974 के दौरान आयात नीति की दृष्टि से अस्वीकार किए गए कुल आयात आवेदन पत्न क्रमश: 32,567; 34,630 तथा 39,725 थे ।

आय-कर अधिकारियों द्वारा टेलिविजन और वातानुकूलक व्यापारियों को क्रेताओं की सूची प्रस्तुत करने का निदेश

673. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, अमृतसर के अधीन आयकर अधिकारियों ने टेलीविजन सेटो, वातानुकलकों कारों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापारियों को विक्रेताओं की सूचियां प्रस्तुत करने के लिये कहा था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि सूचियां प्राप्त हो गई है तो उन पर आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्राबय मे राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) आयकर आयुक्त, अमृतसर के अधिकार क्षेत्र के आयकर अधिकारियों द्वारा टेलिविजनों, रेफ्रीजरेटरों तथा कारों के खरीददारों की सूचियां मंगवाई थी ।

(ख) उन सूचियों से—

(i) 2842 नए टलिविजन सेट खरीदने ;

(ii) 1457 नए रेफ्रीजरेटर खरीदने ;

(iii) 527 कारें खरीदने के मामलों का पता चला ।

इन खरीदारियों को लेखा पुस्तकों में अथवा अन्यथा हिसाब में दिखाया गया है अथवा नहीं, इसको जांच की जा रही है ।

तस्कर नौका को पकड़ने के लिये पनडुब्बी का उपयोग

674. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह तस्कर नौका को पकड़ने के लिये पनडुब्बी के उपयोग के बारे में 19 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न के संख्या 546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 नवम्बर, 1974 को पकड़ी गई तस्करनौका के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) नाखुदा और नाव के कर्मीदल के सदस्यों के द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर, कर्मीदल के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया और उनके विरूद्ध इस्तेगासे की कार्यवाही जारी है ।

विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही में अवैध माल, जिसमें विदेशी-मुद्रा तथा नाव भी शामिल हैं और जिनका कुल मूल्य 16 लाख रूपये से अधिक है, पूर्वतः जब्त किया गया है । नाखुदा पर 5,000 रुपये का दण्ड और कर्मीदल के शेष सदस्यों में से प्रत्येक पर 500 रुपये का दण्ड भी लगाया है ।

I.T.D.C. Offices in Foreign Countries

675. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the places in foreign countries where the India Tourism Development Corporation has its offices and the annual expenditure incurred on each of them during the last three years, year-sise ; and

(b) whether the said offices have been successful in attracting tourists ?

The Minister of State in the Ministy of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) India Tourism Development Corporation have no office in foreign countries.

Demonstration by Employees and Officers of L.I.C. in Bihar

676. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether sometime back some employees and officers of the Life Insurance Corporation in Bihar staged a demonstration or strike over travelling allowance, transport allowance and other demands; and

(b) if so, the particulars of their demands and the decision taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) No specific information about demonstration or strike by LIC Employees and officers in Bihar has been received by LIC.

(b) The demands of Class I and Class II Officers of LIC mainly relate to upward revision of their pay/allowances etc. These are under consideration.

Orders placed on M.M.T.C. for supply of Mica

677. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries which placed orders on the Minerals and Metals Trading Corporation and private traders for supply for Mica this year indicating the quantum of each order ;

(b) whether the trade delegation of the Soviet Union returned without placing any order ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government to export Mica to the Soviet Union ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Patap Singh) : (a) A statement is attached.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Statement

Sl. No.	Country	Value of contracts made for supply of processed mica from 1-4-74 to 21-1-75 (Rs. lakhs)
1	Belgium	28.22
2	Bulgaria	29.01
3	Czechoslavakia	66.54
4	France	262.49
5	G.D.R.	98.24
6	Italy	25.65
7	Japan	78.51
8	Korea	13.79
9	Poland	41.97
10	Rumania	114.32
11	Spain	16.55
12	U.K.	93.95
13	U.S.A.	236.59
14	U.S.S.R.	20.43
15	West Germany	44.44
16	Other countries	46.70
	TOTAL	1,217.40

Arrears of Income Tax against Film Stars

678. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first ten Indian film stars who pay the maximum amount of Income-tax and the amount of Income-tax paid by them during the last year ; and

(b) the names of the first ten film stars against whom the maximum amount of Income-tax is outstanding indicating the arrears of Income-tax against each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The names of the first 10 Indian film stars against whom maximum amount of Income-tax demand was raised during financial year 1973-74 and the amount of Income-tax paid by them during that year are given in Annexure 'A'. [*Placed in the Library. See No. L. T.*—8952/75]

(b) The requisite information as on 31-12-1974 is given in Annexure 'B' [*Placed in the Library.* See *No. L.T.*—8952/75]

रात्रि उड़ानों के कार्यक्रमों को पुनरिक्षित करने की योजना

679. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रात्रि उड़ानों के कार्यक्रम के पुनरीक्षित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है तथा इसके कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस का कुछ महानगरों के बीच 0200 से 0500 बजे के बीच रात्रिकालीन/प्रातः कालीन सेवाओं के परिचालन की योजना है ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस को नवम्बर, 1975 में दो और बोइंग 737 विमान मिलने की आशा है। तब कारपोरेशन के लिये दिल्ली/बम्बई, बम्बई/कलकत्ता और संभवतः बम्बई/मद्रास के लिये प्रस्तावित रात्रिकालीन विमान सेवायें प्रारंभ करना संभव हो सकेगा ।

औद्योगिक आयात के लिये विश्व बैंक ऋण

680. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने वर्ष 1974 तथा 1975 के दौरान औद्योगिक आयात के लिये कुल कितना ऋण स्वीकृत किया और इसमें से कितना प्राप्त हुआ ; और

(ख) इन ऋणों की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में औद्योगिक एककों को आवश्यक कच्चे माल, मशीनी हिस्सों और फालतू पुर्जे का आयात का खर्च पूरा करने के लिए भारत ने 29 मई, 1974 का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक की नरम शर्तों पर ऋणदात्री सम्बन्ध संस्था के साथ 112.50 करोड़ रुपये (1500 लाख डालर) के लिए करार किया था। यह ऋण जनवरी, 1975 के अन्त तक पुरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया था ।

इसी प्रकार 75 करोड़ रुपये (1000 लाख डालर) की रकम के एक और ऋण की मंजूरी विश्व बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा 11 फरवरी, 1975 को दी जा चुकी है । बिजली पैदा करने वाले उपकरणों और बायलरों के लिए इसका इस्तेमाल किये जाने के अलावा इस ऋण का उपयोग भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा जिनमें पहले ऋण का किया गया था ।

(ख) दोनों ऋणों पर कोई ब्याज नहीं है, लेकिन इन पर केवल 1 प्रतिशत का $\frac{3}{4}$ भाग सेवा प्रभार के रूप में देय होगा। ये ऋण 10 वर्षों की रियायती अवधि के साथ साथ 50 वर्षों में वापस अदा किये जाने है।

तस्करी संबंधी गतिविधियों का पुनः जोर पकड़ना

681. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर पुनः अपने दल बना रह है ;

(ख) क्या कुछ चोटी के तस्कर अभी तक नहीं पकड़ गये और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) प्रतिदिन करोड़ों रुपयों के मूल्य का सामान सीमाशुल्क अधिकारियों से बचाकर कैसे भारत में लाया जाता रहा तथा इतना कम माल पकड़े जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि तस्कर व्यापारी फिर से अपने दल बना रहे हैं। जिन 500 से अधिक चोटी के तस्कर व्यापारियों के विरूद्ध, उनकी नजरबन्दी का आदेश देने के लिये पर्याप्त सामग्री विद्यमान है उन्हें नजरबन्द करने के आदेश दिये गये है तथा और अधिक तस्कर व्यापारियों को नजरबन्द किया जा रहा है।

(ग) देश में तस्कर आयात की मात्रा का अनुमान लगाने के कोई विश्वसनीय साधन नहीं हैं। परन्तु, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभिग्रहणों की संख्या लगातार बढती रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

1971 .	20.83 करोड़ रु०
1972 .	27.91 करोड़ रु०
1973 . . .	35.48 करोड़ रु०
1974 . . .	55.93 करोड़ रु० (अनन्तिम)

निर्यात के लिये उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया

682. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात के लिए उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु उठाये गये कदम तथा उनकी मुख्य विशेषताएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस तथा पूंजीगत माल के आयात आवेदनपत्रों को जिनमें उत्पादन का 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निर्यातों की व्यवस्था करने वाले आवेदनपत्र भी शामिल हैं, प्रोसेस करने तथा निपटाने की प्रक्रिया को 1 नवम्बर, 1973 को औद्योगिक अनुमोदनों संबंधी सचिवालय की स्थापना करके सरल एवं कारगर बनाया गया। नई प्रणाली का मूल उद्देश्य आवेदनपत्रों को 90 दिन अथवा 120 दिन (मिश्रित मामले) तथा एकाधिकार प्रतिबंधित यापार व्यवहार मामलों

के संबध में 150 दिन के भीतर निपटाना है । अभी हाल ही में किये गये वार्षिक अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह सचिवालय इन समयावधियों में आवेदन पत्रों को निपटाने में बहुत ही सफल रहा है ।

2. ऐसे औद्योगिक लाइसेंस आवेदनपत्रों पर जिनमें उत्पादन का 60 प्रतिशत अथवा अधिक भाग निर्यातों के लिए पेश किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है । जिन निर्यात अभियुक्त अभिमुख मामले को यथासम्भव शीघ्र निपटाने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है तथापि निर्धारित समयावधि के भीतर न निपटाये गये मामलों की स्थिति निर्यात उद्योग संम्बधी मंत्रिमडल समिति को हर महीने बताई जाती है और मंत्रिमण्डल समिति द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

3. इसके अलावा निर्यात संवर्धन हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें पूंजीगत माल, कच्चे माल आदि के आयात करने के लिए निर्यात अभिमुख औद्योगिक एककों को उदार सहायता देना शामिल है । मुख्य विशेषताएं निम्नोत्त प्रकार हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातित उत्पादों में प्रयुक्त आयातित सामग्री की प्रक्षिपूर्ति के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जाते हैं । ये लाइसेंस इसलिये जारी किये जाते हैं कि आयात क अत्यधिक पसंद के स्रोतों से आयात कर सकें ।

(2) विनिर्मातानिर्यातक को आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस में आने वाली मदों का आयात करने में ढील दी जाती है बशर्ते कि लाइसेंस तथा वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस एक ही "उत्पाद ग्रुप" से सबंधित हों तथा आयात की अनुमति देते समय मे वास्तविक प्रयोक्ता को व मदें अन्यथा अनुभेय हो ।

(3) कुछ वार्गीकृत मदों के संबंध में निर्यातको को प्राधिकारपत्र के आधार पर सीधे आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए स्वदेशी माल की सप्लाई की एक योजना है ।

4. निर्यात अभिमुख औद्योगिक एककों को सहायता देने के लिए इस वर्ष एक योजना शुरू की गई है जिससे राज्य सरकारो के निर्यात निगम इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र सुविधाए स्थापित कर सकें । निर्यात निगमों को अग्रिम लाइसेंस दिये जायेंग जिससे व लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यातको के लिए कच्चा माल बैंकों के रूप में कार्य कर सकें ।

5. औद्योगिक एककों को संयंत्र तथा मशीने आयात करने हेतु अपने आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसो का एक भाग इस्तेमाल करने की भी सुविधा प्रदान की गई है ।

6. वास्तविक प्रयोक्ताओं से संबंधित नीति में अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने वाले एककों के लिए अपने निर्यात उत्पादन के और आगे विस्तार हेतु तथा सप्लाई के पसंद वाले स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं के आयात हेतू अधिमानयुक्त व्यवहार की भी व्यवस्था है ।

7. लघु उद्योग, जो अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा अधिक भाग निर्यात करते हैं, वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत पूर्णतः मुक्त विदेशी मुद्रासे कच्चा माल तथा संघटक आयात कर सकते है । अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत अथवा अधिक लेकिन 25 प्रतिशत से कम भाग निर्यात करने वाले लघु एकक मुक्त विदेशी मुद्रा से दो तिहाई मूल्य के लिए (कम से कम 5000 रुपये की शर्त पर) तथा शेष ब्रिटिश ऋण से वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस प्राप्त कर सकते है ।

कृषि के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मनीपुर और मेंघालय में दिया गया ऋण

683. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने गत तीन वर्षों में कृषि कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मनीपुर, और मेघालय में कितना ऋण दिया ; और

(ख) उन सामान्य कृषि योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये उक्त अवधि में उक्त राज्यों में ऋण मंजूर किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों में पिछले तीन वर्षों में भारतीय स्टेट बक समूह के कृषि अग्रिमों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	निम्नलिखित को समाप्त भारतीय स्टेट बैंक समूह के बकाया कृषि अग्रिम		
	जून, 1972	जून, 1973	जून, 1974
पश्चिम बंगाल	146.0	193.5	314.8
असम	62.0	59.1	69.1
त्रिपुरा	1.0	0.1	0.1
मणिपुर	1.0	0.5	0.5
मेघालय	1.0	10.6	12.2

(आकड़े अनन्तिम है)

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक, कृषि कार्यों और तत्सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए ऋणों की व्यवस्था करते हैं। इनमें, अल्पकालीन फसल-ऋण, छोटे सिंचाई कार्यों के लिए आवधिक ऋण, कृषि मशीनों और अन्य उपकारणों की खरीद तथा भूमि के विकास के लिए ऋण, और डेरी, मुर्गी-मछली पालन और अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए ऋण जैसे प्रत्येक्ष कृषि ऋण शामिल हैं। अप्रत्यक्ष कृषि ऋणों में, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को ऋण, रासायनिक खाद और अन्य कृषि वस्तुओं का व्यापार करने वालों को ऋण, कृषि-सेवा केन्द्रों को और नलकूपों तथा पम्प सेटों को बिजली देने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को ऋण शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, बिहार तथा मेघालय में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

684. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, बिहार तथा मेघालय में कृषि के विकास के लिए स्टेट बक आफ़ इण्डिया के अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि दी गयी ; और

(ख) बैंक-वार तथा राज्य-वार तत्सम्बन्धी आंकडे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8953/75]

भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं और लौह अयस्क का पाकिस्तान को निर्यात

685. श्री एम० एम० जोजफ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से रुई आयात करने के भारत के इरादे की प्रतिक्रियास्वरूप उस देश ने भी भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं, कुछ पटसन और कराची में रुसी सहयोग से निर्माणाधीन अपने इस्पात कारखाने के लिये लौह-अयस्क का आयात करने के सम्बन्ध में रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सौदा किस हिसाब से तय होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पारस्परिक व्यापार की शुरुआत के लिए 30 नवम्बर, 1974 को भारत और पाकिस्तान के बीच सम्पन्न हुए संलेख में दोनों पक्षकारों द्लारा नोट की गई वस्तुओं में इंजीनियरी सामान, पटसन विनिर्मित माल तथा लौह अयस्क शामिल था। 23 जनवरी, 1975 को दोनों पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन में यह उल्लेख है कि मार्च अथवा अप्रैल, 1975 में दोनों देशों के सरकार-नियंत्रित निगमों के प्रतिनिधिमंडलों की नई दिल्ली में बैठक होगी जिसमें इंजीनियरी सामान, पटसन विनिर्मित माल, चाय, कोयला, लोहे तथा इस्पात के उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के, जो निर्यात के लिए उपलब्ध बताई गई है, व्यापार की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा ।

चाय बागानों से बकाया उत्पादनशुल्क की वसूली

686. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोकालबारो टी एस्टेट का नियंत्रण करने वाले समूह तथा वालीजान नार्थ टी एस्टेट का नियंत्रण करने वाले समूह से चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया पडी राशि को अभी तक वसूल नहीं कर सकी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन समूहों पर कितनी वास्तविक राशि बकाया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बकाया राशि को उनकी बैंकों में जमा राशि से वसूल करने का है ; और

(घ) क्या इन चाय बगानों ने चरणवार वसूली संबंधी अपने अनुरोध को इस बीच वापस ले लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मोकालबाडीटीएस्टेट तथा वालीजान नार्थ टी एस्टेट क्रमश: मैसर्स मोकालबाडी कनाई टी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स ईस्टर्न असम टी कम्पनी लिमिटेड के नियंत्रणाधीन हैं। मैसर्स मोकालवाडी कनाई टी एस्टेटस से 1.01 लाख रुपये को रकम वसुल कर लो गई है। मैसर्स मोकालवाडो कनाई टो एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स इस्टर्न असम टी कम्पनी लिमिटेड की ओर चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया की रकमें क्रमश: 28.96 लाख रु० और 28.06 लाख रु० है। दोनों चाय बागानों ने बकाया की रकमों की क्रमबद्ध अदायगी के लिये निवेदन किया है और उनके निवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नया प्रशिक्षण कार्यक्रम

687. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश के कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिये एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोजित किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या किन्हीं ऐसे पिछडे क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां उक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) इसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) औद्योगिक वित्त निगम ने अपने प्रोत्साहनकार्यकलाप के रुप में यह निर्णय किया है कि (1) आशय पत्र जारी करने वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों (2) राज्य सरकार के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित अधिकारियों (3) राज्य स्तर के अभिकरणों के अधिकारियों और (4) नये उद्यमकर्त्ताओं, विशेष रुप से कम विकसित राज्यों के उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के निर्धारण, प्रोत्साहन, कार्यान्वियन और प्रबन्ध के पाठयक्रमों का आयोजन किया जाय। निगम द्वारा प्रवर्तित "प्रबन्ध विकास संस्थान", नई दिल्ली द्वारा निगम की ओर से इन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यह प्रबन्ध विकास संस्थान, निगम के परामर्श से और सम्बन्धित राज्य के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभाग सहित उपयुक्त आमंत्रित विभागों की सहायता से इन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु निर्धारित करेगा।

निगम द्वारा चलाया गया "परियोजना निर्धारण, प्रोत्साहन और कार्यान्वियन" नामक ऐसा प्रथम पाठ्यक्रम (औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित राज्य) उडीसा में, पूरी में, 1 फरवरी, 1975 से 6 फ़रवरी 1975 तक चलाया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में, औद्योगिक विकास में सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकारियों, उडीसा राज्य वित्त निगम के अधिकारियों, उडीसा औद्योगिक विकास निगम, उडीसा में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिओं और राज्य के नये उद्यमकर्त्ताओं और शिल्प वैज्ञानिकों ने भाग लिया था।

प्रस्ताव है कि इस प्रकार के कार्यक्रम दूसरे कम विकसित राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से चलाये जायें।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त

688. **श्री वरके जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय के निर्देश दिये हैं कि रोजगार के मामले में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय ;

(ख) क्या स्थानीय व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई स्पष्ट मागदर्शी सिद्धान्त जारी किये है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मागदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी उद्यमों की भर्ती सम्बन्धी वतमान नीति का यह उद्देश्य है कि सरकारी उद्यमों में जो रोजगार के अवसर पैदा हों उनमें स्थानीय लोगों को, विशेषकर नीचे स्तर के पदों पर, अपना

उचित हिस्सा मिलना चाहिए । इसलिए यह निर्धारित कर दिया गया कि 500 रुपये प्रतिमाह से कम मूल वेतन वाले पदों पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही भर्ती की जानी चाहिए तथा अन्य साधन तभी अपनाये जाये जब रोजगार कार्यालय "अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र" जारी कर दे ।

शिलांग का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

689. **श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिलांग का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिये कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप, गृह मंत्रालय ने शिलांग की यात्रा पर लगे प्रतिबन्धों को उदार बनाया है । राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये अपने पर्यटन क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ व्यवस्था की है । समिति साधनों के कारण केन्द्रीय पर्यटन विभाग का फिलहाल शिलांग में पर्यटन सुविधायें प्रदान करने की कोई योजनायें नहीं हैं ।

शाहदरा में जाली सिक्कों की टकसाल

690. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 जनवरी, 1975 को शाहदरा में जाली सिक्कों की टकसाल का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और अन्य क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक स्त्री सहित 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । 50 पैसे की कीमत वाले 206 जाली सिक्के और उपकरण तथा सामग्री बरामद की गयी थी और उसे पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 242/243/235/ 34 के अधीन एक मामला शाहदरा के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इस समय इसकी छानबीन की जा रही है ।

पटसन से बनी वस्तुओं का अनुमानित मूल्य

691. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में प्रति दिन अनुमानतः पटसन की कितने मूल्य की वस्तुयें बनायी गयीं ; और

(ख) उक्त वर्षों में प्रति दिन तैयार की गयी पटसन की वस्तुओं के अनुमानित मूल्य में मजूरी का भाग रुपयों में तथा प्रतिशतता में कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) प्रचलित कीमतों पर आधारित पटसन माल के दैनिक उत्पादन का औसत मूल्य तथा रुपये में और प्रतिशतता के अनुसार मजदूरी का भाग नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रचलित कीमतों पर पटसन माल का दैनिक औसत मूल्य	मजदूरी का भाग	
		रुपये में	प्रतिशतता के अनुसार
	(लाख रु०)	(लाख रु०)	
1972	145	37.2	26
1973	130	40.6	31
1974	173	48.7	28

आजकल दैनिक औसत मूल्य 175 लाख रुपये है। मजदूरी का भाग लगभग 58.2 लाख रुपये और प्रतिशतता 33 प्रतिशत है।

पटसन कर्मचारियों की मांगे

692. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री समर गुह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या अपनी कुछ मूल मांगें के समर्थन में पश्चिम बंगाल में पटसन मिल कर्मचारी जनवरी 1975 में हड़ताल पर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी. हां।

(ख) मजदूर यूनियनों की सामान्य मांगे निम्नलिखित थी :—

(1) पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पटसन के सामान के विदेश व्यापार का अधिग्रहण और 100 रु० प्रति मन की दर से कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद।

(2) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कम्प्यूटेशन संबंधी विशेषज्ञ समिति के निर्णयों तथा सिफारिशों का प्रकाशन और उनका भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वियन।

(3) पावर का राशन किये जाने के परिणामस्वरुप मजूरी का संरक्षण।

(4) बदली मजदूरों को राहत के संबंध में केन्द्रीय श्रम मंत्री की सिफारिशों का पूर्णरूप में तत्काल कार्यान्वियन ।

(5) 1973 में शुरु हुए लेखा वर्ष के लिए 20 प्रतिशत बोनस ।

(6) 1972 तथा 1974 के समझौते का पूर्ण कार्यान्वियन तथा सभी लम्बित विवादों का निपटारा ।

(7) सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई के लिए उचित तथा निर्धारित कीमतों की दुकानें खोलना ।

(8) पटसन मजदूरों के लिए बिना किराये वाले उपयुक्त क्वार्टर ।

(9) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का आबोधन ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार विवादों के संबंध में समझौता संबंधी उपाय करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार है जिसने समझौते पर पहुंचने के लिए विवाद से संबंधित पार्टियों के साथ अनेक द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की है।

भारत द्वारा अमरीका को इस्पात की तैयार वस्तुओं का निर्यात

693. श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि भारत द्वारा अमरीका को वर्ष 1973 और 1974 में कितनी मात्रा में इस्पात की तैयार वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात की गई इस्पात की तैयार वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 7.57 करोड़ रूपये तथा 9.07 करोड़ रुपये था ।

निर्यात आंकड़े वित्तीय वर्षवार रखे जाते है ।

आयातीत कच्चे काजू के वितरण के बारे में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

694. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने, आयातित कच्चे काजू के वितरण युक्तियुक्त आधार पर करने के सरकारी निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसे कि विचार-विमर्श के बाद, कुछ गैर-सरकारी हितों के अतिरिक्त, सभी सम्बद्ध पार्टियों ने स्वीकार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संकटपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को केरल राज्य काजू विकास निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी ; और

(ङ) उस पर क्या निर्णय लिये गये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस एकल न्यायपीठ निर्णय के विरुद्ध एक अपील भारत सरकार और भारतीय काजू निगम ने पहले ही कर दी है और अपील पर निश्चय होने तक के लिए इस निर्णय के क्रियान्वयन को रोक दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

कन्नानोर, केरल के हथकरघा उद्योग की विभिन्न यूनियनों की मांगे

695. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानोर केरल के हथकरघा उद्योग में काम कर रही ए० आई० टी० यू० सी०, आई० एन० टी० यू० सी० और सी० आई० टी० यू० यूनियनों के एक संयुक्त डेप्यूटेशन ने उनसे भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उनकी क्या-क्या मुख्य मांगें हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । कण्णनूर जिले में स्थित हथकरघा उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत आई० एन० टी० यू० सी०, सी० आई० टी० यू० तथा ए० आई० टी० यू० सी० यूनियनों द्वारा 18 दिसम्बर, 1974 को दिये गये ज्ञापन में की गई मांगें और उन पर की गई कार्यवाही और/अथवा सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है :—

क्रमांक	की गई मांग	की गई कार्यवाही और/अथवा सरकार की प्रतिक्रिया
1	सहकारी व्यवस्था से बाहर के बुनकरों के पास जमा पड़े हथकरघा भंडारों को केरल हथकरघा वित्त निगम द्वारा अपने हाथों में लेकर विपणन किया जाना चाहिये और सहकारी व्यवस्था में के बुनकरों के पास पड़े भंडार राज्य शीर्ष समिति द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिये । उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के लिए उपर्युक्त अभिकरणों को वित्तीय सहायता भी दी जाये ।	केरल हथकरघा वित्त निगम और राज्य शीर्ष सहकारी समिति केरल सरकार के नियंत्रण में है । उनके द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता की व्यवस्था केरल सरकार को करनी पड़ेगी । केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निकायों को सीधे कोई सहायता देना संभव नहीं है क्योंकि राज्यों के उद्योग के विकास के लिए समस्त केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है ।
2	उपरोक्त अभिकरणों के माध्यम से लघु पैमाने के हथकरघा स्वामियों का माल खरीदने और बेचने के लिए उपाय किये जायें ।	
3	क्वालिटी नियंत्रण हेतु तंत्री की व्यवस्था की जाये जिससे सुस्थिर बाजार सुनिश्चित हो सके ।	जहां तक निर्यातों का संबंध है वस्त्रों के संबंध में अब तक वस्त्र समिति द्वारा क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा

क्रमांक	की गई मांग	की गई कार्यवाही और/अथवा सरकार की प्रतिक्रिया
		रहा है। कण्णनूर के हथकरघा बुनकरों के उत्पादों का निरीक्षण भी अपेक्षित होने पर वस्त्र समिति द्वारा किया जा रहा है। अन्तरिक खपत के लिए क्वालिटी नियंत्रण की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है।
4	विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना की जाये।	हथकरघा निर्यात संवर्धन समिति पहले से ही विद्यमान है जिसका मुख्यालय मद्रास में है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० बम्बई तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० नई दिल्ली भी है। ये निकाय भी हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन में लगे हुए ह।
5	क्रेप सहित डिजाइनों को हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित रखा जाए।	हथकरघा क्षेत्र के लिए क्रेप कपड़े के आरक्षण के प्रश्न पर वस्त्र आयुक्त के साथ परामर्श करके विचार किया गया था और ऐसा कोई आरक्षण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यह पाया गया कि इसी प्रकार के कपड़े का शक्तिचालित करघों पर अथवा मिलों द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता।
6	लघु स्तर के हथकरघा मालिकों की सहायतार्थ कन्नानूर में एक रंगाई केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।	केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य में ऐसा कोई केन्द्र स्थापित नहीं कर रही है। ऐसे रंगाई केन्द्रों की स्थापना करना राज्य सरकारों का कार्य है। यह पता चला है कि केरल सरकार की पहले ही एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत विद्यमान रंगाई घरों के विस्तार और राज्य में नये रंगाई घरों की स्थापना की व्यवस्था है।
7	कन्नानूर स्थित विद्यमान डिजाइन केन्द्र के कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाया जाए और वहां से प्राप्त होने वाले डिजाइनों को केवल हथकरघा उद्योग के लिए मंजूर किये जाएं।	कन्नानूर में बुनकर सेवा केन्द्र अगस्त, 1973 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्य कार्य केरल में हथकरघा बुनकरों की सहायता करना था। वस्त्र आयुक्त बम्बई, जिसके क्षेत्राधिकार में यह केन्द्र कार्य कर रहा है, से इसके कायकरण तथा कमियों की जांच करने के लिए

क्रमांक	की गई मांग	की गई कार्यवाही और/अथवा सरकार की प्रतिक्रिया
		कहा जा रहा है । केन्द्र के सुव्यवस्थित करने के लिए आगामी कार्यवाही उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर की जा सकती है । केन्द्र द्वारा तैयार किये जाने वाले डिजाइनों की सप्लाई केवल हथकरघा उद्योग को ही की जाती है ।
8	गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा हथकरघा कपड़े के निर्यात को बन्द कर दिया जाए और उसे सरकार द्वारा संभाला जाए ।	सरकार, द्वारा हथकरघा माल के निर्यात के संवर्धन की दिशा में प्रत्येक संभव प्रयास किया जा रहा है । गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा पार्टियों द्वारा हथकरघा कपड़े के निर्यात को समाप्त करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।
9	भारत भर में हथकरघों हेतु राष्ट्रीय मजदूरी नीति होनी चाहिए ।	हालांकि यह एक वांछनीय उद्देश्य है, परन्तु हथकरघा उद्योग के वर्तमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय को क्रियान्वित तथा लागू करना कठिन है ।
10	बढती हुई कीमतों के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए यार्न की कीमतें निर्धारित की जाएं ।	फिलहाल यार्न के उत्पादन तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं हैं । तथापि, भारतीय सूती मिल परिसंघ एक स्वैच्छिक योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत काटन यार्न की कीमतें उस कीमत स्तर पर स्थिर की गई हैं जो 28 मार्च, 1974 को चल रहा था ।
11	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हथकरघा एक लघु उदयोग है, बैंकों से ऋण प्राप्त करने की शर्तें आसान बनायी जानी चाहिए ।	जहां तक सहकारी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों का संबंध है उन के लिये हथकरघा वित्त व्यवस्था संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज की रियायती दर पर, अर्थात बैंक दर से 1.5% कम पर ऋण दिये जाते हैं । जहां तक सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघों का सवाल है वे सामान्य प्रक्रिया द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर सकते ह । इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर जिन की आय 3,000 रू० प्रति वर्ष से कम हो, विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4% पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

क्रमांक	की गई मांग	की गई कार्यवाही और/अथवा सरकार की प्रतिक्रिया
12	भारत में वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।	भारत सरकार का इरादा वस्त्र उद्योग का पूर्णत: राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है । फिर भी सरकार के कार्यकरण या निदेशन का क्षेत्र, जहां आवश्यक होता है, बढ़ाया जा रहा है ।
13	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के अधीन विनिर्माण संस्था का एक डिपो कन्नानूर में खोला जा सकता है ।	शायद यहां अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था लि०, बम्बई से अभिप्राय है । यह विपणन संस्था है और विनिर्माण कार्य नहीं करती । इसके कार्यकलापों में कन्नानूर जिला पहले ही शामिल है ।

छापों के दौरान बरामद काला धन और सोना

696. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1975 तक भारत के विभिन्न स्थानों पर कुल कितना काला धन, विदेशी मुद्रा और सोना पकड़ा गया ;

(ख) विभिन्न स्थानों पर विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी-गतिविधियां निवारक अधिनियम के अधीन अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जो कलकत्ता में रहते हैं अथवा जिन्हें कलकत्ते में गिरफ्तार किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1974 में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालियों द्वारा पकड़े गये माल की सूचना संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध 'क', 'ख' तथा 'ग') में प्रस्तुत की गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8954/75**]

(ख) विदेशी-मुद्रा रक्षण एवं तस्कर-गति विधि निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 15 फरवरी, 1975 तक रोक रखे गये व्यक्तियों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध 'घ') में प्रस्तुत किये गये हैं । आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के बदले विदेशी-मुद्रा रक्षण एवं तस्कर-गतिविधि निवारण अधिनियम लागू किया गया है ।

(ग) जो व्यक्ति कलकत्ता-निवासी है और जिन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा रक्षण एवं तस्कर-गतिविधि निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 15 फरवरी तक कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. श्री पी० एल० केड़िया
2. श्री एन० एल० कटारिया
3. श्री नाथमल जालान
4. श्री नेमीचन्द जैन
5. श्री एच० टी० असनानी

6. श्री बी० के० सूद
7. श्री सेवक गोधवानी
8. श्री एम० वी० समतामी
9. श्री आर० एन० बिस्वास
10. श्री एम० टी० कृपलानी
11. श्री एच० एस० अलताफ
12. श्री हसन रजा
13. श्री जी० सी० चक्रवर्ती
14. श्री एच० एल० छाबड़ा
15. श्री एन० एम० जान
16. श्री वी० एन० नंदी
17. श्री वी० सी० दत्त तथा
18. श्री जी० वेरलिया

पश्चिम यूरोपीय देशों को लोह-अयस्क की सप्लाई

697. **श्री झारखंडे राय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यूरोपीय देश भारत से लौह अयस्क खरीदने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) क्या जापान ने भारत से लौह अयस्क खरीदने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिए ऊनी कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजनाएं

698. **श्री राम प्रकाश :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए ऊनी कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऊनी माल का निर्यात संवर्धन बढ़ाने के लिए कोई परियोजना विषेश रूप से शुरू नहीं की गई है । परन्तु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ऊन साधित करने के लिए जम्मू तथा काश्मीर में एक सामान्य सुविधा-सह-गवेषणा केन्द्र तथा पंजाब में लुधियाना में रंगाई तथा फिनिशिंग प्लांट स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

तस्करों की सम्पत्ति पर कर लगाना

699. **श्री राम प्रकाश :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री एम० ई० होरो :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करों की सम्पत्ति का पता लगाने और उस पर तत्काल कर लगाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने तस्करों के मामलों को निपटाने के लिए कई आय-कर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में विशेष यूनिटों की स्थापना की है । इन यूनिटों को चलाने वाले अधिकारियों के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तस्करों की **विभिन्न सम्पत्तियों** का पता लगाया जाय और उनमें जो सम्पत्तियां लेखा-बाह्य हों उनको कर के दायरे में लाया जाय ।

उत्पादन शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध

700. **श्री राम प्रकाश :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारखानों से आवश्यक वस्तुओं को निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादन शुल्क लगने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 224(3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्तियों के अधीन, लाइसेंस शुदा कारखानों अथवा मालगोदामों से फरवरी, 1975 के प्रत्येक सप्ताह में देश में खपत के लिए निकासी की जाने वाली उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं की निकासियां 1 फरवरी, 1975 के पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान देश में खपत के लिए निकासी की गई माता अथवा मूल्य के (चाहे माल पर शुल्क उसकी माता के आधार पर लगता हो अथवा मूल्य के आधार पर लगता हो उसके अनुसार) साप्ताहिक औसत के 120 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है । किन्तु इन प्रतिबन्धों में जन हित को दृष्टि में रखते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे, रासायनिक खाद, पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार की औषधियां, वनस्पति, चीनी, बच्चों का भोजन, अम्ल और गैस, पेट्रोल के उत्पाद, सीमेंट, टायर और ट्यूब तथा रक्षा प्रयोजनों के लिए अथवा अन्य कारखानों में अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपेक्षित उत्पादनशुल्क लगने योग्य माल के सम्बन्ध में पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रूप से ढील दी गयी है ।

निर्यात के लिए अधिक वित्त की उपलब्धता

701. श्री प्रसन्नभाई मेंहता :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण न देने की नीति अपनाये जाने के कारण देश के निर्यात का भविष्य बहुत अन्धकारमय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ राय यह है कि जब तक निर्यात के लिए अधिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए अविलम्ब कार्यवाही नहीं की जायेगी, तब तक देश के निर्यात प्रयास को बड़ा धक्का पहुंचेगा ;

(ग) क्या दिसम्बर, 1974 में व्यापार मण्डल की बैठक के दौरान व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा था कि उन्नत देशों में हुई मन्दी ने भारत को विश्व बाजार में प्रभाव जमाने का सर्वोतम अवसर प्रदान किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) चालू वर्ष में निर्यात के लिए कौन-कौन सा नया तरीका अपनाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत के निर्यातों में वृद्धि हो रही है । निर्यात उत्पादन तथा निर्यातों को बनाये रखने के लिए निर्यात वित्त एक महत्वपूर्ण चीज है । इस वर्ष के व्यस्त मौसम से संबंधित ऋण नीति में, हालांकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ऋण विस्तार पर व्यापक प्रतिबंध लगाये हुए हैं, फिर भी निर्यातों के लिए वित्त को, केवल खाद्य के पश्चात् प्राथमिकता दी गई है :

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) निर्यात नीति एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और नई परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन किये जाते है ।

पिछड़े राज्यों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार की गई योजनाएं

702. श्री प्रसन्न भाई मेंहता :
श्री बी० मायावन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पिछडे राज्यों में पूंजी निवेश के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजी निवेश की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए योजनाओं को जो कि पिछडे राज्यों की आवश्यकताओं तथा संस्थागत क्षमताओं के अनुरूप हो सकती है योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना राज्यों में कब लागू की जाएगी ; और योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) हाल ही में यह फैसला किया गया है कि जिन राज्यों में वसूल किये गये प्रीमियमों के अनुपात के रूप में जीवन बीमा निगम के निवेश अखिल भारतीय औसत से कम हैं वहां गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए नियत रकमों में से जो रकम बची रह जाय उसका राज्य के सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की उन बिजली परियोजनाओं तथा विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं में उपयोग किया जाना चाहिए जो आयोजन प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और जिनके लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो ।

'पिछड़े' राज्यों में निवेशों में वृद्धि करने के लिए ऐसी और योजनाएं तैयार करने के प्रश्न पर जीवन बीमा-निगम का ध्यान लगा हुआ है ।

Tourists visited India during 1973-74

704. Shri Mulki Raj Saini :
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourists who visited India during 1973-74, State-wise ;

(b) the amount of foreign exchange earned from their visit ;

(c) the amount spent on the development of tourism ; and

(d) the names of the countries along with the number of tourists coming from each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The Department of Tourism maintains a record of foreign tourist arrivals on an all-India and not on State-wise basis. The total number of foreign tourists who visited India during the year 1973-74 was 408,121. The foreign exchange earnings estimated from tourism duing this period is about Rs. 67 crores.

(c) An amount of Rs. 6.99 crores was spent during 1973-74 on Plan Schemes in the Central Sector for the development of tourism.

(d) A statement showing the country-wise break-up of foreign tourists who visited India during the year 1973-74 is attached. [*Placed in the Library. See No. L.T.*—8955/75]

शल्य उपकरण आयात के लिए लाइसेंसों का जारी करना

705. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी फर्मों को दिए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत शल्य उपकरणों के आयात के बारे में उन्हें सूचना मिली है ;

(ख) किन फर्मों को शल्य उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ग) क्या शल्य उपकरणों के लिए दिये गये लाइसेंसों में क्रय-विक्रय हुआ है ;

(घ) क्या इन लाइसेंसों के अन्तर्गत वस्तुएं पहले ही आयात की जा चुकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पांडिचेरी की फर्मों के नाम नीचे दिए गए हैं :--

मैसर्स एस० मोहम्मद जाकारिया मारीकार, कराईकल

मैसर्स आर० मुथियन, पांडिचेरी

मैसर्स कुमारन स्टोर्स, पांडिचेरी

मैसर्स ए० एम० अब्बू वाकर, कराइकल

मैसर्स एस० चिदाम्बरम, पांडिचेरी

मैसर्स ए० मारीमुथू रेडियार, कराइकल

मैसर्स जी० एस० गनपति राव, यमन

(ग) इन लाइसेंसों के सम्बन्ध में दुर्व्यापार का संदेश है ।

(घ) तथा (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरूद्ध आरोप

706. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 जून, 1967 को भगवानदास संतप्रकाश फर्म का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के क्या कारण थे और फर्म के विरुद्ध क्या आरोप थे ;

(ख) इस फर्म ने कुल कितने मूल्य का निर्यात किया था और क्या निर्यात के कम मूल्य के बीजक बनाने के बारे में कोई आरोप लगाए गए थे ; यदि हां, तो कितने मूल्य के ; और

(ग) क्या इस आरोप की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : फर्म का रजिस्ट्रेशन इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि 1964-65 में वह भारत-अफगानिस्तान व्यापार के अधीन निर्यातों से अपने आयातों का प्रतिसंतुलन करने में असफल रही थी ।

(ख) जैसा कि फर्म ने दावा किया है उसने 1960-61 में अफगानिस्तान को 18,93,969 रु के निर्यात किए इन निर्यातों के कम मूल्य के अभिकथित को बीजक बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भगवानदास संतप्रकाश के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष

707. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने किन आरोपों के आधार पर भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरुद्ध जांच की थी ; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निष्कर्ष क्या थे और वे सरकार को किस तारीख को भेजे गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने चमड़ियों तथा खालों के निर्यात के संबंध में लाइसेंसों के दुर्व्यापार तथा आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के आरोपों की जांच की थी। उन्होंने पार्टी को इन आरोपों का तथा धोखा देने का दोषी पाया। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने अपनी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को 8 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत की।

भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत

708. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवानदास संतप्रकाश फर्म के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रवर्तन निदेशक ने किस तारीख को निष्कर्ष दिए तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखा है कि मैसर्स भगवानदास संतप्रकाश, बम्बई को ई० पी० 1 फार्म व्यवस्था के अन्तर्गत अफगानिस्तान को माल का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी और उनके निर्यात तत्स्थानी आयातों से मेल नहीं खाते थे तथा 18,93,969.04 रु० का डैबिट बैलेंस था।

(ख) प्रवर्तन निदेशक ने अपने आदेश दिनांक 16-1-1965 द्वारा फर्म को विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम 1947 की धारा 12(2) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

सी० डी० ए० पटना को पूर्वी कमान में अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए अवधि

709. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सी० डी० ए० पटना की पूर्वी कमान में अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण की अवधि कितनी है ;

(ख) क्या ऐसे कुछ अनुभाग अधिकारी, जिनके विरूद्ध अनेक आरोप हैं और सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में लेखा-परीक्षक तथा अनुभाग अधिकारी के रूप में जिन्होंने सब से अधिक समय बिताया है, प्रशासन अनुभाग में तैनात हैं ;

(ग) क्या कुछ ऐसे अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने पटना कार्यालय में सामान्य अवधि पूरी कर ली है, बिहार राज्य में तैनात किये गये हैं या उन्हें लोकप्रिय स्थानों पर तैनात किया जा रहा है ;

(घ) पटना से अन्य स्थानों को या अन्य स्थानों से पटना को कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के बारे में कोई स्थानान्तरण नीति है ; और

(ङ) क्या सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में इस नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : रक्षा लेखा नियंत्रकों के कार्यालयों के अनुभाग अधिकारियों की बदली के लिये कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है।

(ख) कुछ ऐसे अनुभाग अधिकारी (लेखाकार) जो प्रशासन अनुभाग में कार्य कर रहे है, उन्हें उनकी स्टेशन वरीयता के आधार पर स्थानान्तरित किया जा रहा है। इन अनुभाग अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जांच से पता चला कि यह आरोप निराधार थे।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नियंत्रक रक्षा लेखा के मुख्य कार्यालय और उसके पटना से बाहर के उप-कार्यालयों के बीच लिपिकों के क्रमानुसार स्थानान्तरण को प्रधानत: इस प्रयोजन के लिये नियत अवधि तथा व्यक्तियों की वर्तमान स्टेशन पर लगातार तैनाती को देखते हुये नियंत्रित किया जाता है ।

(ङ) लिपिक वर्ग के क्रमानुसार स्थानान्तरण में उपर्युक्त मानकों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन जहां प्रशासनिक दृष्टि से या करुणामूलक कारणों से स्थानान्तरण किया जाता है वहां इन मानकों का अनुसरण नहीं किया जाता ।

सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में कार्य कर रहें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

710. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी किसी एक अनुभाग में एक सेक्शन आफिसर तथा लेखा अधिकारियों के नियंत्रण में है ;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कुछ अधिकारियों के निजी काम करने को नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार उनको परेशान किया जाता है ;

(ग) क्या उन्हें उस प्रत्येक अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण में लाने की मांग है जहां उन्हें दैनिक कार्यों को करने के लिये नियुक्त किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें विभिन्न अनुभागों के अन्तर्गत न रखने के क्या कारण है जैसा कि अन्य सी० डी० ए० कार्यालयों में किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) आल इंडिया डिफेंस एम्पलाईज़ एसोसीएशन की पटना शाखा से अनुरोध प्राप्त हुए है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियंत्रण को विकेन्द्रीकृत कर दिया जाय ।

(घ) ग्रस्त वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुये इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया । अन्य नियंत्रकों के कार्यालयों में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण केन्द्रीकृत है ।

रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय, पटना के लिये भवन का निर्माण

711. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय, पटना के भवन निर्माण के लिये तीन एकड़ भूमी को खरीद के लिये केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कितनी धनराशि दी है ;

(ख) जमीन कब खरीदी गई थी ;

(ग) क्या रक्षा लेखा नियन्त्रक का कार्यालय, पटना के कार्यालय भवन के लिये हर साल भारी किराया अदा करता है ; और

(घ) यदि हां, तो पटना स्थित रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय के लिये भवन निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 14.40 लाख रुपये।

(ख) मार्च, 1973 में।

(ग) प्रति वर्ष 1,48,740 रुपये की रकम किराये के रूप में अदा की जाती है।

(घ) बिहार सरकार से खरीदी गई भूमि के कुछ हिस्से पर अनधिकृत लोगों का कब्जा होने के कारण भूमि का खाली कब्जा लेना सम्भव नहीं हो सका है। इन अनधिकृत लोगों से भूमि खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है। भवन निर्माण से संबन्धित अन्य आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार इस मामले से पूरी तरह अवगत है।

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार करार

712. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के लिए व्यापार योजना को सोवियत संघ तथा भारत ने अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 30 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित 1975 हेतु भारत-सोवियत व्यापार संलेख में वर्ष 1975 के दौरान दोनों देशों के बीच 750 करोड़ रू० के व्यापारिक लेन-देन की व्यवस्था है।

इस संलेख के अनुसार, भारत इंजीनियरी सामान, सूती वस्त्र, सिले सिलाए परिधान, गैरेज उपस्कर, स्टोरेज बैटरियां, मोटर गाड़ियों का अनुषंगी सामान, सेनिटरी फिटिंग्स सर्जिकल यंत्र, ऊनी निटवियर, जैसी अनेक अपरम्परागत मदों तथा तेल रहित खलो, काजू की गिरियाँ, चाय, काफो, मसाले, तम्बाकू पटसन विनिर्मित माल, हस्तशिल्प की वस्तुओं आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं का निर्यात करेगा।

सोवियत संघ से आयात की जाने वालो प्रधान मदें ये है : मिट्टी का तेल, उर्वरक जस्ता, तांबा, निकल, पलाडियम, एसबेस्टोज, अखबारी कागज, रोल्ड इस्पात के उत्पाद सोवियत सहायता वाली परियोजनाओं के लिए संघटक तथा फालतू पूर्जे और मशीने, उपस्कर आदि।

Payment of Income-tax by Owners of Sugar Mills

713. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the sugar mill owners in the country have paid Income-tax due from them for the years 1972, 1973 and 1974 ; and

(b) if so, the State-wise particulars thereof and the steps taken by the Government to realise the Income-tax arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) Information regarding the amount of Income-tax demand raised and collected during 1971-72, 1972-73 and 1973-74, the amount of arrears outstanding as on 31-3-1972, 31-3-1973 and 31-3-1974 against the sugar mill owners and the steps taken to realise the arrears is being collected from the Income-tax Commissioners' charge-wise and will be laid on the Table of the House as early as possible.

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये विश्व बैंक से सहायता

714. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने अपने कार्यक्रमों के लिये 76 करोड़ रुपये की सहायता देने का विश्व बैंक के अधिकारियों से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उक्त बैंक के अधिकारियों ने हाल ही में कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के क्रिया-कलापों का मूल्यांकन करने के लिये कलकत्ता का दौरा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या हैं और उक्त बैंक के अधिकारियों ने कितनी अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कलकत्ता में शहरी विकास कार्यक्रम के लिए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 35 लाख डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस कार्यक्रम को कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण क्रियान्वित कर रहा है । इसके अलावा और भी ऋण प्राप्त करने के लिए कोशिश की जा रही है और मौजूदा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में बैंक के एक दल ने कलकत्ता का दौरा किया था । इस समीक्षा के दौरान इस दल ने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए दूसरे ऋण के विषय में विचार विमर्श किया । यह विचार-विमर्श प्रारम्भिक और प्रयोगात्मक किस्म का है । बैंक के दल ने जो निश्कर्ष निकाले हैं वे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यवाही

715. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पर्यटन और नागरी विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने आसाम, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की विदेशी पर्यटकों के लिये आयोजित संचालित भ्रमण में शामिल नहीं किया है ;

(ख) क्या समूचा पूर्वी क्षेत्र पर्यटकों के लिए आयोजित संचालित भ्रमण के मामले में पिछडा हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र में कितने विदेशी पर्यटकों ने यात्रा की थी; और

(घ) सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम देश में परिचालित भ्रमणों में शामिल करने के लिए स्थानों का सुझाव नहीं देता है। अपने ग्राहकों के कार्यक्रम के बारे में केवल विदेशी भ्रमण परिचालक ही निर्णय करता है ।

तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता तथा पटना में परिवहन यूनिट स्थापित किये हैं जहां की पर्यटकों के लिय परिचालित स्थानीय स्थल दर्शन भ्रमणों का आयोजन किया जाता है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय जनमत संस्थान द्वारा आयोजित एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से लगभग 21% कलकत्ता तथा पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करते है। आनेवाले पर्यटकों के आंकड़े अखिल भारत आधार पर तैयार किये जाते हैं तथा यह कहना संभव नहीं है कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटकों ने पूर्वी क्षेत्र की यात्रा की। तथापी ऐसा अनुमान है कि भारत आने वाले पर्यटकों में से पांचवां भाग पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करता है।

पर्यटन विभाग भारत का समग्ररूप में प्रचार करता है और पूर्वी भारत विदेशों में होने वाले प्रचार में अपना उचित भाग प्राप्त करता है। यह निर्णय करना प्रत्यक पर्यटक का काम है कि वह भारत के किस भाग को देखना पंसद करेगा। पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध किसी कदर बाधक रहा है। तथापि, कुछ समय पूर्व गृह मंत्रालय ने पर्यटन विभाग के अनुरोध पर इन क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश के मामले में कुछ ढील दे दी हैं। आशा है कि इस कदम से पूर्वी भारत जाने वाले पर्यटक यातायात में वृद्धि होगी।

(घ) पर्यटक विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम पूर्वी क्षेत्र में यात्रा करने के लिये पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(i) पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन आकर्षणों को प्रकाश में लाने के लिये अंग्रजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में कई पर्यटन ब्राशस प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(ii) पूर्वी भारत का विदेशी स्थित पर्यटन कार्यालयों के विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा।

(iii) पर्यटन विभाग ने दार्जीलिंग तथा पूरी में युवा होस्टल और दार्जीलिंग तथा गोहाटी में पर्यटक बंगलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। जल्दापाडा के वर्तमान फारेस्ट लाज के बिंस्तार से सम्बधित कार्य पूरा हो चुका है।

(iv) भारत पर्यटक विकास निगम ने दम दम, कलकत्ता में एक होटल तथा पाटना में एक स्वागत केन्द्र-व-होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। पांचवीं योजनावधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का पूरी में एक होटल, रांची, सिलिगुड़ी और गोहाटी में होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है। भुवनेश्वर तथा बोधगया की यात्री लजों का पांचवीं योजनावधि के दौरान विस्तार करने का प्रस्ताव है। कलकत्ता के परिवहन युनिट के विस्तार के अलावा बोधगया और सिलिगुड़ी में नये परिवहन युनिटों का प्रस्ताव है।

लघु क्षेत्र के उद्योग के लिये निर्यात गृह

716. **श्री हरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये एक निर्यात गृह पंजीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या होगें और इस निर्यात गृह में जिन फर्मों और कम्पनियों के शेयर हैं उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यातक फर्मों के लिए स्वयं को सरकार के पास रजिस्टर कराना अपेक्षित नहीं है। सरकार निर्यात सदन के रूप में मान्यता देती है जो सरकार द्वारा निर्यात सदनों की मान्यता सम्बंधी योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदंड पूरा किये जाने पर दी जाती है। रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात व्यापार नीति (जिसे रेड बुक भी कहा जाता है) के खंड 1 के भाग "ग" के पैरा 50 के अनुसार लघु निर्यातकों को साथसंघ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें मान्यता देने के सम्बध में भी विचार किया जाता है। इस प्रकार के एक साथसंघ अर्थात मेसर्स किन्समेन प्राइवेट लि० नई दिल्ली को निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) इस निर्यात सदन द्वारा बताये गये अपने कार्य निर्यात क्षमताओं, साधनों, सक्षमता तथा विदेशी बाजारों में अनुसंधान विशेषज्ञता का विकास करना और विदेशी खरीदारों की मांग पूरी करने के लिए स्वदेशी विनिर्माताओं का मार्गदर्शन तथा सहायता करना है ।

इस निर्यात सदन में निम्नलिखित के शेयर हैं :—

शेयर्स होल्डर का नाम	फर्म का नाम जिसके वे प्रतिनिधि हैं
1. श्री जे० बी०आनन्द . .	मैसर्स जे० शांती नाथ एंड कं०, नई दिल्ली ।
2. श्री सतीस के ढांडा . .	मैसर्स सदेम इंडस्ट्रीज, लूधियाना ।
3 श्री कुलजस भाटिया . .	मैसर्स ट्रांसमिशन प्रा० लि०, बम्बई ।
4. श्री जमन लाल भाटिया . .	–वही–
5. श्री वीरेन्द्र दत्त . . .	मैसर्स सीरोज इंर्डस्ट्रियल वर्कस, लुधियाना ।
6. श्री जतीन्द्र मोहन .	मैसर्स प्रस्टो इंजी० वर्क्स, जालन्धर ।
7. डा० नारुरकर . .	मैसर्स सुनीता लैबरेटरीज प्रा० लि०, इन्दौर ।
8. श्री अनिल चावला . .	मैसर्स अशोक इंडिया इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
9. श्रीमती हरशरण कौर . .	चैरयमैन-और किसी फर्म की प्रतिनिधि नहीं है ।
10. श्रीमती हरदर्शन कौर : .	डायरेक्टर और किसी फर्म की प्रतिनिधि नहीं है ।

भारत और अमरीका के बीच संयुक्त व्यापार परिषद

717. श्री हरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका हाल ही में एक "संयुक्त परिषद" स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस परिषद् की रचना, कृत्य और क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त व्यापार परिषद्, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के व्यापार क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ायेगी । इस निकाय के सुनिश्चित ढांचे के बारे में अभी विनिश्चय किया जाना है ।

भारत–आस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त उद्यम

718. श्री हरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत में ऊनी वस्त्र-उद्योग के उत्पादन में सुधार हेतु भारत-आस्ट्रलिया के बीच संयूक्त उद्यम के प्रस्ताव पर हाल में विचार किया गया है तथा इसकी जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मख्य बातें क्या हैं तथा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत में ऊनी उद्योग के उत्पादन को सुधारने और ऊनी माल के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम के लिए एक प्रस्तापना विचाराधीन है और इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत में बनी घरेलु वस्तुओं के लिये पौलेंड से क्रयादेश

719. श्री हरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलेंड सरकार ने गलीचे, सूत, बुने हुए कपडे और अन्य कपड़े, सिले सिलाये कपड़े और बिजली के सामान जैसी भारत की बनी घरेलू वस्तुओं की खरीद के लिये क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पोलेंड के क्रयादेश पर किन-किन निर्माताओं के माध्यम से वस्तुएं सप्लाई की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पौलैण्ड को इस प्रकार के माल के निर्यात के लिए 1975 हेतु भारत पौलैण्ड व्यापार योजना में व्यवस्था कर दी गई है। चूंकी इन मदों का निर्यात मांगीकृत नहीं है, अतः पोलैण्ड के आयातकर्ता अभिकरण किसी भी भारतीय निर्यातकों से इस प्रकार के माल को खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त

720. श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अतर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विदेश में निगमित कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक गैर आवासियों की पूंजी लगी हुई है, को आमतौर पर बेचने, खरीदने, प्रेषण, निकासी और अग्रेषण आदि के लिए भारतीय कम्पनियों के एजण्टों के रुप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उनको गैर-तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकारों के रुप में कार्य करने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी। इन कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों तकनीकी सलाहकार के रुप में नियुक्ति के लिए की गयी प्रार्थनाओं पर योग्यता के अनुसार विचार किया जायेगा।

जिन सिद्धानों के आधार पर विदेशी ब्राण्ड के नामों के प्रयोग की अनुमति दी जानी है, उन पर सरकार विचार कर रही है।

आगरा-मथुरा क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र समूह

721. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-मथुरा क्षत्र में पर्यटन केन्द्र समूह का विकास करने के लिए विश्व बैंक से 100 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजुरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने विश्व बैंक/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये आगरा के विकास से संबंधित स्कीमों पर व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिये सरकारी उद्यम ब्युरो से अनुरोध करने के लिए पर्यटन विभाग को लिखा था। प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा यह परामर्श दिया गया है कि प्रस्तावों को नया रूप प्रदान किया जाए। इनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

पर्यटन विभाग को उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों से आगरा-फतेहपुर-सीकरी भरतपुर-डीग क्षेत्र के विकास के लिए भिन्न स्कीमें भी प्राप्त हुई हैं क्योंकि ये स्थान मिल कर पर्यटक रुचि का एक मुख्य काम्पलेक्स बनाते हैं। विभाग इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पांचवीं योजना के दौरान किए जाने वाले उपायों पर विचार कर रहा है।

जनता में कम्पनियों द्वारा बिना जमानत दिये ऋण लेना

722. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया कम्पनियों को ऐसे अनुदेश दिये है कि वे जनता से अपनी प्रदत्त पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक के बिना जमानत वाले ऋण न लें ;

(ख) इन अनुदेशों से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति में किस सीमा तक सुधार होगा;

(ग) क्या भविष्य में कम्पनियों को उनके कारोबार के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण दिये जायेंगे ; यदि हां, तो ऐसे अनुदेशों से कम्पनियों के सुचारू रुप से तथा शीघ्र कार्य करने पर किस सीमा तक कुप्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या कम्पनियों से कहा गया है कि वे अपनी प्रदत्त पूंजी से 15 प्रतिशत से अधिक के ऋण वर्ष 1975 के अन्त तक वापस कर दें; यदि हां, तो प्रतिबन्ध लगाने के कारण प्रभावित हुई कम्पनियों की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया किस सीमा तक सहायता करेगा; और

(ङ) कम्पनियों द्वारा अनुमानतः कितनी धनराशि वापस की जायेगी और बैंकों में जमा की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 27 जनवरी, 1975 को एक अधिसूचना जारी करके रिजर्व बैंक में गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा आगे निदेशकों की गारण्टी पर अप्रत्याभूत ऋणों के रूप में, ली जा सकने वाली राशि और शेयर धारकों से जमा के रूप ली जा सकने वाली जमाओं की अधिकतम मात्रा को, उन कम्पनियों की चुकता पूंजी और उनकी मुक्त प्रारक्षित निधि के जोड़ के 25% से घटाकर 15% कर दिया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में जिस प्रकार की जमाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें स्वीकार करने की रकम की अधिकतम सीमा कम कर दिये जाने से बैंकों द्वारा जमाएं जुटाने के कार्य में कुछ हद तक सहायता मिल सकती है, फिर भी, निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि इस कारण राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी अधिक जमाएं जुटा सकेंगे क्योंकि बैंकों की जमाओं में वृद्धि कई कारणों से प्रभावित होती है। जहां तक रिजर्व बैंक का संबंध है यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में जैसी जमाओं का उल्लेख किया गया है, उस प्रकार की जो जमाएं 27 जनवरी, 1975 को गैर-बैंकिंग वित्तीय और गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों के पास थी, उनमें से कम्पनियों की चुकता पूंजी और विशुद्ध प्रारक्षित निधियों के जोड़ के 15%से जितनी अतिरिक्त जमाएं है उनको 31 दिसम्बर, 1975 से पहले समाप्त कर देना होगा। इसी प्रकार योजनाएं/लकीड़ा/बेनिफिट/बचत योजनाएं चलाने वाली विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों और परम्परागत चिट फण्ड चलाने वाली कम्पनियों को भी इस प्रकार की अपनी अतिरिक्त जमाओं को 31 दिसम्बर, 1975 तक समाप्त कर देना होगा। इस प्रकार की अतिरिक्त जमाओं संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बक गैर-बैंकिंग कम्पनियों को कोई ऋण नहीं देता।

इस प्रकार का कम्पनियों को अपनी जमाओं की अतिरिक्त सीमा कम करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया गया है, इसलिए निर्धारित तारीख तक अपनी जमाओं का अधिकतम सीमा के भीतर ले आने में संभवत: उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

ऊनी कपड़ों का निर्यात और बढ़ाने के लिये देश में खपत कम करना

723. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विकसित देशों द्वारा उर्जा परिरक्षण के लिये अपनाये गये उपायों जैसे घरों और सरकारी इमारतों में बिजली की खपत से कमी के कारण विश्व बाजार में ऊनी कपड़ों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है;

(ख) क्या सरकार ऊनी कपड़ों का निर्यात और बढाने के लिये देश में खपत को कम करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कैसे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी उत्पादन एककों के लिये निर्यात करना अनिवाय बनाने की है जिनको वास्तविक उपभोक्ता के आधार अपरिष्कृत ऊन दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यद्यपि, ऊर्जा परिरक्षण के लिए कतिपय विकसित देश ताप मानकों आदि में ढिल देने पर विचार कर रहे है फिर भी ताप-मानकों तथा ऊनी कपड़ों के अधिक उपयोग के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करने कठिन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जो नये एकक मंजूर किए जा रहे हैं उन सब पर 15 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता पहले ही लागू की जा रही है। विद्यमान एककों के मालले में, कच्ची ऊन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन 10 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता की शर्त पर किया जाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच उपरी हवाई उड़ाने पुनः आरम्भ करना

724. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऊपरी हवाई उड़ानें पुन: आरम्भ करने के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श की मुख्य बातें उसमें लिये गये निर्णय और उस से भारत को होने वाले लाभ क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) दोनों देशों की वायु सीमा पर से उड़ानों के पुनः प्रारंभ किये जाने के बारे में भारत और पाक सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में अभी तक कोई उच्चस्तरिय बठक नहीं हुई है।

नवम्बर, 1974 में रावलपिण्डी में हुई वार्ता अनिर्णीत रही थी और वार्ता एक अन्य बैठक में, जो दिल्ली में होगी, जारी रहेगी, इस बैठक के लिये तारीख अभी निश्चित की जानी है।

यू० के० से वित्तीय सहायता

725. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० एम० जोजफ :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० ने भारत को 20 मिलीयन पौण्ड ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली इस सहायता की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह सहायता किस तरीके से दी जायेगी और भारत में तथा विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में इस बढ़ी हुई सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) ब्रिटेन भारत को यह सहायता किन शर्तों के अन्तर्गत दे रहा है तथा इस सहायता से भारत को कितना लाभ होगा तथा इसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां। ब्रिटेन सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2 करोड़ पौंड के एक और ऋण की पेशकश की है। इस प्रकार 1974-75 के लिए कुल वचनबद्ध सहायता 9.5 करोड़ पौंड हो गयी है। इस अतिरिक्त सहायता का इस्तेमाल अनुरक्षण को वस्तुओं जैसे स्पेयर पुर्जों, हिस्सों, वस्तुओं, जिनमें रासायनिक खाद भी शामिल है, ब्रिटेन से आयात करने में संबंधित खर्च का बन्दोबस्त करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार इस सहायता का इस्तेमाल आमतौर से भारत के विभिन्न राज्यों के जिसमें राजस्थान भी शामिल है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

ब्रिटेन से भारत को मिलने वाली अन्य सहायता की तरह, यह अतिरिक्त सहायता सामान्य/आसान शर्तों पर उपलब्ध होगी अर्थात यह ब्याज और सेवा प्रभार से मुक्त होगी और इस वापसी 25 वर्षों में की जाएगी जिसमें 7 साल की रियायती अवधि शामिल है।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिये विदेशी पूंजी

726. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए विदेशी पूंजी के आयात के बारे में अपनी नीति को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी नहीं, विदेशी पूंजी के आयात के बारे में सरकार की नीति अधिक चयनात्मक रही है। सरकार विदेशी पूंजी का ऐसी टेकनालोजी के मंगाने के काम में उपयोग करने की तरजीह देती है जो न तो सीधे खरीदी जा सकती है न जिसे किसी आवधिक रायल्टी के समझौते के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है और जो देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

727. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल में हुई बैठक में चर्चा के दौरान अमरीका तथा ब्रिटेन का रवैया परस्पर विरोधी था अमरीका डालर को विश्व मुद्रा प्रणाली का केन्द्र बनाना चाहता था जबकि ब्रिटेन स्टर्लिंग को केन्द्र बनाना चाहता था;

(ख) यदि हां, तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रस्ताव लाभदायक है; और

(ग) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में हमारे सरकारी प्रतिनिधियों ने क्या रवैया अपनाया?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था। इसमें समिति ने इस बात की फिर से पुष्टि की कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में एस०डी०आर० को जल्दी से जल्दी मुख्य स्थान दिलाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और एस०डी० आर० के स्वरूप में सुधार लाने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए जिससे इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति बनाने का इसका उद्देश्य पूरा हो सके। यही भारत सरकार की कोशिश है।

कोवलम (केरल) में पर्यटक सुविधाएं

728. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के अंत में बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच बोइंग 737 की उड़ान आरम्भ हो जाने से पर्यटक सुविधापूर्वक कोवलम के गोल्डन सैन्ड्स तक पहुंच सकेंगे;

(ख) क्या समुद्र तट पर कुछ वातानुकूलित कुटीर तथा एक चट्टान पर जहां से समुद्र तट दृष्टिगत है 100 कमरों वाला लक्जरी होटल बन कर तैयार हो गया है;

(ग) क्या विदेशों से और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये सरकार का विचार कुछ और सुविधायें बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 40 कुटीरों को पूरा कर दिसम्बर, 1972 में चालू कर दिया गया था और 100 कमरों का लक्जरी होटल 1975-76 में पूरा हो जायेगा और चालू हो जायेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि कोवालम में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के स्वरुप और अवकाश का निर्धारण पहले से प्रदान की गई सुविधाओं के उपयोग के विश्लेषण के बाद किया जायेगा ताकि नई प्रदान की जानेवाली सुविधाओं की आर्थिक आत्म-निर्भरता सुनिश्चित की जा सके।

हीरे मोती तथा कीमती पत्थरों का निर्यात

729. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में हीरों के निर्यात से 86.7 करोड़ रुपये की आय हुई थी;

(ख) क्या मोती, कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थरों का निर्यात भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात तथा इसके सापेक्षित मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(घ) सके निर्यात की भावी सम्भावनाएं क्या है; और

(ङ) कीमती पत्थरों तथा जवाहरात का आयात करने वाले देशों के नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) मन्दी की प्रवृत्ति होते हुए भी पर्याप्त संभाव्यताएं है।

(ङ) मूल्यवान रत्नों और नग आदि के मुख्य आयातक देश हैं, बेल्जियम, हांगकांग, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका।

पाकिस्तान से आयात की जाने वाली रूई पर शुल्क

730. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री के० मलन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी रुई (काटन) पर आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय किया है ताकि सौदे को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन किस्मों पर शुल्क में कमी की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पाकिस्तानी रुई की किस्मों के संदर्भ में शुल्क से छूट संबंधी सुझाव अभी भी विचाराधीन है।

तस्करी गुप्तचर सेल का पुनर्गठन

731. **श्री भान सिंह भौरा** :

श्री पी० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी गुप्तचर सैल का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरुप कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अनन्यरुप से तस्करी विरोधी कार्य के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। समुद्रतट-रक्षक-दलों, मार्गों में निगरानी रखने वाले दलों और शहर-निवारक तथा गुप्त सूचना दलों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। 100 से भी अधिक स्थानों को बेतार-संचार व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है जिसके अन्तर्गत पश्चिम समुद्रतट तथा तमिलनाडू समुद्रतट भी आते हैं। कस्बो में छापे मारने, मार्ग अवरुद्ध करने तथा कस्बों में निगरानी रखने संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए अलग गुप्तसूचना सेल स्थापित किये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त उपायों तथा निवारक नजरबन्दी के परिणामत: तस्करी की गतिविधियां रोक दी गई हैं। भारत के बड़ बड़े शहरों तथा कस्बो में तस्करी के माल का खुलेआम प्रदर्शन भी बहुत कम हो गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता

732. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री वसंत देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक आक्तूबर, 1974 में 272 अंक तक पहुंच गया था तथा अब यह 298 अंक तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 1 नवम्बर, 1974 से महंगाई भत्ते की तीन और किस्तें पाने के अधिकारी हैं;

(ग) क्या वेतन संशोधन के प्रश्न पर बातचीत आरंभ करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने का औसत (1960 आधार), अगस्त, 1974 के अंत में 272 अंक तक पहुंच गया। मूल्य सूचकांक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े दिसंबर, 1974 के हैं। उस महीने के अंत में 12 महीने का औसत 303.5 था।

(ख) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिस की है कि यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत 272 से (1960=100 ऊपर बढ़ जाये तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि महंगाई भत्ते की योजना आगे बढ़ाई जाय या वेतनमानों का ही संशोधन किया जाए। एतद्नुसार जब मूल्य सूचकांक का औसत 272 को पार कर जाता है तो स्थिति की समीक्षा की जानी होती है। इस प्रकार की समीक्षा अब की जा रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त समीक्षा के संबंध में, कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ निकट भविष्य में बातचीत करने का विचार है।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कदम

733. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए और क्या कदम उठाये गये है ?

वित्तमंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकार द्वारा अभी हाल के महीनों में अपनाये गये मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के परिणामस्वरुप सितम्बर, 21, 1974 और फरवरी, 1975 के बीज की अवधि में थोक कीमतें 5 प्रतिशत गिर गयी हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) भी अक्तूबर, 1974 में 335 से दिसम्बर 1974 में 326 तक गिरा है। हालांकि इससे मुद्रास्फीति के दबावों के प्रभाव के क्षीण होने का संकेत मिलता है, परन्तु अन्तिम विश्लेषण के अनुसार समस्या का समाधान केवल उत्पादन को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। अतः सरकार ने कोयला, सीमेंट और स्टील जैसे मूल उद्योगों तथा विद्युत उत्पादन और रेलवे माल के आने-जाने में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया है। रबी की फसल से भी संभवतः खरीफ की बुरी फसल के कारण हुई क्षति की पूर्ति की जा सके। फिर भी सरकार इस स्थिति के प्रति पूर्णतः सजग है और आवश्यकता पड़ने पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए और उपाय अपनायेगी।

बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के दौरान जब्त जवाहरात

734. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 6 जनवरी, 1975 को बम्बई में मारे गए छापे के दौरान एक फाइनेन्सियर के निवास स्थान से लगभग 100 किलोग्राम के जवाहरात जब्त किये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फाइनेन्सियर के विरुद्ध क्या अग्रसर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) साहूकारी का धन्धा करने वाली पार्टी का नाम अश्विन कुमार एण्ड कम्पनी है। इस फर्म में 6 भागीदार हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। फर्म ने फरवरी, 1973 में कपड़ा और सूत का व्यापार चालू किया और साहूकारी का काम भी शुरू किया। इस कम्पनी ने अपनी पहली आयकर विवरणी कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए दाखिल की है।

(ग) जांच अभी जारी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन, अघोषित आय का सरासरी तौर पर अनुमान लगाने और पकड़ी गई परसिम्पत्तियों में से उतनी परिसंम्पत्तियां रोक रखने के आदेश जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जितनी उक्त परिसम्पत्तियों पर कर दायित्व की पूर्ति के लिए पर्याप्त होती हों।

आयकर अधिकारीयों द्वारा आगरा में छापे मारे जाना

735. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 8 जनवरी, 1975 को आगरा में कागज बनाने वाले दो प्रमुख कारखानों के एक प्राधिकृत एजेंट के अहाते पर छापा मारा था और अनधिकृत स्टाक, जवाहरात नकद तथा हुंडियों को जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा कम्पनी के नाम क्या हैं और जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छिपाई गई कुल आय का पता लगाने के लिए और आगे जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मैसर्स स्टार पेपर मिल्स के एक एजेंट तथा अन्य सम्बन्धित पार्टियों के परिसरों की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन तलाशियां ली गई थीं ।

निम्नलिखित स्थानों की तलाशी ली गई :

(1) श्री गुलज़ारी लाल वार्ष्णेय और श्री लव कुमार वार्ष्णेय का निवास स्थान, 5/84 मदइया कटरा, आगरा ।

(2) आगरा में 5/84, मदइया कटरा में श्रीमती मनोहर देवी पत्नी श्री गुलजारी लाल वार्ष्णेय के स्वामित्व के प्रतिष्ठान मैसर्स मनोहर ट्रेडिंग कं; और श्रीमती शशि वार्ष्णेय, पत्नी श्री लव कुमार वार्ष्णेय के स्वामित्व के प्रतिष्ठान शशि एण्टर प्राइजेस के व्यापारिक परिसर ।

(3) सेठ गली, आगरा स्थित मैसर्स हिन्दुस्तानी पेपर एजेंसी और मैसर्स जी० एल० वार्ष्णेय एण्ड संस के संयुक्त व्यापारिक परिसर ।

(4) हींग की मण्डी, आगरा में श्री हीरालाल गर्ग और रिखब दास का निवास स्थान ।

(5) सेठ गली, आगरा में श्री प्रेम बहादुर गुप्त, मुनीम का निवास स्थान ।

(6) खालसा गली, आगरा में श्री शिव नारायण अग्रवाल मुनीम का निवास स्थान ।

(7) हींग की मण्डी, आगरा में श्री लव कुमार के स्वसुर श्री प्रताप चन्द गर्ग का निवास स्थान ।

(8) कई बैंक-लाकर ।

दो लाकर तथा एक लोहे की तिजोरी अभी खोली जानी हैं । पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

नक़दी	आभूषण	गिरवीं की वस्तुएं
(रु०)	(मूल्य रु० में)	
8,57,004	8,28,986	2,36,700

इसके अलावा, 2,16,891 रु० के जवाहिरात, लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख रु० मूल्य के कागज के दो गोदाम और सीमेंट का एक गोदाम धारा 132(3) के अधीन निषेधाज्ञ के अंतर्गत रखे गये ।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल चल रही है । तलाशी के बाद, पहला काम छिपी आय का सरासरी तौर पर मूल्य निश्चित करने और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से उतनी को रोक रखने के लिए, जितनी अनुमानित छिपी आय पर कर-दायित्व को तथा प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन किसी मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जायें, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अधीन आदेश जारी करना है । उक्त आदेश माल पकड़ने के 90 दिन के भीतर जारी करना होता है ।

भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व

736. श्री वयालार रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 के अन्त तक भारत की कुल विदेशी मुद्रा रिजर्व कितनी थी;

(ख) क्या प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विदेशी मुद्रा रिजर्व में काफी गिरावट आई है; और

(ग) सरकार द्वारा आने वाले महीनों में भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारने के लिए की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 31 जनवरी, 1975 तक रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पत्तियां (सोना और एस० डी० आर० को निकाल कर) 494.00 करोड़ रुपये की थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 488.12 करोड़ रुपये की रकम निकाली है। विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनावश्यक आयात को बन्द कर, तस्करी पर रोक लगाकार और निर्यात, पर्यटन तथा विदेशों से मिलने वाली रकमों से होने वाली आय में वृद्धि कर अधिक से अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पंजी निवेश व्यय नीति

737. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अधिक सावधानी से बनाई गई पूंजी निवेश व्यय नीति के अनुसार कार्य करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी की वर्तमान आशंकायें दूर हो जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त नीति से बढ़ते हुए मूल्यों तथा मुद्रास्फीति की कहां तक रोक-थाम हो सकेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) पूंजी निवेश के रूप में किये जाने वाले व्यय के लिए सरकार की नीति इस ढंग से बनायी गयी है कि अर्थ व्यवस्था के अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे ऊर्जा इस्पात, उर्वरक और यातायात में लगायी जाने वाली पूंजी की मात्रा में कमी न हो। इन उपायों के अन्तर्गत आम उपयोग की वस्तुओं की मांग और सप्लाई में बेहतर संतुलन स्थापित करने और सरकारी पूंजी को आय खपत की वस्तुओं के उत्पादन तथा बुनियादी उद्योगों सहित गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की बजाय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लगाने पर जोर देने का विचार है। जब इस प्रकार लगायी गयी पूंजी का फल प्राप्त होने लगेगा और सप्लाई बढ़ जायेगी तो मूल्यों पर पड़ रहे दबाव में कमी आने की सम्भावना है और विकास की गति में भी तेजी आने की आशा है।

सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

738. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के पहले 6 महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार ने सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। मुख्य मुख्य बाते निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. मिश्रित बाध्यता योजना में 31 मार्च, 1975 तक, मिल निर्मित कपड़ों से बने परिधानों के निर्यातों के लिए की जाने वाली सहायता शामिल है। इस योजना को 31-3-75 के बाद बढाना अथवा इसे नकद सहायता में बदलना, विचाराधीन है।

2. हथकरघा वस्त्रों के निर्यातों के सम्बन्ध में 1-1-75 से 31-3-76 तक के लिए एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत तक सहायता देने का विनिश्चय किया गया है। कांट-छाट तथा अलंकरण के लिए 8 प्रतिशत की आयात प्रतिपूर्ति हथकरघा वस्त्रों के निर्यातक को मिलती रहेगी।

वर्ष 1974–75 के दौरान व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल होना

739. श्री सरजू पाण्डे :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात व्यापार में वृद्धि की प्रवृति के बावजूद वर्ष 1974-75 में व्यापार सन्तुलन और अधिक प्रतिकूल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके महीनेवार आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1974 के दौरान, 1973 की इसी अवधि के दौरान 164.1 करोड़ रु० की कमी की तुलना में 585.3 करोड़ रुपये की कमी आई है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरुप खाद्यान्नों, पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों आदि के आयातों का मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचा हो गया।

भारत की विदेशी मुद्रा का रिजर्व

740. **श्री सरजू पांडे :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में बहुत तेजी कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1974-75 के दौरान रक्षित निधि के मासवार आंकड़े क्या है और रक्षित निधि में तेजी से कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

चालू वित्त वर्ष में, 31-1-1975 तक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विदेशी परिसम्पत्ति में (सोना, एस डी आर और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गयी रकमों को छोड़कर) 524.00 करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विदेशी परिसम्पत्तियों का महीनेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

महीना (अन्तिम शुक्रवार)	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विदेशी परिसम्पत्ति (इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गयी रकमें शामिल हैं)
मार्च	529.88
अप्रैल	575.33
मई, 74	769.49
जून, 74	762.31
जुलाई, 74	690.41
अगस्त, 74	645.92
सितम्बर, 74	616.41
अक्तूबर, 74	601.00
नवम्बर, 74	736.33
दिसम्बर, 74	645.01
जनवरी, 75	494.00
घटबढ़ : (—)	35.88
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गयी रकमें	488.12
कुल घटबढ़	524.00

प्रारक्षित निधि में कमी होने का मुख्य कारण तेल, रासायनकि खाद और अन्य वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण आयात बिल में वृद्धि होना और अनाज के आयात की लगातार जरुरत बना रहना है।

कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्य में वृद्धि

741. श्री सरजू पांडे :
श्री सरोज मुखर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों ने अपने स्टाक में कमी हो जाने के कारण कपड़े की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान मुख्य मिलों द्वारा कपड़े की विभिन्न किस्मों का लिया जाने वाला मूल्य क्या था; और

(ग) ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यह पता चला है कि कुछ मिलों ने सूती कपड़े की अनियंत्रित किस्मों की कीमतें जनवरी, 1975 से बढाई हैं।

(ख) जुलाई-दिसम्बर, 1974 के दौरान अनियंत्रित कपड़े की कुछ प्रतिनिधि किस्मों की कीमतें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8956/75]**

(ग) कीमतों में वृद्धि के संबंध में सरकार को जो चिन्ता है उसके बारे में भारतीय सूती मिल परिसंघ को सूचित कर दिया गया है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग

742. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि की तुरन्त आवश्यकता है और भविष्य में प्रतिवर्ष कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) उल्लिखित मांग संभवतः 2272 के सूचकांक औसत स्तर से ऊपर जहां तक कि महंगाई भत्ते की पहले ही स्वीकृति की जा चुकी है, कीमतों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की स्वीकृति कि है। यदि ऐसा है, तो यह सच है कि इस प्रकार की मांग की गई है।

(ख) और (ग) तीसरे वतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब सूचकांक औसत 272 के स्तर के ऊपर चला जाता है तो समीक्षा की जानी होती है। ऐसी समीक्षा अब की जा रही है। और आगे भुगतानों के कारण अंतर्ग्रस्त रकम का अनुमान इस समीक्षा के परिणामस्वरुप किए जाने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात ही लगाया जा सकता है।

भारत-ईरान पूंजी नियोजन निगम की स्थापना का प्रस्ताव

743. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान पूंजी नियोजन निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ईरान वाणिज्य उद्योग तथा खान चैम्बर, तेहरान के एक औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 24 दिसम्बर, 1974 तक भारत का दौरा किया। बातचीत के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल के नेता ने भारत-ईरान निवेश निधि की एक प्रस्थापना सामान्य तौर पर रखी थी। इस प्रस्थापना का ब्यौरा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि

744. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1974 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की कुल बकाया राशि क्या है; और

(ख) क्या सरकार की इस बकाया राशि का भुगतान करने की कोई योजना है; यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) महंगाई भत्ते की योजना के अनुसार, जैसा कि इसके बारे में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 महीने के औसत में 200 से ऊपर प्रत्येक बार होने वाली 8 अंकों की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ता देय होता है और यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत 272 से ऊपर चला जाता है तो उसकी समीक्षा की जानी होती है। 272 के स्तर तक जो अगस्त, 1974 के अंत में पहुंच चुका था, देय महंगाई भत्ते की किश्तें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं और 272 के स्तर से ऊपर प्रतिपूर्ति के संबंध में समीक्षा की जा रही है।

कैप्रोलेक्टम के आवंटन के लिए अभ्यावेदन

745. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित सामग्री और गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स द्वारा निर्मित देशी कैप्रोलैक्टर्स के सम्बन्ध में केप्रोलैक्टम का सीधा आवंटन करने के लिये आल इण्डिया कोआरडिनेशन कमेटी आफ आर्ट सिल्क फैबरिक मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन और सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स ऐसोसियेशन से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें सुझाव दिया गया था कि कृत्रिम रेशम वस्त्र के बुनकरों को स्वदेशी तथा आयातित कैप्रोलैक्टम आवंटित किया जाये जिसे वे उचित परिवर्तन दरों पर कर्ताओं द्वारा धागे में परिवर्तित करा सकें। दिये गये सुझाव अमल करने योग्य तथा व्यावहारिक नहीं पाये गये।

एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस

746. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एयरलाइन्स प्रशासन को हड़ताल का नोटिस देने के बारे में एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन के निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या करण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां। किन्तु इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को इस सम्बन्ध में हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देसाई वेतन आयोग द्वारा गुजरात सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

748. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री बकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देसाई वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुजारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तूत कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) देसाई आयोग की सिफारिशों के सारांश की प्रतियां राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही हैं और शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकर वायु मार्ग

749. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ाने अलाभकर मार्गों पर चल रही हैं;

(ख) अलाभकर वायु-मार्गों की उड़ाने समाप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे वायु-मार्ग कौन-कौन से हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1974-75 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अब तक परिचालित की गयी सेवाओं की मार्गवार आर्थिक स्थिति का अभी संकलन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि इंडियन एयरलाइंस द्वारा जहां तक संभव हो, वायु निगम अधिनियम के अंतर्गत व्यापार-सिद्धांतों पर कार्य करने की आशा की जाती है, तथापि इसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में भी अपने दायित्वों को निभाना पड़ता है। अतः, कारपोरेशन को क्षेत्रीय तथा पर्यटन विषय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ अलाभप्रद मार्गों पर भी परिचालन जारी रखना पड़ता है।

'पालियेस्टर चिप्स' का आयात

750. **श्री शशि भूषण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में देश के विभिन्न निर्यात गृहों द्वारा कितने और कितने मूल्य के पालियेस्टर चिप्स का आयात किया गया और आयातकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन्हें गोदियों से उठा लिया गया है यदि नहीं, तो उन गोदियों के नाम क्या है जहां पर वे अभी तक पड़े हैं और वे कब से पड़े हैं और उनको वहां से न उठाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वस्तु का अयात आयात-प्रोत्साहन के अन्तर्गत किया गया था और यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या था और क्या यह बात सरकार की आयात नीति के अनुकुल नहीं थी; और

(घ) इसके आयात की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी और क्या आयात नीति में इस प्रकार का संशोधन करने का विचार है कि इन वस्तुओं को छुड़वाने के सम्बन्ध में पहले से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाई पैदा न हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात के आंकड़े आयातकवार अथवा निर्यात गृहों के सम्बन्ध में अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) तथा (ग) रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत जारी किये गये प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर आयातित पोलिस्टर चिप्स की कतिपय खेपें पिछले लगभग छः महीने से बम्बई में पड़ी हैं जिन्हें उठाया नहीं गया है क्योंकि यह जांच पूरी नहीं हुई है कि ये आयात लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किये गये हैं अथवा नहीं।

(घ) ये लाइसेंस रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में आयात नीति वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 140-आई टी सी (पी एन) / 74 दिनांक 20-9-74 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना सं० 99-आई टी सी (पी एन) / 74 दिनांक 20-7-74 के अन्तर्गत संशोधित कर दी गई है जिसके अनुसार पोलियेस्टर चिप्स और संश्लिष्ट रेज़िनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे।

नायलोन धागे के आयात के लिये टायर निर्माता कम्पनियों को दिये गये लाइसेंस

751. **श्री शशिभूषण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान नायलोन धागे के आयात के लिये टायर निर्माताओं को कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो वर्षवार कितनी कीमत के लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) क्या नायलोन धागे को वास्तव में आयात किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नायलान धागे के आयात के लाइसेंसधारी लाइसेंसों को धागे के लिये कच्चे माल जैसी अन्य वस्तुओं के आयात लाइसेंसों में परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उक्त कच्चे माल का आयात किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, औद्योगिक नायलोन यार्न तथा नायलोन कार्ड के आयात के लिए टायर विनिर्माताओं को जारी किये लाइसेंसों का मूल्य वर्षवार नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाख रु० में
1972	84,000
1973	76,800
1974	478,903
1975	24,000

(ख) जी नहीं। आयात लाइसेंसों के आधार पर वास्तव में किये गये आयातों के संबंध में आंकड़े आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) तथा (घ) टायर विनिर्माताओं ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि वे विदेशी मुद्रा की इतनी ही राशि से औद्योगिक नायलोन यार्न की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा प्राप्त कर सकते है यदि कैप्रोलैक्टम के जोकि औद्योगिक नायलोन यार्न के विनिर्माण हेतु कच्चा माल है, आयात किये जाने की अनुमति दी जाये। सरकार द्वारा मामले पर विचार किया गया तथा 137 लाख रु० में मूल्य के नायलोन यार्न के लाइसेंस राज्य व्यापार निगम के नाम तथा प्राधिकारपत्र विनिर्माताओं के नाम कैप्रोलैक्टम के आयात के लिए लाइसेंसों में परिवर्तित किये गये तथा साथ ही 92.5 लाख रु० के लाइसेंस राज्य व्यापार निगम के नाम जोकि मार्गीकरण अभिकरण है, कैप्रोलैक्टम की सप्लाई के लिये रिलीज आर्डरों में परिवर्तित किये गये।

विदेशी कम्पनियों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना

752. **श्री शशि भूषण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है तथा किन कम्पनियों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गए हैं; और

(ख) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने उन विदेशी कम्पनियों को भारत में अपना कारोबार बन्द करने के लिए कितना समय दिया है जिनके सी० ओ० बी० के लिए आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन विदेशी कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

12 फरवरी, 1975 तक निम्नलिखित 17 कम्पनियों को अपना वर्तमान व्यवसाय करते रहने की अनुमति दी गयी है :

1. मलयेशियन एयर लाइंस सिस्टम, मलयेशिया
2. ग्रेट मलयेशिया लाइन, बरहाड, मलयेशिया
3. नाकोमोती शोजकी केसा लि० कलकत्ता
4. (ऐस्सो इस्टर्न इंकारपोरेटेड ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमरिका) के शेयर-धारियों के प्रतिनिधि का कार्यालय
5. दाल्कार्ट, ब्रदर्स बम्बई

6. इण्डियन टैक्सटाइल पेपर टुयब कम्पनी लि० विरुद्धनगर

7. अटोका एण्ड कम्पनी लि०, नयी दिल्ली

8. इण्डियन आयरन ओर लांग टर्म इम्पोर्ट एसोसिएशन आफ जापान, विशाखापत्तनम

9. नामुर ट्रेडिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता

10. नागार्स एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई

11. ओकुरा ट्रेडिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता

12. नोजाकी एंण्ड कम्पनी लि०, मद्रास

13. हिताशी लि०, नयी दिल्ली

14. तोयो मैनका कैशा लि०, बम्बई

15. निश्शो-इवाई कम्पनी लि०, कलकत्ता

16. मित्सुई ब्रदर्स लायजन आफिस (इंडिया) बंगलौर

17. मेंरुबैनो कारपोरेशन, बम्बई।

(ख) यदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत किसी आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाता है तो उस आवेदक को ऐसी नामंजूरी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की समाप्ति पर या किसी अन्य उस तारीख को अपना व्यवसाय बन्द करना पडता है जो उस आदेश में दी गयी हो।

नई परियोजनाओं को ऋण सहायता देने हेतु सांविधिक ऋणदाता संस्थाओं को प्राथमिकता

753. श्री विजय पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नई परियोजनाओं तथा विस्तार योजनाओं को ऋण सहायता देने हेतु सांवधिक ऋणदाता संस्थाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अखिल भारतीय दीर्घकालीन वित्त संस्थाओं की ऋण देने की नीति का संचालन, आयोजना में दिये गये उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है ऋण देने के अपने कार्यों में संस्थाएं उन औद्योगिक एककों को तरजीह देती है जो मूल और प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। 1975-76 में, कागज, सीमेंट, वस्त्र, चीनी जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ संबंधी उद्योगों और कृषि सहायक उद्योगों (अर्थात् रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं) और ऊर्जा पर आधारित उद्योगों (जिनमें कोयला और पेट्रोलियम भी शामिल है) के विकास पर मुख्य रूप से जोर देने का प्रस्ताव है।

सरकारी एजेन्सियों और राष्ट्रीयकृत बेंकों में जमा राशियों का गैर बैंकिग कम्पनियों को दिया जाना

754. विजय पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेन्सियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियों का गैर बैंकिंग कम्पनियों को दिये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ऐसी शिकायतें की गई है कि गैर–बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपनी मांगी गई जमाओं पर ब्याज की ऊंची दरें देने के कारण बैंकों के जमाएं इकट्ठी करने के कार्य पर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ग) 27 जनवरी, 1975 से रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिग कम्पनियों द्वारा अपने निदेशकों की गारण्टी पर अप्रत्याभूत ऋणों के रुप में ली जाने वाली और शेयरधारकों से जमा के रुप में ली जाने वाली जमाओं की मात्रा को, उन कम्पनियों की चुकता पूंजी और उनकी मुक्त आरक्षित निधि के जोड के 25% से घटाकर 15% कर दिया है ।

भारतीय युनिट ट्रस्ट के युनिटों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 7 जनवरी 1975 को जारी किये गये एक अध्यादेश द्वारा यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 में संशोधन किये हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ठ के अन्तर्गत, यूनिटों समेत कुछ अनुमोदित निवेशों से 3000 रुपये तक की आय को छूट प्राप्त है। इन संशोधनों में यह व्यवस्था है कि 3000 रुपये की वर्तमान सीमा से आगे, यूनिटों से प्राप्त 2000 रुपये तक की और आय की छुट प्रदान कर दी जाय। इन संशोधनों में यह भी व्यवस्था है कि सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अधीन यूनिटों समेत निवेशों के विषय में छूट की जो सीमा निर्धारित है उससे ऊपर, यूनिटों में किये गये 25,000 रुपये तक के निदशों को और छूट प्रदान कर दी जाये। इसके अधिरिक्त, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गये यूनिटों को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत ट्रस्टी, प्रतिभूतियां माना जा सकता है और यूनिटधारक द्वारा नामांकित व्यक्तियों को देय राशियां, कुछ शर्तों पर, इन नामांकित व्यक्तियों में निहित मानी जायंगी ।

बंगलादेश के राष्ट्रिकों को भारतीय मुद्रा जारी करना

755. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडे ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी कारणों से भारत की यात्रा करने वाले अपने राष्ट्रिकों को भारतीय मुद्रा जारी न करने के बंगलादेश सरकार के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को बंगलादेश के इस निर्णय के संबंध में जानकारी है। यह निर्णय दोनों देशों की सरकारों के आपसी समझौते के बाद किया गया है, जिसके अंतर्गत विशेष रुपया खाते के माध्यम से की जाने वाली यात्रा खर्च की अदायगियों को 1–1–75 से बंद कर दिया गया है ।

देश में बैंकों में जमा होने वाली धनराशि में कमी होना

756. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान बैंकों में जमा होने वाली कुल धनराशि में कुछ कमी हुई जबकि बैंक के बकाया ऋण में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान तथा वर्ष 1975 में अब तक बैंक की कुल जमा धनराशि में और बैंक के बकाया ऋण में कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कलेण्डर वर्ष 1974 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं तथा बकाया अग्रिमों में भी समग्रतः वृद्धि हुई है और चालू वर्ष में वही प्रवृत्ति अभी तक बनी रही है। संबंधित आंकडे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित की समाप्ति पर	कुल जमाएं	वृद्धि	कुल अग्रिम	वृद्धि
दिसम्बर, 1973 .	10087	—	7062	—
दसम्बर, 1974* .	11440	1353	7914	852
जनवरी, 1975 . .	11630	190	8155	241

वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं और अग्रिमों पर, व्यापक आर्थिक प्रवृत्तियों, बचत करने की समाज की क्षमता, उत्पादक के स्तर और वस्तुओं के व्यापार आदि जैसी कई बातों का प्रभा पडता है।

भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व

757. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 1975 के दौरान भी विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति का सामना करते रहना पडेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन बनी रहने की सम्भावना है, इसका मुख्य कारण तैल, रासायनिक खाद और अन्य वस्तुओं की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि हो जाने के कारण आयात खर्च का बढ़ जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अध्यक्ष के साथ हुई बातचीत

758. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में वाशिंगटन यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष से भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विषयों पर बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

*अनन्तिम

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) उनसे भारतीय अर्थ व्यवस्था पर हाल की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव, भारत इन बदली हुई परिस्थितियों में किस प्रकार तालमेल बैठा रहा है और अर्थव्यवस्था के अत्यावश्यक क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि के भविष्य पर बातचीत हुई थी। बैंक–समूह से अतिरिक्त सहायता मिलने की सम्भावानाओं पर भी बातचीत की गयी थी।

'हालिडे इन्स इंकारपोरेटिड' द्वारा होटलों का निर्माण

759. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला 'हालिडे इन्स इंकारपोरेटिड' ने आगरा शहर में एक होटल खोला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को अमरीको होटल श्रृंखला द्वारा भारत में बनाये जा रहे अन्य होटलों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हाल ही में आगरा में खोले गये होटल हालिडे इन की स्थापना यू० एस० ए० की हालिडे इन इंक० के सहयोग से एक भारतीय कम्पनी द्वारा की गयी है।

(ख) इस कम्पनी के सहयोग से तीन और होटल बम्बई, मद्रास तथा हैदराबाद में स्थापित किए जा रहे हैं।

विशिष्ट तेल सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

760. **श्री भोगेन्द्र झा** : **क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राज-सहायता प्राप्त व्याज पर विशिष्ट तेल सुविधा के अन्तर्गत विकासशील देशों को ऋण देने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) भारत को इससे किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति इस बात से सहमत थी कि तेल सुविधा को 1975 के लिए बड़े पैमाने पर जारी रखा जाना चाहिए। समिति ने प्रबन्ध निदेशक की इस सुझाव को पूर्णत: स्वीकार कर लिया कि तेल का निर्यात करने वाले और औद्योगिक देशों को उपयुक्त अंशदान से और यदि सम्भव हो तो उन अन्य सदस्य देशों के अंशदान से, जो अंशदान करने में समर्थ हो, एक विशेष खाता खोला जाना चाहिए और गम्भीर रूप से प्रभाविप सदस्य देशों द्वारा तेल सुविधा के अन्तर्गत देय व्याज के भार को कम करने के लिए यह खाता इस दोष द्वारा चलाया जाना चाहिए।

(ग) जब यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जायगा तो इससे भारत को जिस पर तेल संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, काफी मदद मिलेगी।

बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

761. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में जनवरी, 1975 में कितने सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा कितनों को आरोप-पत्र दिये गये; और

(ख) तत्सम्बन्धी अन्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जनवरी 1975 में, बम्बई सीमाशुल्क गृह के चार कर्मचारियों को आरोप–पत्र दिये गये थे। वे चारों श्रेणी–II के राजपत्रित अधिकारी हैं और उनको 'ऊनी चिथड़ों के मामलों' के संबंध में आरोप–पत्र दिये गये हैं।

तस्कर-विरोधी अभियान

762. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो महीने चुप रहने के बाद सरकार ने अपना तस्कर विरोधी अभियान का दूसरा दौर आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तस्करी विरोधी अभियान में कोई कमी नहीं आई है। यह अभियान एक सतत प्रक्रिया है और इसे अधिकाधिक कारगार बनाने की दृष्टि से सरकार सभी संभव उपाय कर रही है।

(ख) क्षेत्रीय अधिकारियों को तस्करी-विरोधी कार्य के लिये अतिरिक्त कर्मचारी और उपकरण की व्यवस्था की गयी है। समुद्र–तट–रक्षक दलों, मार्गों पर निगरानी रखने वाले दलों और गुप्त सूचना तथा निवारक दलों और बेतार संचार व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। नार्वे में निर्मित दस नौकाएं, जिन पर रडार तथा अन्य उपकरण लगे हैं, प्राप्त की जा चुकी हैं और ऐसी और नौकाएं संभवतः इस वर्ष मार्च तक पहुंच जायेगी। इसके अतिरिक्त, विधायी एवं प्रशासनिक उपाय भी विचाराधीन हैं।

अमरिका से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग जेट विमानों की खरीद

763. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अमरीका से दो और बोईंग जेट विमान खरीदने के सौदे को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सरकार ने 1975 की अन्तिम तिमाही में डिलीवरी के लिये बोइंग कम्पनी से सम्बद्ध फालतू पुर्जो तथा फालतू इंजनों सहित दो और बोइंग–737 विमान खरीदने संबंधी इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव का अनुमोदन

कर दिया है। लागत के 10% की वित्त-व्यवस्था इंडियन एयरलाइंस के अपने साधनों से की जाएगी। शेष 90% को पूर्ति एग्ज़िम बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक एवं वित्तीय संस्थानों से की जाएगी जिस के लिये बातचीत चल रही है। अनुमानित लागत 125.00 लाख अमरीकी डालर होगी।

इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

764. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के विदेशों के दौरों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि म विदेशों का सरकारी तौर पर दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च को गई; और

(घ) उन्हें किस प्रयोजन के लिये भेजा गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एअरलाइंस के उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान निगम की डयूटी पर विदेशों का दौरा किया, निम्न प्रकार थी :-

1972-73	62
1973-74	93
1974-75 (18-2-75 तक)	56

यह देखा जा सकता है कि हालांकि 1972-73 की अपेक्षा 1973-74 के दौरान अधिक अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया, 1974-75 के दौरान इन अधिकारियों की संख्या 1973-74 की अपेक्षा कम होने की संभावना है।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8957/75**।]

वर्ष 1974 के दौरान चाय का निर्यात

765. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान भारत से चाय की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ख) हमारे निर्यात की प्रतिशतता विश्व चाय निर्यात की तुलना में कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जनवरी से अक्तूबर 1974 तक भारत से 138.25 करोड रु० मूल्य की 1553.9 लाख कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ जबकि 1973 की उसी अवधि के दौरान 110.47 करोड़ रु० मूल्य की 1443.2 लाख कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ था।

(ख) विश्व निर्यातों में भारत का भाग लगभग तीस प्रतिशत है।

India's Foreign Debt

766. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present total foreign indebtedness of the Government of India ;

(b) the Countrywise break-up thereof ; and

(c) the total amount of debt repayment that would have to be made by the Government of India during 1975 ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The total foreign indebtedness of the Government of India as on 31st December, 1974 is estimated at Rs. 6925.80 crores.

(b) The country-wise break-up thereof is given in the Annexure.

(c) The total amount of debt repayment that would have to be made by Government of India during the calendar year 1975 is estimated at Rs. 262.45 crores at pre-December, 1971 IMF parity rates (Rs. 309.81) crores at the current rates).

STATEMENT

(In Crores of rupees at the pre-December, 1971 I.M.F. parity rates)

Name of the Country	Outstanding as on 31-12-1974
A. *Repayable in Foreign Currency :*	
1. Austria	16.32
2. Belgium	16.15
3. Canada	307.02
4. Denmark	11.10
5. F. R. Germany	558.28
6. France	133.74
7. Italy	15.22
8. Japan	402.42
9. Netherlands	91.65
10. Sweden	47.66
11. U. K.	907.27
12. U.S.A.	2411.03
13. I.B.R.D.	215.48
14. I.D.A.	1451.32
15. Switzerland	16.91
16. Behrain	1.42
17. Qatar	4.69
TOTAL 'A'	6607.68

Name of the Country	Outstanding as on 31-12-1974
B. *Loans Repayable through Export of Goods :*	
1. Czechoslovakia . .	42.25
2. Poland	15.09
3. U.S.S.R.	252.52
4. Yugoslavia . . .	6.95
TOTAL 'B'	316.81
C. *Loans Repayable in Rupees :*	
Denmark	1.31
TOTAL 'C' . .	1.31
Grand Total (A+B+C) . . .	**6925.80**

Beggars at Tourist Spots

767. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the problem of large number of beggars that still haunt the tourist spots which does not create a good impression on foreign tourists ;

(b) if so, the steps taken by Government to deal with the problem ; and

(c) when were these steps taken and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Ministry of Home Affairs issued a circular to all State Governments on 16th June, 1970 suggesting that special police arrangements be provided at all tourist centres by the State Authorities. The Prime Minister also took serious note of the problem and personally addressed a circular letter to the Chief Ministers of various States Governments on 9th August 1971. The Minister of Tourism and Civil Aviation wrote a personal letter to the Chief Minister of Uttar Pradesh on 1st Jan., 1975 on the same subject. As a result, the Government of Uttar Pradesh have issued instructions to the concerned authorities to take suitable measures in this regard.

The Estimates Committee in its 42nd Report also made observations/recommendations regarding the beggars nuisance and these were brought to the notice of the State Governments for taking suitable action on those recommendations.

While begging is a social and economic problem and keeping places of tourist interest free from beggars is a normal function of State Authorities, the Department of Tourism will continue its efforts to persuade every one concerned to take suitable measures in this regard.

Deployment of vehicles by Coffee Board

768. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Coffee Board deployed 42 vehicles in 1972-73 whereas it had deployed 25 vehicles in 1970-71 ;

(b) if so, the amount of expenditure incurred thereon previously and the extent to which it has increased now ; and

(c) whether any extra profit has been earned or is likely to be earned by the Board thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The expenditure on petrol incurred by the Coffee Board for running its vehicles during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 was Rs. 1,10,078, Rs. 1,49,294 and Rs. 1,83,422 respectively.

(c) As the vehicles have been deployed for departmental use of the various offices of the Board located in different places, the question of earning profit on this account does not arise. The increase in the number of vehicles is due to the expansion of the activities of the Board in the field of Research & Extension, Marketing operations and experts.

तस्करों और राजस्व आसूचना निदेशक के बीच कथित विवाद

769. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्व आसूचना निर्देशक और कथित तस्कर, हाजी मस्तान और युसुफ पटेल के बीच मुंहभराई (हुश मनी) के भुगतान पर हुए गम्भीर विवाद के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) प्रश्न में अनुमानतः 18 जनवरी, 1975 के "मार्च आफ दी नेशन" के साप्ताहिक संस्करण के अंक में छपे समाचार का उल्लेख है। लेकिन इस समाचार में, राजस्व गुप्तचर्या निदेशक और कुख्यात तस्कर व्यापारीयों के बीच रिश्वत देने में झगड़े संबंधी आरोप नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानन ईंधन का उठाया जाना

770. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के महा निदेशक की सलाह पर, इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमानों लिये के देश के आठ हवाई अड्डों से भारतीय तेल निगम का विमानन इंधन उठाना स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या इन आठ हवाई अड्डों पर भारतीय तेल निगम द्वारा सप्लाई किया जाने वाला इंधन दूषित पाया गया है जिसमें गंधक की अत्यधिक मात्रा मिली हुई पाई जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों पर संचालनों (आपरेशन्ज) के स्थान की रोकथाम के लिये क्या प्रन्बध किये जाते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस ने सूचित किया है कि कुछ हवाई अड्डों से लिये गये विमानन ईंधन के सैम्पलों पर किये गये परीक्षणों से सल्फर की उच्च मात्रा की संभावना का पता चला है। नागर विमानन के महानिदेशक की राय ली गई थी जिस ने नागर विमानन विभाग की प्रयोगशाला में परीक्षण

करने के पश्चात इसकी पुष्टि की। इसके परिणामस्वरुप इंडियन एयरलाइंस ने देश में आठ हवाई अड्डों पर इंडियन आएल कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किया जा रहा विमानन ईंधन लेना स्थगित कर दिया।

(ग) इंडियन आएल कारपोरेशन द्वारा इन हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन की वैकल्पिक सप्लाई के प्रबंध कर दिये गये थे। अन्तरिम अवधि के लिये विमानों द्वारा पिछले स्टेशनों से फालतू ईंधन वहन किया जाता रहा।

कपड़े की कीमतों में वृद्धि करने संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने के लिए कपड़ा उद्योग को चेतावनी

771. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग को चेतावनी दी गयी है कि वे कपड़े की कीमतों में वृद्धि करने सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण करें क्योंकि इस पर उपभोक्ताओं द्वारा गहन विरोध किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) इस समय मिल क्षेत्र में सूती कपड़े के 30 प्रतिशत उत्पादन पर कीमत नियंत्रण लागू है और निर्धारित स्तरों से आगे उद्योग द्वारा कीमतों में वृद्धि किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक कीमत नियंत्रण से इतर उत्पादन का सम्बन्ध है मिलों द्वारा पहले ही कपड़े की कीमतों में कमी की गई थी लेकिन बिलकुल हाल ही में उन्होंने पुनः कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतों में वृद्धि का कारण कच्चे माल की लागत, मजूरी में वृद्धि, बिजली में कटौती आदि बताया जाता है। कीमतों में इस नवीनतम वृद्धि के बारे में सरकार की चिन्ता से भारतीय सूती मिल फेड्रेशन को अवगत करा दिया गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों निवारक अधिनियम की क्रियान्विति हेतु राज्यों को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

772. श्री मधु दण्डवते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के प्रयोग में स्तर तथा दृष्टिकोण में समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त परिचालित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। ये मार्गदर्शक सिद्धान्त, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंदी के मामलों में मापदण्ड तथा दृष्टिकोण की एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए तस्करी-विरोधी अन्य उपायों के पूरक के रुप में हैं।

मैसर्स मर्करी ट्रैवल्स (आई) लिमिटेड के कलकत्ता स्थित कार्यालय को बन्द करना

773. श्री दिनेश जोरदर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मैसर्स मर्करी ट्रैवल्स (आई) लिमिटेड के कलकत्ता स्थित कार्यालय के 7 सितम्बर, 1974 से बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनी के कार्यकरण की जांच की है, जिसमें जनता की बहुत बड़ी राशि ऋण के रुप में लगी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मैसर्स मर्करी ट्रैवल्स (इंडिया) लिमिटेड की केवल एक शाखा का बन्द होने का मामला है न कि सारी कम्पनी का। इस मामले में पर्यटन विभाग द्वारा कम्पनी के कार्यकरण के बारे में जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

तस्करी रोकने के लिये स्पीड बोट्स (तेज चलने वाली नौकायें)

774. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक तस्करी को रोकने के लिये कितनी स्पीड बोट्स (तेज चलने वाली नौकायें) प्राप्त कर ली है ;

(ख) प्रत्येक तेज चलने वाली नौका पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1975 के अन्त तक कितनी तेज चलने वाली नौकाए प्राप्त कर ली जायेंगी; और

(घ) ये नौकाएं तस्करी रोकने में कहां तक सहायक हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नार्वे से 20 नावें खरीदने के लिये आर्डर दे दिया गया है। इन में से, 2 नावें अक्तूबर, 1974 तथा 8 नावें जनवरी, 1975 में प्राप्त हो गई थीं।

(ख) लगभग 13.3 लाख रुपये (8.58 लाख नार्वे के क्रोनर) प्रति नाव।

(ग) केवल 20।

(घ) तस्करी-विरोधी कार्यों के लिये इन नावों की रफ्तार और स्थितिपरिवर्तन क्षमता बहुत लाभदायक है। चूंकि अधिकांश नावें हाल ही में प्राप्त हुई हैं, इसलिये भारतीय समुद्र-सीमाओं के अन्दर तस्करी-विरोधी कार्यों में उनके उपयोग का जायजा लेने में कुछ समय लगेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौता

775. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अभी हाल में पाकिस्तान सरकार के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त व्यापार समझौते की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी जायगी और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्राशय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार पर 28 जनवरी, 1975 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हुए ।

(ख) करार की मोटी–मोटी विशेषताएं ये हैं कि (i) दोनों देश अपने व्यापार सम्बन्धों में एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करते हैं; (ii) दोनों देशों के बीच व्यापार को सुकर बनाने और उस का विविधीकरण करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जायेंगे; (iii) आरम्भ में तथा जब तक अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, व्यापार सरकारी स्तर पर या सरकार नियंत्रित निगमों के माध्यम से किया जायेगा; (iv) दोनों में से प्रत्यक देश में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; (v) व्यापारिक लेन देन से सम्बन्धित सभी भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किय जायेंगे ।

(ग) उपरोक्त करार की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय का सप्लाइ की जा चुकी हैं ।

भारत और जाम्बिया के बीच सम्पन्न व्यापार समझौता

776. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जांबिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत सरकार और जाम्बिया सरकार के बीच, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्राशय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हरियाणा में लघु बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशि

777. श्री विरेन्द्र सिंह : राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान हरियाणा राज्य में 'लघु बचत योजना' के अन्तर्गत किये गय एकल जमा (सिंगल डिपाजिट) को संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समुचे देश में किसी एकल जमा की अधिकतम राशि कितनी थी और उसका किस राज्य से सम्बन्ध था; और

(ग) विभिन्न राज्यों में जमा राशि में वृद्धी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) इस अवधि के दौरान पूरे देश में एकल जमा की अधिकतम राशि 2.50 करोड़ रुपये थी और यह रकम बिहार में जमा हुई थी।

(ग) अल्पबचत योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अधिक जमा कराने के लिए वर्ष 1974-75 में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये, वे ये हैं :

(1) विभिन्न लघु बचत सिक्यूरिटियों पर व्याज की दरों को वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों और खातों में व्याज की बढ़ी हुई दरों के बराबर लाने के लिए इनमें पहली अप्रैल 1974 और उसके बाद 23 जुलाई 1974 से इसमें और वृद्धि की गयी।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के पहले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये और इनके अनुसार जमा कराने के लिए एक आयोजना की रुपरेखा बनायी गयी थी जिसकी सूचना सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की दी गयी है।

(3) दिसम्बर, 1973 में शुरु की गयी डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिससे लोग अधिक से अधिक मात्रा में खातों में रकमें जमा रखे, दो इनामी ड्रा निकाले गए, पहला ड्रा 31 जलाई 1974 को और दूसरा 31 जनवरी, 1975 को निकाला गया।

(4) अधिक से अधिक मात्रा में व्यक्तिगत रूप में से रकम जमा कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकारों को उनके लिए निर्धारित व्यक्तिगत संग्रह के लक्ष्य से अधिक संग्रहीत निवल राशि के 25 प्रतिशत के बराबर 1974-75 से ऋण सहायता दी जा रही है। यह उनके निवल अल्प बचत संग्रह के दो तिहाई के सामान्य हिस्से के अलावा होगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों की कीमतों में कमी करने की अनुमति दिया जाना

778. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने बड़े बहुराष्ट्रीय फर्मों को कुछ मुल औषधियों की कीमतों में कमी करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी किये जाने की अनुमति दी गयी है और किन शर्तों पर;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के पास पड़े औषधि स्टाक के कारण 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रुकी पड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक असामान्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

'एवियेशन टरबाइन फ्यूएल' के मूल्यों में कमी करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स का अनुरोध

779. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री धामनकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 6 एवियेशन टर बाइन फ्यूएल के मूल्य में कमी करने का अनुरोध किया है जिससे इसे एयर इंडिया और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य के बराबर लाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सार क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में कमी करने का अनुरोध किया था, अत: 18–9–74 से 100/– रुपये प्रति किलो लिटर की दर से विमानन टर्बाइन ईंधन में मूल्य में कमी के रूप में राहत दी गयी थी।

राज्य सरकारों द्वारा लगाए गये बिक्री दरों में, जोकि इस समय बहुत अधिक हैं, कमी करने के लिए कार्पोरेशन ने उत्पादन शुल्क की दर में कमी करने तथा उनके द्वारा आयातित विमानों एवं विमान पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट देने के लिए अनुरोध किया है। कार्पोरेशन के ये अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

आयकर की बकाया राशि की वसूली

780. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली हाउस, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली में रहने वाले श्री कृष्ण मोहन से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए वहां के किरायेदारों से मासिक किराया जो प्रति महीने 40,000 रुपये से अधिक जाता है, कुर्क करने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) उन भवनों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां स्थित है जिनको कुर्क किया गया है तथा उनके अलग-अलग क्रय मूल्य क्या हैं ;

(ग) क्या मालिक ने किसी भवन का हस्तान्तरण किया है और यदि हां, तो कब;

(घ) क्या लाकरों तथा घरों में परिसम्पत्तियां का हिसाब लगा लिया गया है; और

(ङ) आयकर की यह बकाया राशि किस अवधि की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं परन्तु, किरायेदारों से मासिक किराया केवल, 7,000 रुपये के लगभग बताया गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दिए अनुसार है :—

सम्पत्ति का नाम	खरीद मूल्य (लाख रु० में)
1. 12 जरनैल बाग, दिल्ली	0.44
2. 2865/66 जी०बी० रोड, दिल्ली	0.28
3. 65/85 सदर बाजार, दिल्ली	1.40
4. नरेला में सम्पत्ति	0.39
5. 31/32 रोहतक कुरोड, दिल्ली	3.29
6. दयानन्द नगर अमृतसर में कृषि–भूमि	0.22
7. गरगारी में प्लाट	0.04

9—2 LSS/75

सम्पत्ति का नाम	खरीद मूल्य (लाख रु० में)
8. गरगारी में प्लाट	0.03
9. हरिद्वार में प्लाट	0.16
10. लारैंस रोड, अमृतसर में भूमि	0.13
11. 1399 कृष्ण नगर, अमृतसर	0.77
12. 1–ई/14 झण्डे वालान एस्कसटेन्सन, दिल्ली . . .	1.10
13. 53/83 रामजमा रोड, नई दिल्ली	0.80
14. बी–21/1, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली	0.80

(ग) जवाहर नगर, दिल्ली स्थित केवल एक सम्पत्ति सन् 1970 में 1.90 लाख रुपये की बेची गई थी, जिसे आय-पर की बकाया रकम में समायोजित करने के लिए अदा किया गया था।

(घ) कर-निर्धारिती के लाकरों और घरों में रखी हुई परिसम्पत्तियां, कर–निर्धारण के समय हिसाब में ले ली गई है।

(ङ) आय-कर की जो मांगे बकाया हैं, वे वर्ष 1968 और 1974 के बीच जारी की गई थी।

कोचीन में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

781. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन में एक असैनिक हवाई अडडे के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उक्त हवाई अड्डे के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिये जाने की आशा है।

वर्ष 1973–74 के दौरान महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय

782. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर किए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप 1973–74 के दौरान संशोधन हुआ। 1–1–73 से वेतनमानों का भूतलक्षी संशोधन होने से 1973–74 में महंगाई भत्ते के कारण लगभग 93 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

कालीकट के समीप करीपुर हवाई अड्डा

783. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागरी विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट के समीप करीपुर में एक हवाई अड्डा बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और,

(ख) यदि हां, तो यह हवाई अड्डा कब तक बन जायेगा?

पर्यटन और नागरी विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में बताया है कि अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति एवं परिचालन लागत में वृद्धि के कारण, उनके लिये पांचवीं योजनावधि के दौरान कालिकट के लिये विमान सेवा परिचालन कर सकना संभव नहीं होगा। तथापि, यदि साधन उपलब्ध हुये तो, फ़िलहाल अननुसूचित परिचालनों के लिये विमानक्षेत्र के विकास के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

डीघा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक सुविधाओं का विकास

784. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के डीघा पर्यटन केन्द्र पर वर्ष 1973 तथा 1974 में बहुत अधिक पर्यटक गये;

(ख) क्या डीघा में पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) डीघा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये या तो केन्द्र सरकार ने स्वयं और/या राज्य सरकार के माध्यम से क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग देश के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों की यात्रा करने वाले पयटकों का राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर रिकार्ड नहीं रखता है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि डीघा में राज्य पर्यटक लाज में ठहरने वाले यात्रियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

वर्ष (अप्रैल—मार्च)	डीघा के राज्य पर्यटक लाज में ठहरने वाले अतिथियों की संख्या
1970—71	1,693
1971—72	1,988
1972—73	3,945
1973—74	6,898

(घ) साधनों के सीमित होने के कारण चयनात्मक मार्ग अपनाना आवश्यक हो गया है, अत: डीघा में पर्यटकों के लिये सुविधाओं के विकास कार्य को केन्द्रीय सेक्टर में सम्मिलित नहीं किया गया है।

दिल्ली तथा कलकत्ता हवाई अड्डों का विकास

785 . **श्री समर गुह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा कलकत्ता हवाई अड्डों के विस्तार और विकास का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के विकास कार्यक्रम में कलकत्ता हवाई अड्डे को सामिल न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) 31 जनवरी 1975 तक कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं सम्बन्धी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने वाली राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन ओर नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर : (क) से (ख) और (ङ) दिल्ली (पालम) विमानक्षेत्र और कलकत्ता (दम दम) विमानक्षेत्र आज कल को विमान सेवाओं के परिचालन के लिए पहले ही उपयुक्त हैं । इन दोनों विमानक्षेत्र पर और अच्छी सुविधाओं तथा आधुनिक एवं परिष्कृत दक्चालन उपकरणों की व्यवस्था करने के लगातार उपाय किये जा रहे हैं । जहां तक कलकत्ता वमानक्षेत्र का संबध है, वहां 1970 में एक नये अन्तरर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन को चालू किया गया ा । कलकत्ता विमानक्षेत्र के मुख्य धावन-पथ का विस्तार पहले ही किया जा चुका है तथा से मजबूत करने का कार्य प्रगति पर है । जहां तक दिल्ली विमानक्षेत्र का संबंध है, वहां एक नये टर्मिनल काम्प्लेक्स के निर्माण संबंधी प्रस्ताव भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विचाराधीन है । भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये हाल ही में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हॉल का विस्तार किया गया है ।

(घ) जनवरी, 1975 में एयर-इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज़, थाई एयरवेज़ रायल नेपाल एयरलाइंस कारपोरेशन, बंगलादेश बिमान, यूनियन आफ बर्मा एयरवेज़ तथा स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम कलकत्ता के रास्ते अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं परिचालित कर रहे थे ।

पर्यटन विभाग द्वारा चलाय जा रहें होटल

787. **श्री एम० एस० पुरती : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा राजधानी तथा अन्य राज्यों में कितने होटल चलाये जा रहे हैं; और

(ख) उनमें से कौन से होटल लाभ कमा रहे हैं और कौन से हानि उठा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जोकि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, राजधानी में 6 तथा विभिन्न राज्यों में में होटल चला रहा है ।

(ख) वर्ष 1972-74 के दौरान, नई दिल्ली के अशोक होटल, अकबर होटल तथा जनपथ होटल और बंगलौर के होटल आशोक ने लाभ कमाया । नई दिल्ली के लोदी, रणजीत तथा कुतुब होटलों और औरंगाबाद के औरंगाबाद होटल, खजुराहो होटल, कोवलम ग्रोव ,उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल एवं वाराणसी होटल को हानि हुई । मैसूर का ललित महल पलेस होटल 13-9-1974 को चालू किया गया था । होटलों के वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1972 तथा 1973 में भारत पर्यटन विकास विभाग द्वारा चलाए गए होटल

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	होटल का नाम	राज्य, जिस में स्थित है	लाभ (+) / हानि (-) 1972-73	1973-74
1	अशोका होटल, नई दिल्ली . .	दिल्ली संघ शासित-क्षेत्र	+27.06	+44.94
2	अकबर होटल नई दिल्ली (27-1-1972 से चालू किया गया) . . .	,,	+6.79	+5.05
3	होटल जनपथ, नई दिल्ली . .		+10.48	+8.85
4	होटल रणजीत, नई दिल्ली . .	..	-1.83	-11.96
5	लोदी होटल, नई दिल्ली . .		-0.67	-4.71
6	कुतुब होटल, नई दिल्ली (4-11-1973 से चालू किया गया)		-	-5.04
7	होटल अशोक, बंगलौर (1-5-1971 से चालू किया गया)	कर्नाटक	+5.63	+6.85
8	औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद (1-10-1972 को रेलवे से लिया गया)	महाराष्ट्र	-1.17	-2.58
9	खजुराहो होटल, खजुराहो (19-11-1972 से विस्तार किया गया तथा होटल में परिणत किया गया)	मध्य प्रदेश	-3.29	-2.78
10	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर (जनवरी 1973 में और 23 कमरे जोड़ कर विस्तार किया गया)	राजस्थान	-4.72	-3.14
11	कोवालम ग्रोव, कोवालम (17-12-1972 से चालू किया गया)	केरल	-6.27	-6.47
12	वाराणसी होटल, वाराणसी (14-9-73 से चालू किया गया)	उत्तर प्रदेश	—	-9.08
13	ललित महल पैलेस होटल मैसूर (13-9-1974 से चालू किया गया)	कर्नाटक	—	—

अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय चाय की मांग में कमी

788. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय चाय की मांग में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) 'इंस्टंट' चाय के निर्यात के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दो तुरत चाय विनिर्माण करने वाले एकक 100 प्रतिशत निर्यात दायित्व के अन्तर्गत हैं। चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित व वित्तपोषित परियोजना में प्रारम्भिक माल के रूप में हरी चाय पत्ति प्रयोग करके क्वालिटी तुरत चाय का उत्पादन करने हेतु निकाली गई प्रयोगशाला प्रक्रिया के वाणिज्यिक स्तर पर लाभ उठाने के तरीकों का पता लगाने के लिए टोकलाई परीक्षण केन्द्र पर एक मार्गदर्शी संयंत्र स्थापति करने की व्यवस्था है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से गवेषणा दल का तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध होगा।

तुरत चाय सहित चाय के निर्यात संवर्धन हेतु उठाये गये कुछ कदम ये हैं :–

(1) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यात के लिए और अधिक सम्भावना बनाने के लिए लंदन, न्यूयार्क, काहिरा, ब्रूसेल्स तथा सिडनी में स्थापति चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यकलाप।

(2) स्थानीय ब्लैंडरों/पैकरों के सहयोग से विदेशों में चुने हुए बाजारों में भारतीव चाय के विशेष पैकों का संवर्धन।

(3) विदेशों में समुचित प्रचार माध्यमों से विज्ञापन।

(4) प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना।

(5) चाय में रूचि बढ़ाने के लिये व्यापारियों तथा विशेषज्ञों के दौरों का आदान–प्रदान

(6) अन्य हल्के पेय पदार्थों की तुलना में पेय के रुप में चाय का खपत में वृद्धि करन हेतु आयातक देशों में, अन्य चाय उत्पादन देशों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ चाय के सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

नायलन यार्न तथा धागे के आयात के लिए मैसर्ज सत्तप्रकाश भगवान दास को प्राधिकार पत्र देना

789. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलन यार्न तथा धागे अथवा पौलिस्टर रेशे के आयात के लिए वर्ष 1971 अथवा उसके आसपास मैसर्ज सत्तप्रकाश भगवानदास नामक फर्म को प्राधिकार पत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1967 में इस फर्म का प्राधिकृत आयातक के रुप में रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया था;

(ग) क्या वर्ष 1967 तथा 1970 के बीच फर्म ने मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख तथा ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो फर्म का ब्यौरा तथा पूर्ववृत्त क्या है; (दो) नायलन यार्न के आयात के लिये कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिए गए, क्या आयात लाइसेंसों का उपयोग किया गया था; और यदि हां, तो कैसे; (तीन) वर्ष 1967 तथा 1970 के बीच फर्म के अभ्यावेदनों को किस आधार पर अस्वीकृत किया गया; और (चार) इस फर्म को वर्ष 1971 में नायलन यार्न आदि के आयात के लिए किस आधार पर लाइसेंस जारी किए गएं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। वर्ष 1971 में मसर्स भगवानदास सत्त प्रकाश को नायलन यार्न तथा धागे/पोलिस्टर रेशे के आयात के लिए प्राधिकार पत्र दिया गया था।

(ख) इस फर्म का भारत-अफगान व्यापार के अन्तर्गत 1967 में अनुमोदित आयातक के रूप में रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया था।

(ग) 1967 तथा 1968 में फर्म द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों को नामंजूर कर दिवा गया था।

(घ) सुपारी आयात के सम्बन्ध में पहले अभ्यावेदन नामंजूर कर दिये गये थे क्योंकि फर्म को रिजर्व बैंक की अनुमति से उनके अफगानिस्तान के निर्यात अन्य अनुमोदित फर्म को अन्तरित करने के लिए कहा गया था। किन्तु 1970 में और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले पर पुनर्विचार किया गया और 18,93,969 रु० के नायलन यार्न और धागे/पोलिस्टर रेशे के आयात की अनुमति दे दी गई। वास्तव में 10,21,069 रु० की राशि का उपयोग किया गया। जिन परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ा वे ये थीं कि फर्म ने अफगानिस्तान को माल निर्यात किया था जिनका भुगतान प्रति संतुलनकारी आयातों द्वारा नहीं हुआ था। फर्म के पूर्ववृत्त की आगे संवीक्षा की जा रही है।

तम्बाकू व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन

790. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जनवरी, 1975 को "मैसिव टैक्स इवेजन बाई टुबाकों डीलर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) अन्तर्गस्त व्यापारियों के नाम, पते तथा विवरण क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

रुपये का मूल्य

791. श्री वसन्त साठे : क्या वित्त मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये का आन्तरिक मूल्य निरन्तर घटता जा रहा है और वह 27.6 पैसे से भी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो रुपये के आन्तरिक मूल्य में हो रही गिरावट को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) निरन्तर बढ़ रहे मूल्यों के कारण देश में रुपये की क्रय शक्ति 1949 के मूल्यों के मुकाबले सितम्बर, 1974 म घट कर 24.6 पैसे रह गयी। इसके पश्चात् मूल्यों के स्तर में आय कमी आने के कारण देश में रुपये का मूल्य बढ़ कर 25.3 पैसे हो गया।

इस प्रकार, रुपये के उपर्युक्त मूल्य को आधार मान कर यद्यपि देश में रुपये का मूल्य सम्पूर्ण 1974 वर्ष में, जनवरी–अक्टूबर, 1974 के 27.6 पैसे के मुकाबले 27.2 पैसे था, फिर भी 1974 के अंतिम मासों में इसके मूल्य में वृद्धि होने की प्रवृति दिखाई दे रही है।

देश के अंदर रुपये की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे अल्पकालीन प्रयत्न (क) मांग पर नियंत्रण कर के मुद्रा स्फीति को रोकना (ख) स्मगलिंग और काले धन को रोकने के लिये कारवाई करना, और आम आवश्यक वस्तुओं के अधिक उत्पादन और उपलब्धता की दीर्घकालीन नीतियों को, जिनसे रुपये के क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और तेज किया जा रहा है और रबी फसल की अच्छी संभावनाओं से इसमें और भी सहायता मिल रही है।

रात्रिकालिन विमान सेवाओं की समय सारिणी में परिवर्तन

792. श्री वसन्त साठे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक विमानन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियों से यह मांग की है कि वे अपनी रात्रिकालीन सेवाओं के समय में परिवर्तन करें ताकि बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर रात के समय विमान यातायात कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उक्त कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है और उनके क्या परिणाम निकलें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ उनकी उडानों की समय-सारिणी को परिवर्तित करने के प्रयत्न किए हैं परन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। जब उन्हें अपनी समय-सारिणी में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने इसका काफी विरोध किया। बम्बई तथा दिल्ली विमानक्षेत्रों पर रात्रि में दबाव में कमी करने के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों की समय-सारिणी की पुनर्व्यवस्था करने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के माध्यम से प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा ऋण लिया जाना

793. श्री वरके जार्ज :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर–सरकारी कम्पनियों द्वारा जनता के लिये गए ऋण का उपयोग 'इन्वेंटरीज' बनाने के लिये नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को बैंकों की अपेक्षा जनता से ऋण लेना सस्ता पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कम्पनी द्वारा एकट्ठी की गई जनता को जमाएं उसके नियंत्रण की कुल पूंजी का एक भाग होती है। कम्पनी के नियंत्रण की कुल पूंजी का उपयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, इसलिए यह पृथक् रुप से बताना सम्भव नहीं है कि किसी कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार से जमा की गई पूंजी का किस विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

(ख) और (ग) हाल ही में कम्पनियों द्वारा जनता की जमाओं पर प्रस्तावित व्याज की दरें एक वर्ष की अवधि के लिए 9.5% से 16% के बीच में थीं। दूसरी ओर बैंकों के ऋण की कम से कम व्याज की दर 12.5% है और बड़े ऋणकर्त्ताओं के लिए ऋण पर व्याज को वास्तविक दर 13.5% से 18% के बीच रहती है।

दिल्ली के आसपास एक शुष्क पत्तन के लिए स्थान का चयन

794. श्री वरके जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत की निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली के आसपास एक शुष्क पत्तन स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह स्थान कौनसा है और यह कितना क्षेत्र घेरेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अनुमानतः कितनी राशि खर्च की गई है अथवा खर्च करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने एक स्थल पत्तन की स्थापना को सिद्धान्त रुप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) तथा (ग) योजना आयोग के एक पैनल से कहा गया है कि वह स्थल पत्तन के स्थान के प्रश्न पर विचार करें तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

सिक्योरिटी पेपर मिल, हौशंगाबाद में नैमित्तिक और केन्द्रीय पूल के श्रमिक

795. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल हौशंगाबाद, में नैमित्तिक और केन्द्रीय पूल के श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थायी रुप से सेवा में न खपाये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) : जी हां।

(ख) सिक्योरिटी पेपर मिल में औद्योगिक कर्मचारियों की जितनी संख्या अधिकृत है, केन्द्रीय पूल के श्रमिक उसमें नियमित रूप से आते हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी कूड़ा-करकट, चूने की कीचड़ वगैरह जब इकट्ठी हो जाती तब छुटपुट काम के लिए लगाये जाते हैं। इस किस्म का काम करने के लिए उन्हें नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करना लाभकारी नहीं होगा। फिर भी जब कोई जगह खाली होती है तो नियमित नियुक्ति के लिए उनके बारे में विचार किया जाता है बशर्ते कि उनका काम सन्तोषजनक रहा हो।

जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

796. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में भोपाल, हौशंगाबाद, मेरठ, बम्बई. अमरावती, गाजीपुर और अन्य स्थानों पर जाली करेंसी नोट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या मूल्य है;

(ग) क्या वह कागज, जिस पर ये जाली नोट छापे गये है, सिक्योरिटी पेपर मिल्स, हौशंगाबाद, का उत्पादन है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए उपरदायित्व निश्चित कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अभी हाल में जाली करैंसी नोटों का कोई मामला नहीं पकड़ा गया। अन्तिम मामला जिसकी रिपोर्ट केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो को की गयी थी, बम्बई में नवम्बर, 1974 में पकड़ा गया था।

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान (दिसम्बर, 1974 तक) 98,326 रुपये के मूल्य के जाली करेंसी नोट पुलिस ने छापा मार कर पकड़े और 29,237 रुपये के मूल्य के जाली नोट चलन में से पकड़े गये।

(ग) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उपरोक्त पकड़े गए जाली नोट जिस कागज पर छापे गये है वह सिक्योरिटी पेपर मिल हौशंगाबाद में तैयार किया गया था।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स हौशंगाबाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी

797. श्री नीतिराज सिह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से सिक्योरिटी पेपर मिल हौशंगाबाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने अधिकारी तथा कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिक्योरिटी पेपर मिल को छोड़ने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है; और

(ग) अब तक की गई पदोन्नति की श्रेणीवार प्रतिशतता क्या है और कर्मचारी वर्ग की अपेक्षा अधिकारी वर्ग की पदोन्नतियों की प्रतिशतता अधिक होने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्राशय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	1966–67 वर्ष से सिक्योरिटी पेपर मिल में कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी	गत तीन वर्षों के दौरान सिक्योरिटी पेपर मिल को छोडने वाले व्यक्तियों की संख्या	अब तक की पदोन्नति का प्रतिशत अंश
I . . .	4	—	75 प्रतिशत
II . . .	2	—	50 प्रतिशत
III . . .	71	12	88.73 प्रतिशत
IV . . .	53	2	43.40 प्रतिशत
औद्योगिक कर्मचारी	247	21	95.55 प्रतिशत

उपरोक्त विवरण से यह पता चलेगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल, हौशंगाबाद में औद्योगिक कर्मचारियों के संवर्ग मे पदोन्नति का प्रतिशत अंश अधिकारी-संवर्ग से अधिक है।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद में सुरक्षा की व्यवस्था

798. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात न किये जाने और वहां पृथक सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के क्या कारण है जबकि औद्योगिक सुरक्षा बल अस्तित्व में है; और

(ख) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल के प्रबन्धकों के हस्तक्षेप के कारण वहां औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने का निर्णय बदल दिया गया था अथवा स्थगित कर दिया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात करने की मंजूरी 26 फरवरी, 1974 को जारी की गयी थी। इसे तैनात करने में कुछ देरी हुई है क्योंकि इस दल के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण और उनकी रिहाइश का प्रबन्ध करना था। इस दल के मार्च, 1975 में तैनात कर दिये जाने की सम्भावना है। तब तक सिक्योरिटी पपर मिल के विभागीय पहरा और निगरानी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रबन्धों की देखभाल करना होगा।

(ख) जी, नहीं।

केन्द्रीय सरकार के कर्माचारियों तथा बैंकों, जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी

799. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और बैंकों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा समूचे रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अदा करने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने के बारे में सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) चूंकि तीसरे वेतन आयोग द्वारा उल्लिखित सूचकांक औसत 272 (1960=100) पार हो चुका है, इस लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित महंगाई भत्ता योजना की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में सभी संगत बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि अलग-अलग यूनिटों के मामलों पर संगत बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विचार किया जाता है और उनको तय किया जाता है, तथापि सरकारी क्षेत्र के उद्यगों, बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि पर लागू होने वाली मंहगाई भत्ता योजनाओं पर कोई सामान्य फैसला नहीं किया गया है।

कम्पनियों द्वारा जमा राशियों के अन्य कामों में लगाये जाने के बारे में शिकायतें

800. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-बैंककारी फर्मों द्वारा ली जा सकने वाली जमा राशियों पर प्रतिबन्ध लगाने के रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद, ऐसी कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी और कदाचार की शिकायतों में गत कुछ वर्षों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या ये कम्पनियाँ जमा राशियों की बहुत अधिक राशि आकर्षक शर्तों के अन्तर्गत अन्य कार्यों में लगा रही है जिसे बैंकों और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा काम में लाया जा सकता था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जमा राशियों को सरकारी संस्थाओं में लगाये जाने हेतु आकर्षित करने तथा इन कम्पनियों में निवेश–कर्त्ताओं को कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रहीं है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारत सरकार के पास और रिजर्व बैंक के पास भी इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई है कि कुछ गैर-बैंकिंग कम्पनियां जनता से ली गयी जमाएं और उन पर ब्याज उनकी देय तारीख को अदा नहीं करती हैं। ऐसी शिकायतें भी मिली है कि कुछ गैर-बैंकिंग कम्पनियों ने जमाएं स्वीकार करने के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये आदेशों में विहित सीमाओं से अधिक राशि की जमाएं स्वीकार कर ली हैं।

(ख) इस प्रकार की भी शिकायतें रही है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपने यहां स्वीकृत की गई जमाओं पर ऊंची दरों से ब्याज देने के कारण, बैंकों द्वारा जमाएं इकट्ठी करने के काम पर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) 27 जनवरी, 1975 से रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिग कम्पनियों द्वारा विदेशकों की गैरण्टी पर अप्रत्याधूत ऋणों के रुप में ली जाने वाली और शेयर-धारकों से जमा के रुप में ली जाने जा सकने वाली जमाओं की मात्रा को, उन कम्पनियों की चुकता पूंजी और उनकी मुक्त आरक्षित निधि के जोड़ के 25% से घटाकर 15% कर दिया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने 7 जनवरी, 1975 को जारी हुए एक अध्यादेश द्वारा भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 में संशोधन किये हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ठ के अन्तर्गत, यूनिटों समेत कुछ अनुमोदित निवेशों से 3000 रुपये तक की आय की छूट प्राप्त है। इन संशोधनों में यह व्यवस्था है कि 3000 रुपये की वर्तमान सीमा से आगे, यूनिटों से प्राप्त 2000 रुपये तक की और आय की छूट प्रदान कर दी जाए। इन संशोधनों में यह भी व्यवस्था है कि सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अधीन यूनिटों समेत निवेशों के विषय में छट को जो सोमा निर्धारित है उससे ऊपर, यूनिटों में किये गये 25,000 रु० तक के निवेशों को और छूट प्रदान कर दी जाये। इसके अतिरिक्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये यूनिटों को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत ट्रस्टी प्रतिभूतियां माना जा सकेगा और यूनिटधारक द्वारा नामांकित व्यक्तियों को देय राशियां, कुछ शर्तों पर नामांकित व्यक्तियों में निहित मानी जायेगी।

जहां तक जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा का संबंध है, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जमा संबंधी ये लेनदेन कम्पनियों और जमाकर्ता व्यक्ति-विशेष के बीच करार के रूप में होते हैं और प्रभावित पक्ष को करार भंग के मामलों में किये जा सकने वाले सामान्य उपायों का सहारा लेना होता है। फिर भी, भारतीय रिजर्व अधिनियम, 1934 में, हाल ही में दिसम्बर 1974 में, संशोधन किया गया है ताकि गैर-बैंकिंग कम्पनीयों के जमा स्वीकार करने के कार्यकलापों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण कड़ा किया जा सके। कम्पनी अधिनियम, 1956 में एक नई धारा 58(क) जोड़ कर हाल ही में संशोधन कर दिया गया है ताकि कम्पनियों द्वारा जमाएं मांगने और स्वीकार करने के कार्य को विनियमीत किया जा सके। उक्त अन्तःस्थापित धारा 58(क) और उस धारा के अंतर्गत दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 3 फरवरी, 1975 को जो नियम प्रवर्तित किये है उनके द्वारा जनता से जमाएं आमंत्रित या स्वीकार करने की इछुक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वें एक निर्धारित ढंग से विज्ञपन जारी करें जिसमें उनके प्रबन्ध, वित्तीय स्थति आदि के बारे म निर्धारित सूचना दी गयी हो। इन उपायों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों और कम्पमी अधिनियम, 1956 की धारा 58(क) के अधीन प्रवर्तित नियमों में विहित, कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमा की अधिक मात्रा विषयक प्रतिबन्धों से यह आशा की जाती है कि जमाकर्त्ता के हितों की अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करने में सहायता मिल सकेगी।

श्री. तुलमोहनराम, संसद्-सदस्य के आचरण पर चर्चा के बारे में

RE: DISCUSSION ON CONDUCT OF SHRI. TULMOHAN RAM M. P.

[कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जेल में एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार देने के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देश में कई किस्म की घटनाएं घडती है परन्तु सभी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन जाती। कृपया स्थगन प्रस्ताव को इतना आम न बनाएं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। कई सदस्यों ने नोटिस दिए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : लेकिन ये श्री तुलमोहन राम के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री तुलमोहन राम के बारे में दिए गए नोटिसों का ही उल्लेख कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एक विशेषाधिकार प्रस्ताव गत सत्र से विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन पर विचार किया है और अपने गत विनिर्णय को देखा है। उस विनिर्णय में मैंने स्पष्ट किया था कि जहां तक सदन के विशेषाधिकारों का प्रश्न है, वहां निर्णयाधीन का सिद्धान्त लागू नहीं होता परन्तु विशेषाधिकार का प्रश्न तभी उठाया जाएगा जब उसका सम्बन्ध सभा के कार्य से हो। जहां तक सदस्य के आचरण का सम्बन्ध है, न्यायिक कार्यवाही के चलते हुए भी इस पर चर्चा की जा सकती है। यदि सदन ने इस विषय पर चर्चा करनी है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन चर्चा कैसे की जाए ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जा सकती है परन्तु विशेषाधिकार प्रस्ताव के माध्यम से नहीं, क्यों कि सदन में ऐसा कुछ अवश्य होना चाहिए जिससे विशेषाधिकार का हनन हुआ हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have given a number of notices of Motions. But our difficulty is that if the conduct of a Member is to be discussed in the House, notice of a motion is to be given by the Leader of the House. Now, if the Leader of the House does not give such notice, discussion should take place on the basis of the notices given by us. Now, you might say that it should be settled in the Business Advisory Committee, but how the matter would be decided in case the Government does not accept it ?

Mr. Speaker : So many matters are settled daily.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Yesterday, the matter was raised there. You must have observed that the Government are not prepared for discussion.

Mr. Speaker : My permission is not necessary for a motion in regard to the conduct of a Member.

निर्माण, आवास, तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) खड़े हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके सहयोग से हमने अन्तसत्रावधि तथा गतसत्रावधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कागजातों का अध्ययन किया था और उसके आधार हमने इस आशय का ज्ञापन दिया था कि यह संसदीय जांच का प्रथमदृष्टया मामला है। अब सरकार ने इस पर एतराज किया है। इसलिए यह मामला सदन के समक्ष आना चाहिए . . . **(व्यवधान)**

[श्रीज्योतिमय बसु]

दूसरे, लाइसेन्स के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, उस पर चर्चा से सरकार को सबक लेना चाहिये ताकि ये गड़बड़ी दूर की जा सके। यदि श्री तुलमोहनराम का आचरण ठीक नहीं है तो उन्हें सदन की सदस्यता से हटा देना चाहिए। इस विषय पर कई नोटिस दिए गए है। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर अविलम्ब चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि सारा देश और सदन यह जानने के लिए उत्सुक है .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। मैं आपकी बात नहीं सून रहा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : My submission is based upon your ruling which you gave on the 2nd December. You had said that the Member has allegedly abused his position as a Member of Parliament in sponsoring an application to Government in consideration of money and also by forging the signatures of other Members and that these allegations of bribery and forgery are certainly very serious and unbecoming of a Member of Parliament and he may be held guilty of lowering the dignity of the House. Was it not the duty of the Leader of the House to bring a Motion against Shri Tul Mohan Ram keeping in view the clear ruling given by you ? Should we presume that the Prime Minister is shielding Shri Tul Mohan Ram ?

An. hon. Member : The matter is before the Court (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : Hon. Speaker has clearly stated that the principle of *sub-judice* does not apply to matters of privilege or matters where disciplinary jurisdiction of the House with respect to its own members is concerned.

Hon. Speaker should not treat it like No-day-Yet Named motions. Under Rule 190, he may, in consultation with the Leader of the House, allot a day for the discussion of any such motion. Therefore, my submission is that you give us a chance for debating and deciding the issue.

श्री के० रघुरामैया : दो बातें उठाई गई हैं। जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, आपने विनिर्णय दिया है कि श्री तुलमोहन राम के आचरण पर सदन में चर्चा की जा सकती है और इस पर मामले के निर्णयाधीन होने का सिद्धांत लागू नहीं होता। सदन आपके विनिर्णय को स्वीकार करता है। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं श्री तुलमोहन राम पर धोकाधड़ी का आरोप है और संसद सदस्य होने के नाते उन्हें दोषी पाया गया है और मामले पर न्यायालय में विचार हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस विषय पर चर्चा न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही की जा सकती है।

जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का मामला है, परम्परा यह रही है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया जाता। परम्परा के होते हुए भी हमने नेताओं की तसल्ली के लिए इस मामले पर विचार किया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस पर चर्चा की जाए और जो कुछ गुप्त रखा गया है, उसे यहां प्रकट कर दिया जाएं। प्रतिपक्ष के नेताओं को प्रतिवेदन दिखाने से हमारा अभिप्राय केवल इतना बताना था कि हमने कुछ भी छिपाया नहीं है और विधि, तकनीकी तथा संवैधानिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अब उद्देश पूरा हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने विनिर्णय दिया था कि श्री तुलमोहन राम के आचरण पर चर्चा की जा सकती है और निर्णयाधीन सिद्धान्त इस पर लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार अपनी बात क्यों दोहरा रहे हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Your ruling is that the matter can be discussed and the principle of *sub-judice* does not apply in this matter. But the hon. Minister says that so long as the matter is *sub-judice*, it cannot be discussed in the House.

Now, what is your opinion? Secondly, if the matter is discussed here, Shri Tul Mohan Ram will be in a position to say something in his defence. Should we sit like a silent spectator until the matter is decided by the Court? You may kindly give your decision.

श्री इंद्रजीत गुप्त (अलीपूर) : इस प्रश्न के दो पहलू हैं जिनको एक दूसरे में नहीं मिलाना चाहिए। पहला पहलू तो सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में है जिसके बारे में आपने विनिर्णय दिया है कि मामले पर चर्चा की जा सकती है और सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मंत्री महोदय ने आपके विनिर्णय को गलत नहीं ठहराया बल्कि उन्होंने कहा है कि जब तक मामला न्यायालय में है, तब तक सदन में इस पर चर्चा की जाने का कोई औचित्य नहीं है . . . (**व्यवधान**) मेरे विचार में सदन को चर्चा करने का पूरा अधिकार है क्योंकि सदस्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध हो गया है। इस पर कल या परसों चर्चा हो सकती है। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह हमें उपलब्ध कराना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि आरोप-प्रत्यारोप क्या थे? प्रतिवेदन को पढ़ने से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि इस मामले की संसदीय जांच की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि इस पर चर्चा कि आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहना सदन और जनता के प्रति अन्याय करना है क्योंकि हम हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि हमें कागजात देखने का अवसर मिलना चाहिए। और उसको पढ़ने के बाद हमें अपने विचार संसद में प्रकट करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चर्चा की अनुमति दे दें। हम कागजात से उद्धरण नहीं दे सकते क्योंकि हमें उद्धरण लिखने कि अनुमति नहीं दी गई थी। हमें सीमाओं में रहते हुए इस पर चर्चा करनी होगी। इससे यह लाभ होगा कि भविष्य में लाइसेन्स सम्बन्धी अनियमितताएं कम की जा सकेंगी। चर्चा करना देश और प्रजातन्त्र के हित में है। यदि किसी सदस्य के विचार में इस मामले की संसदीय जांच आवश्यक है तो वह प्रस्ताव पेश कर सकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि इस पर सामान्य चर्चा की अनुमति दी जाए। हमने नियम 193 के अन्तर्गत पहले ही नोटिस दे दिए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत (**पूर्वदिल्ली**) :संसदीय कार्य मंत्री सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। आपने विनिर्णय दिया है कि सदन निश्चित रूप से इस पर चर्चा कर सकता है। मंत्री महोदय ने चर्चा के औचित्य और वांछनीयता के बारे में कहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि चर्चा अभी की जाय या बाद में, जैसा कि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है, चर्चा की अनुमति देने से पूर्व आप इस पहलू पर भी विचार कर लें कि चर्चा के दौरान ऐसी बातें भी कही जाएंगी जो न्यायालय में निर्णयाधीन हैं।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : गत सत्र में श्री वाजपेयी ने एक पत्र का हवाला दिया था जो श्री जगजीत सिंह ने उप-राज्य पाल को लिखा था। और वह यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहते थे। मैंने उस समय इसका विरोध किया था क्योंकि यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि क्या पत्र जगजीत सिंह द्वारा लिखा गया था। राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति ने पाया है कि श्री जगजीत सिंह ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने कोई पत्र लिखा था और इसके बाद चर्चा उठाने वाले माननीय सदस्य यह गवाही देने के लिए नहीं आए कि पत्र श्री जगजीत सिंह ने लिखा था। इसी प्रकार वर्तमान मामले में भी इस बात पर निर्णय लिया जाना है कि क्या श्री तुल मोहन राम ने रिश्वत लेने का अपराध किया है अथवा नहीं। मान लिजीए आज सदन में उनकी भर्त्सना की जाती है और बाद में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं है तो क्या होगा मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा लेकिन मंत्री महोदय की इस बात में बल है कि क्या यह चर्चा वांछनीय है ?

एक माननीय सदस्य : जाली हस्ताक्षरों का क्या होगा ?

श्री एस० ए० शमीम : इस पर न्यायालय निर्णय देगा। मेरा कहना यह है कि हस्ताक्षर जाली न होकर वास्तविक थे। मान लीजिए न्यायालय भी इसी निर्णय पर पहुंचता है तो उस समय सदन को खेद होगा कि उसने निरपराध पर आरोप लगाया। अतः सदन को गम्भीरता से यह निर्णय करना चाहिए कि चर्चा वांछनीय है अथवा नहीं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सत्तारूढ़ दल का रवैया संकीर्ण एवं अदूरदर्शी। आज सारे देश में यह बात फैल गई है कि संसद सदस्य ऐसी गड़बड़ी करते है। इससे संसद सदस्य की प्रतिष्ठा को बट्टा लगा है अगर सदन इसके बारे में चर्चा के लिए सहमत हो जाता तो इससे बचा जा सकता था। यदि अब भी सरकार अपनी बात पर अड़ी रही तो न केवल संसद सदस्यों के सम्मान को चोट पहुंचेगी बल्कि जन-धारणा और भी बलवती हो जाएगी।

कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को पढ़ कर प्रतिपक्षी नेता संतुष्ट हो गए है। बात ऐसी नहीं है। प्रतिवेदन देखने का सदन ने हमें अधिकार दिया था यह प्रश्न बिल्कुल अलग है कि क्या प्रति-वेदन में से उद्धरण दिए जा सकते हैं अथवा नहीं और क्या जांच समिति सदस्यों की नई आचरण संहिता बनाएगी अथवा नहीं और क्या संसद सदस्य लाइसेन्स की सिफारिश कर सकता है अथवा नहीं? प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन देखने के बाद क्या हुआ। प्रत्येक दल के प्रतिनिधि, जिन्हों ने प्रतिवेदन को पढ़ा है, सदन में अपने विचार व्यक्त करें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई।

आपने विनिर्णय दिया है कि निर्णयाधीन मामले के रहते हुए भी इस पर चर्चा की जा सकती है। इसी-लिए चर्चा न करने का कोई कारण नहीं है। यदि इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती तो उन सदस्यों को सदन में बोलना चाहिए जिन्हों ने कहा है कि उनके जाली हस्ताक्षर किए गए। इस मामले पर किसी न किसी रूप म चर्चा करना आवश्यक है। आपने इस बारे में कई प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : दो मामलों को मिलाना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या निर्णयाधीन मामले के रहते हुए उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है। आपने साफ कहा है कि सदन को चर्चा करने का पूरा अधिकार है।

देश के नागरिक को अपने बचाव में कुछ कहने का पूरा अधिकार है। देश के कानून के अनुसार जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए उसे निरपराध माना जाता है। इस प्रकार श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध आरोप लगाना कहां तक न्यायसंगत है जब तक न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे देता? इसीलिए न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा करने में क्या हर्ज है?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : उन्हें दल से तो हटा ही दिया गया है फिर सदन की सदस्यता से भी क्यों नहीं निकाल देते?

श्री वसन्त साठे : इन दोनों में अन्तर है। यदि हम सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, तो यह एक सजा है। लेकिन इस प्रकार सताना कहां तक उचित है? इसीलिए अच्छा होगा कि इस समय इस पर चर्चा न कि जाए?

जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह तय किया गया था कि इसे गुप्त समझा जाएगा लेकिन यदि सदस्य चाहें तो वह व्यक्तिगत रूप से या दलगत रूप से आपको सूचित करें और आपके माध्यम से सदन के नेता को सूचित करें। इसीलिए इस विषय पर आगे चर्चा करके सदन का समय बरबाद न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं वादविवाद की अनुमति नहीं दुंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे न्यायालय में इसीलिए गये ताकि यहां वादविवाद को रोका जा सके। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जायें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह चर्चा तो चाहते है पर अभी नहीं । हम तुरन्त चर्चा की मांग करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फौजदारी मामलों का निर्णय न्यायालय में हो तथा संसद सदस्य के कुव्यवहारों आदि पर चर्चा इस सदन में हो ।

मैं चर्चा में विलम्ब किए जाने का विरोध करता हूं । हम संसद की गरिमा को किसी प्रकार की ठेस बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम,निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : इस मामले ने जो रूप लिया है वह संतोषजनक नहीं है । मैं श्री तुलमोहन राम को पहचानता तक नहीं । मुझे अनुभव है कि किस प्रकार समानान्तर कार्यवाहियो का अनुचित प्रभाव पड़ता है । वैसे जांच आयोग को सिफारिशें करने का ही अधिकार है । परन्तु एक मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस बिना पर रिहा करने से इन्कार कर दिया था कि मामला उच्च स्तरीय आयोग के विचाराधीन है । यदि यह सदन किसी व्यक्ति को दोषी पाता है तो देश का कौनसा न्यायालय इसे बदल सकता है ?

आज देश के समाचार पत्र बुरे उद्देश्य के लिये कार्य कर रहे हैं । क्या देश का कोई न्यायालय कह सकेगा कि इस व्यक्ति की जांच संसद द्वारा की जा रही है, अतएव न्यायालय का कोई भी निर्णय वैध नहीं होगा ? मुझे भय है कि समानान्तर व्यवस्था द्वारा निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा । मैं समझता हूं कि सभा इस विषय पर विचार करे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । जब अध्यक्ष खड़ा होता है तब किसी भी सदस्य के नाम में कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले पर मुझे अवसर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । इस पर निर्णय भी ले लिया गया है । इसमें मैं विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTIONS.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have given notice of an adjournment motion about talks held with Sheikh Abdullah ?

Mr. Speaker : This has been mentioned in President's address. It may be taken up during discussion on that.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : एक विशेषाधिकार का मामला सभा के समक्ष लम्बित है और जिसे आप स्वीकार कर चुके हैं । उसे चर्चा के लिये कब लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उसी समय लेने को बाध्य नहीं हूं जब आप खड़े हो जाये ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि इसे कब लिया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैंने नियम 222 के अधीन गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ओम् मेहता, के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ । जब तक मैं उसे देख नहीं लेता, मैं अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा 20 तारीख का प्रस्ताव आपके पास कैसे नहीं पहुंचा ?

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार अध्यक्ष पीठ के आदेश का अधिलंघन क्यों करते है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had given notice for an adjournment motion.

Mr. Speaker : I have not held it to be in order.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, would the House be kept in the dark ? As per press-reports, Sheikh Abdullah has said that the enactments of Parliament after 1953 can be changed.

Mr. Speaker : The discussion on President's Address is on and you can raise the matter therein.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Had Sheikh Abdullah also kept quiet, the matter would have been otherwise.

It has been stated by Sheikh Abdullah that Jammu and Kashmir Assembly will be dissolved. I want to know who has decided so and was not it necessary to take the House into confidence ?

Mr. Speaker : Please sit down. Order, order. Whatever you want to say in this regard, you may say during discussion on President's Address.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why don't you ask the Government to make a statement in this regard.?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर दो बार चर्चा की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, so long the statement is not made, how the House can impress it opinion on it ? We cannot take a leap in the dark.

Mr. Speaker : How will it continue ? We must move according to some system. Nobody is prepared to abide by the ruling of the Chair.

Shri Atal Bihari Vajpayee : we are prepared to listen to the Chair but you should also realise our difficulty.

Mr. Speaker : What is the need of my occupying this Chair if Members are to speak as they please. ? I say that this was mentioned in the President's Address and we are having a debate on the President's Address.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can We have a debate unless we know what is the agreement ? Sheikh is saying something or the other about the agreement daily. We are reading the same in the newspapers, but Parliament has not been taken into confidence.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. I have given a Calling Attention Motion on this subject and that should be accepted. We will discuss the same after Ministers reply. The House must be given an opportunity to discuss this issue.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Parliament is not being taken into confidence about happenings of Kashmir and to express our resentment for the same, we are walking out from the House. Our submission is that Government should be asked to make a statement in this regard. So that on Monday, we may have proper discussion on President's Address.

[तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee and some others then left the House.]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभापटल पर रखता हूं :

(1) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी कर्मचारी) स्कीम, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 458 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानिय प्राधिकरणों के कर्मचारी) स्कीम, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 459 (ड.) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी) स्कीम, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 460 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 8541/74]

जीवन बीमा निगम ओर औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियां और दायित्व एवं लाभ और हानि लेखे दिखाने वाला एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखें गये । देखिए संख्या एल० टी० 8938/75]

(ग) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 3346 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सां० आ० 3347 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 8939/75]

11—2 LSS/75

(घ) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 63 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8940/75]**

(पूंजीनिर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूंजी निर्गम (सहमति हेतु आवेदन) (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 24 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8941/75]**

(च) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1974 की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में **अधिसूचना** संख्या सां० आ० **717** (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(छ) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० **718** (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 8942/75]

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नोटिस नही देखा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप को शायद सारी डाक नही दिखाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल विलम्ब के बारे में कुछ कहने का अवसर दे दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मद संख्या 2 के अन्तर्गत जो अधिसूचनायें जारी की गई हैं उनका सम्बन्ध सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों की अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप योजनाओं से है और वह सभी 8 नवम्बर 1974 को जारी की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में उन अधिसूचनाओं को सभापटल पर रख कर, हमें इन पर नियमित चर्चा करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया है। इसके बारे में सम्पूर्ण देश में असंतोष है। अनिवार्य जमा योजना का मुद्रा स्फीति पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप इसके गुण दोषों के बारे में कुछ कहने की अपेक्षा केवल विलम्ब के बारे में ही कहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्योंकि अधिसूचनायें देर से सभापटल पर रखी गई है अतः हमें उन पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिल पाया है अतः इन अधिसूचनाओं को वापिस ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विलम्ब के बारे में कोई उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देगें।

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8943/75]**

भारतीय काजू निगम लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8944/75]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमानजी, मैं राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) 'मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा ने अपनी बुधवार, 19 फरवरी 1975 की बैठक में, केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक 1974 के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"कि केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 93वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"'

(दो) 'मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 20 फरवरी 1975 की अपनी बैठक में खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 92 वें सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ा दी जाय।"

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमानजी, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 24 फरवरी 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा।

(2) गुजरात में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी संकल्प पर चर्चा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पहले सूचित किया जा चुका है, वर्ष 1975-76 के लिए सामान्य बजट शुक्रवार, 28 फरवरी, 1975 के मध्याह्न पश्चात 5.00 बजे प्रस्तुत किया जायेगा।

[**कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये**]

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लिया था उन्हें यहां इस विषयपर कुछ कहने की अनुमति नही दी जायगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : किसी के मार्ग में रोड़ा अटकाने तथा किसी दूसरे की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए आडे दिन नियमों में परिवर्तन किया जाता है। खाद्य निगम के 12,000 व्यक्ति हड़ताल पर है और 2,100 बंदी बनाया गया है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने इन्हें बोलने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारतीय खाद्य निगम में गत 25 दिन से हड़ताल चली आ रही है और उसके 12,000 कर्मचारी हड़ताल पर है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार अभी तक उनके साथ समझौता कर पाने में असफल रही है। इतना ही नही उनके 2100 से 2200 कर्मचारीयों को बंदी बना लिया गया है और वह भी आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, परन्तु आगामी सप्ताह की कार्य सूची में इसके बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है।

कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "बंगलादेश" के कार्यालय पर गुंडो ने इस लिए आक्रमण कर दिया क्योंकि उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री की निंदा की गई थी। यह किस प्रकार की प्रैस स्वतन्त्रता है? इसी प्रकार की एक और घटना तीन सप्ताह पूर्व घटी जब बंगाली भाषा के साप्ताहिक पत्र 'दर्पण' पर आक्रमण करके उसमें तोड़फोड़ की गई। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल तथा 'बंगलादेश' व 'दर्पण' नाम की पत्रिकाओं के कार्यालयों पर होने वाले आक्रमणों के बारे में वक्तव्य दें। अन्ततः मैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको केवल एक ही विषय उठाने की अनुमति दी थी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा प्रथम निवेदन यह है कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के बारे में इस सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है और सर्वप्रथम 1966 में प्रशासन सुधार आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। परन्तु चौथी लोकसभा के भंग होने के बाद यह मामला समाप्त हो गया। अगस्त 1971 में सरकार द्वारा पुनः लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लाया गया। अब इस विधेयक का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया गया है परन्तु इसके बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि क्या यह विधेयक इसी वर्ष या सत्र में पारित कर दिया जायेगा। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन दें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जगन्नाथराव चुनाव सुधार समिति का प्रतिवेदन 18 जनवरी 1972 को प्रस्तुत किया गया था। अब आम चुनाव आने वाले है और मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनावों के लिए इस प्रतिवेदन पर सभी दलों को चर्चा करने का अवसर दिया? क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Mr. Speaker, firstly, I want that Education Minister should make a statement about indiscriminate lathi charge on school and college students of Lucknow, Banaras and Allahabad Universities.

Secondly, it has appeared in today's newspapers that the Income-tax Authorities have seized diamonds and jewellery worth 10 crores rupees from the rulers of Jaipur but I want to know whether Income Tax officers will raid the modern princes who are our Ministers? I want that Finance Minister should make a statement in this regard.

श्री समर गुह (कन्टाई) : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि खान अब्दुल गफार खान जो अपनी लोकप्रियता के कारण 'फ्रांण्टीयर गांधी' के नाम से भी जाने जाते है, आजकल लापता है। उनका व्यक्तित्व विश्व विख्यात रहा है और हमारे उपमहाद्वीप में एक स्वतंत्रता सेनानी के नाते वह बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें पाकिस्तान सरकार ने बंदी बना लिया है और अब समाचार आया है कि उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। पठानों तथा पाखतूनों दोनों ने ही मिल कर संयुक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री अब्दुल गफार खान का पता लगाने का हमारी सरकार का नैतिक कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी सरकार इस बात को किसी संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच से उठवाने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है? मंत्री महोदय इसके बारे में वक्तव्य दें।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister towards two matters.

अध्यक्ष महोदय : केवल एक।

Dr. Laxminarain Pandeya : The grades of pay recommended by the University Grants Commission for the college teachers have been accepted by states of Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. The other states have not accepted the recommendations, due to which serious resentment is prevalent among the teachers. The college teachers in almost all the states are planning some stirke. The Education Minister may please make a statement in this regard.

A news item was published in the 'Statesman', about the stoppage of payments of cheques in Northern India due to 'Work to rule' agitation by employees of the Reserve Bank of India. This is causing great hardship to the people. It should be attended to.

As per another news item, a Harijan girl of 16 of Chhatisgarh area was sold for Rs. 8 thousand. The Hon. Minister may please make a statement on it.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सारे देश में कालेजों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । शिक्षा मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतन मान दिये जायेंगे । परन्तु खेद की बात है कि उक्त आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया गया । शिक्षकों में इस बारे में गम्भीर असंतोष है । गुजरात में वे लोग 24 तारीख को धरना एवं राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन करने वाले हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कालेजों के शिक्षकों एवं प्राध्यापकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की हैं । ऐसा करना ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें । मुझे आशा है कि सरकार स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : When I had asked the Minister of Parliamentery Affairs in the last week of November whether Sheikh Abdullah would be installed back in power, he denied it. Now that he is taking over as Prime Minister of Jammu and Kashmir, would Government tell us about the negotiations held witn him. On 19th the Home Minister promised that the House would be apprised of the matter shortly.

When would the Bill on Defection, which was promised last time, and the Bill and also the Bill about the scheduled castes and scheduled tribes be brought ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : दोनों सदनों के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं परन्तु कार्मिक विभाग के मंत्री श्री ओम मेहता के 19-2-75 के प्रश्न संख्या 242 के उत्तर को पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ ।

मेरा प्रश्न अत्यन्त साधारण था, अर्थात वर्तमान नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के हेतु संसद सदस्यों से सम्पर्क करना वर्जित है; (ख) क्या गृह मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रचलित किया गया है, और यदि नहीं, तो नियमों में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर इस प्रकार है :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों को लेकर अपने हितों के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी के ऊपर कोई राजनैतिक अथवा कोई अन्य प्रभाव नहीं डालेगा अथवा डालने का प्रयत्न ही करेगा । अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के नियम 18 में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है ।

(ख) नवम्बर, 1974 में अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों का ध्यान आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया गया है और उन पर जोर दिया गया है कि वे अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर संसद अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के पास न पहूंचे ।

जब बाद में मामला सभा में उठाया गया, और एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया गया तब उन्होंने बताया कि ऐसा कर सकते हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 45,000 राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं । श्रीमती मुकुल बनर्जी के 90% मतदाता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है। मैं समझता हूं कि यह संसद सदस्य के रूप में हमारे अधिकारों का हनन है ।

क्या संसदीय प्रजातन्त्र में कोई सरकारी कर्मचारी हमारे साथ सम्पर्क नहीं कर सकता ? श्रीमान, मंत्री महोदय हंस रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपके इस प्रकार के मामले रखने पर मुझे स्वयं हंसी आ रही है

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देते हुए एक वक्तव्य दें। कल झरिया कोयला क्षेत्र में हमारे तीन कामरेडों की हत्या कर दी गई है। यह हत्या उस स्थल पर हुई ज़हां सरकारी कोयला क्षेत्र है। मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें। क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें पकड़ लिया गया है, कृषि मंत्री भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल की स्थिति पर वक्तव्य दें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतुर) : स्वतंत्रता के 27 वर्ष पश्चात् भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल पाया जोकि उन्हें मिलना चाहिए। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को विकास कार्यों में भाग लेने से वंचित रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री इस दिशा में अपने रवैये को बदलते क्यों नहीं है और इस सम्बन्ध में चर्चा क्यों नहीं कराते? देश में राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दृष्टिकोण में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि इसे कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

दूसरे मैं चाहती हूं कि कृषि मंत्री तमिलनाडु में सूखे और अकाल की स्थिति पर अपना वक्तव्य दें। रामनाद, कोयम्बत्तूर और अन्य कई जिलों के लोग राज्य छोड़ कर जा रहे हैं। पशु पानी की कमी के कारण मर रहे हैं।

अतएव यह आवश्यक है कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं कपास उत्पादकों के लिये कपास के मूल्यों का मामला ही उठाना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने मंत्री महोदय से इसे कार्य सूची में सम्मिलित करने को कहा था। आज स्थिति यह है कि आंध्र और विदर्भ में कपास के मूल्य गिर रहे हैं, बाजार में माल पड़ा है और बाजार में ग्राहक नहीं है।

सरकार अपने को कृषक वर्ग का प्रतिनिधि मानती है परन्तु कपास, जूट, गन्ना उत्पादकों को लाभात्मक मूल्य देने को तैयार नहीं है। यदि सरकार वास्तव में उन्हें सहायता देना चाहती है, तो इसे शीघ्रता से कार्य करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोमवार के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने बैंक आफ बडोदा के चेयरमैन, श्री ठक्कर के विरुद्ध पांच ऐसी कम्पनियों को 44 लाख रुपये का ऋण मंजूर करने जिनमें उनकी लड़की तथा दामाद या तो भागीदार थे या निदेशक थे का मामला उठाया था।

मामले की जांच हुई थी और वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि यह सूचना सही थी और जब बाद में निदेशक मंडल की बैठक हुई तब निदेश मंडल ने अनुभव किया कि चेयरमन ने वित्त मंत्री को गलत जानकारी दी थी। स्थिति को काबू से बाहर जाने देख कर चेयरमैन ने पांचों मामलों को समाप्त कर दिया और हमें पता चला है कि उन्होंने काले धन का 18 लाख रुपया जमा करवा दिया। मैं चाहता हूं कि इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जाये।

मैंने जब पहले मामला उठाया था तब बैंक आफ बड़ोदा कर्मचारी संघ के महा सचिव को निलम्बित कर दिया गया था और संसदीय दबाव के कारण उन्हें बहाल कर दिया गया अब जब कि इस मामले को उठाया जा रहा है तब कर्मचारी संघ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। वित्त मंत्री महोदय इस पूरे मामले पर ध्यान दें।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 20 मार्च. 1975 तक और बढ़ाती हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 20 मार्च, 1975 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना

डा० हेन्री आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा न्यू फ्रेन्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे गये पत्र जिसमें, संसद् पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय 10 मार्च, 1975 तक और बढाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा न्यू फ्रेन्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट श्री जगजीत सिंह द्वारा 7 मई, 1974 को दिल्ली के उप-राज्यपाल को लिखे गये पत्र जिसमें, संसद् पर कथित आक्षेप किये गये हैं, के बारे में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय 10 मार्च, 1975 तक और बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

51 वाँ प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was Adopted.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, Sir, it would have been better if the hon. Minister had replied in regard to item No. 6 of the List of Business for the next week.

निर्माण, और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं सम्बन्धित मंत्री को सदस्यों के विचार निश्चित रूप से बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 45 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till a Quarter to Fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर 48 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fortyeight Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Mid-term poll was an historical and conclusive election through which the people of India have accepted the representation and policies of Shrimati Indira Gandhi and programmes of the Congress party. The people of India have full faith in the democratic, secular and socialist policies of this party. Attempts have been made by the Rightists, reactionary forces, opportunists feudalists and Communal forces to undermine the faith of people. These forces have neither any principle, and, ideals, nor any policy or programmes. They want to create

[Shri Rudra Pratap Singh]

an atmosphere of violance with the help of casteism, religion and capitalism. But they have completely failed in their object. Now they have started a new job-character assassination. I am pained to say that news published in 'Motherland' a few days ago regarding Nehru family was a slur on the face of Indian democracy. The Reactionary forces, in the name of Press freedom publish such sensational news which create atmosphere of violance in the Country. We should take serious note of these incidents.

We want to usher in a classless society. While opting for such society, we should not make distinction between people of urban and rural areas in the matter of land ceiling. I am glad to say that most of the State Governments have complied with the decision taken by the Government in regard to land ceiling. Other states, which have not imposed any land ceiling are making efforts in this direction. While imposing land ceiling in rural areas, we should keep in mind the income earned by the farmer from the land. The quantum of income should be made criterion for imposing land ceiling in rural areas as well as urban area.

We are prepared for meeting the challenge given by reactionaries for show down of strength. I am confident that efforts of these forces to undermine the faith of the people in socialism, democracy and socialism will fail.

The Congress party has full faith in its policies in regard to socialism. The House is aware of the seizure of Gold and diamonds from the palace of Maharaja of Jaipur. We have no personal enmity with them. We are against feudalism and capitalism.

I am fully confident that the period of Indira Gandhi will be remembered as a golden period

With these words I fully support the Motion of Thanks of President's Address.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : A optimistic picture has been drawn of this year in the President's Address. But factual position is quite reverse. A number of Members have stressed the point that situation has deteriorated due to oil crisis and the famine. But in my view that is not the only reason. In 1969, Government raised a slogan of 'Garibi Hatao'. I would like to know how far it has been implemented ?

During Five-year plan period, it was said that standard of living of 30 crore people, who are living below the poverty line, will be improved. But the promise has not been fulfilled.

The targets of Fourth Five-year plan were not achieved and reasons for the same will also not stated. Government do not want to improve its basic errors.

Whenever any movement is launched by the people, the name of Shri Jai Prakash Narain is dragged in. I am personally not in favour of movements but Government should state how they are going to solve the problems.

Prices of essential commodities have gone up by five time in the last twenty years as a result of which there has been erosion of real income. It is unjustified to play blame only on reactionary forces or on those who launch agitations and movements for the redressal of grivances or injustice.

In Narona camp, the Congress party has in its 13-point programme reiterated that land will be allotted to Harijans and down-trodder people. Had they started this programme since 1947, the situation would have been different. Unfortunately, Government did not pay attention in this direction. What an irony of fate ! The labourers who construct sky-scrapping building have no home to live in. Government should give serious thought to the problem. The fact is that Government policies have created not only maldistribution of food but of money supply in the country also.

Mahalanobis Committee was appointed to go into the distribution of enhanced 40 per cent income of the country and the Committee had made certain recommendations. May I know whether a new committee will be appointed to ensure the implementation of the findings of the earliar committee ?

The basic error that has been made by our policy makers is that they have neglected the village and ignored Gandhiji's call of 'back to villages'. We should not forget that 44 percent of National Income comes from villages. Rural electrification programmes have been abandoned due to power shortage in recent days. The housing programmes in the rural areas have not made any remarkable improvement.

The number of unemployed persons is increasing day by day. The main reason for this is that our plan was not formulated in accordance with the needs of the country. No provison was made to solve the problem of unemployment.

There is no próper distribution of industries in the country. Unless industries are decentralised and set up in rural areas, problem cannot be solved.

In 1954, Mr. Nehru had said that after the completion of first Five Year Plan we shall not only be self sufficient in the matter of foodgrains but will also be in a position to export it. But even after 20 years, we are dependant on other countries in the matter of foodgrains.

There is no dearth of natural resources in this country but still 83 per cent of those resources are lying untapped. There is a good deal of unutilised capacity in the various industries. In fertilizer factories 40 percent capacity is lying unutilised. Similarly in Thermal power plants 60 percent capacity is lying unutilised. It is nothing but the failure of the Government.

Government have decided to impose land ceiling of 18 acres. But nothing has been implemented so far.

There is chaos in all fields, because the ruling party has failed to give a correct direction with the result that the growth rate has declined to nil at present.

Changes in the portfolios of the Ministers have become order of the day. What is the utility of changing the portfolios ? There should be discipline at all levels.

Shaikh Abdullah has given a statement that it is for him to accept or not to accept the law enacted by the Parliament. It means that he is defying the authority of Parliament. It is not a question of individual but the real question is can be give him wild power ?

Our President had stated that he will shortly make a statement regarding unitary system of Government. But no statement has so far been made by him.

It is strange that Government has not so far been able to decide the question of medium of instruction and language. Radical changes should be made in the educational system prevalent in the country. Similarly, it is also incumbent upon the ruling party to introduce reforms in the systems of election and democratic functioning. Corruption is rampart in different fields and it is no use shielding the corrupt officials or malpractices adopted by them.

It is the ruling party which is responsible for the present inflation.

U.S.A. had assured India that arms will not be supplied to Pakistan. But we have come to know that they are in the pipe line. America has deceived us several times but it is unfortunate that we have still faith in that country.

The President has stated about Kashmir that we wish the people of Jammu and Kashmir speedy progress as an integral part of the nation. May I know what action has been taken by Government in regard to the one-third portion of Kashmir which has been illegally occupied by Pakistan ?

[Shri Jagnnathrao Joshi]

In the end, I would submit that unless economic discipline is enforced in the country. We cannot expect any change in the present situation.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I welcome the President's Address.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS
50 वां प्रतिवेदन

श्री रामधन (लालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन से, जो 19 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन से, जो 19 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इर्विन और विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली नाम बदलना विधेयक
IRWIN AND WILLINGDON HOSPITALS NEW DELHI RENAMING BILL

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इर्विन और विलिंगडन अस्पतालों, नई दिल्ली के अंग्रेजी नामों को बदलने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इर्विन और विलिंगडन अस्पतालों, नई दिल्ली के अंग्रेजी नामों को बदलने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री राजदेव सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विदेशी धन पर प्रतिबन्ध विधेयक
CURB ON FOREIGN MONEY BILL

श्री राजदेव सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में प्रचार सामग्री के प्रकाशन के लिए और किसी भी शैक्षिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्था या संगठन चलाने के लिए विदेशी धन के प्रयोग तथा आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में प्रचार सामग्री के प्रकाशन के लिए और किसी भी शैक्षिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्था या संगठन चलाने के लिए विदेशी धन के प्रयोग तथा आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राजदेव सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(अष्टम् अनुसूची का संशोधन)

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर (पंजिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली नाट्य प्रदर्शन विधेयक

DELHI DRAMATIC PERFORMANCE BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the better regulation and encouragement of public dramatic performances in the Union Territory of Delhi.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शनों को और अधिक ढंग से विनियमित और प्रोत्साहित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had given notice to introduce Indian Trusteeship Bill . President's assent is necessary in this case. Even after a number of reminders were sent by your secretariat, assent has not been received. I would like to know the reasons for delay.

उपाध्यक्ष महोदय : अपके विधेयक को सूचना 26 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई थी। विधेयक को 30-10-74 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को भेज दिया गया था। 19-11-74 तथा 6-1-75 को उन्हें स्मरण पत्र भेजा गया। 31 जनवरी को फिर उन्हें राष्ट्रपति को सिफारिश की सूचना देने के लिए कहा गया। मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गौर किया जाये क्योंकि कई बार स्मरण-पत्र भी भेजा जा चुका है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether there is any time limit fixed for the Ministry of Law ? In case there is any basic objection, it should be conveyed to us.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला सदन में आ चुका है; अतः इस पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार को शीघ्र ही उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री आर. पी. उलगनम्बी द्वारा 13 दिसम्बर को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री आर० पी० उलगनम्बी (बैल्लोर) : इस संविधान संशोधन विधेयक में निष्पक्ष एवं बहु-सदस्योय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करने के इस उपबंध करने के लिए कहा गया है। विधेयक का उद्देश्य साधारण होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें (1) बहु-सदस्योय निर्वाचन आयोग (2) निर्वाचन आयोग के सदस्यों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही तरीका अपनाए जाने जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और (3) निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया आदि नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति यह है कि सभी चुनावों के लिए, चाहे वह राष्ट्रपति पद के लिए हो अथवा उपराष्ट्रपति या संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिए, मतदाताओं की सूची तैयार करने, उनका निरीक्षण करने, निर्देश देने तथा नियन्त्रण करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास है। अनुच्छेद 2 में यह व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की उतनी संख्या होगी जितनी कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग में अभी तक एक ही निर्वाचन आयुक्त है। मतदाता सूची तैयार करने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्यों, तथा विधान सभा सदस्यों के पद के लिए चुनाव करने हेतु एक ही आयोग है। प्रजातांत्रिक ढांचे में एक ही आयोग को इतने अधिक काम सौंपना वांछनीय नहीं है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य निम्नलिखित हैं:

(1) संसद, विधान सभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का निरीक्षण करना, निदेश देना तथा नियन्त्रण करना;

(2) इन सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना तथा उसे संशोधित करना;

(3) मतदाता सूची को हर समय अद्यतन रखना;

(4) संसद् तथा विधान सभाओं के आकस्मिक रिक्त स्थानों के चुनाव करवाना;

(5) जब किसी संसद् सदस्य या विधान–सभा सदस्य का चुनाव अनुच्छेद 102 तथा 192 के अन्तर्गत दी गई अनर्हताओं के अन्तर्गत आता हो, तो अपनी राय देना;

(6) राज्यों, संघशासित प्रदेशों को मतदाता सूचियों के लिए निदेश देना, नियन्त्रण करना तथा उन्हें तैयार करना;

(7) उपचुनावों के लिए आदेश देना;

(8) राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करना;

(9) चुनाव अधिकारियों को रिपोर्टों का निरीक्षण करना;

(10) राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह देने के बारे में सुनवाई करना;

(11) आम चुनावों की रिपोर्टें तैयार करना ;

(12) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप कतिपय कर्त्तव्यों का पालन करना;

(13) मतदाता सूचियों को तैयार करने, उनका निरीक्षण करने तथा सम्मेलन बुलाने के लिए दौरों पर जाना;

(14) आयोग के संगठनों तथा काया स सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों को देखना ।

इस प्रकार एक ही व्यक्ति इतने काय निस्पक्षता तथा कुशलता से किस प्रकार संभाल सकता है ?

निर्वाचन कानून में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यों को देश के कोने-कोने में फैलाना एवं इस कार्य को शाखाओं में बांटना बहुत आवश्यक है । समिति ने यह भी कहाँ है कि चुनाव-तंत्र ऐसा होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य कर सके तथा यदि सारा कार्य एक ही अधिकारी को सौप दिया जाए तो वह अच्छे ढंग से अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकता । समिति ने यह सिफारिश की कि आयोग को बहु–सदस्यीय बनाया जाए । समिति ने यह भी कहा कि चुनाव अब केवल पांचवर्षीय कार्य नहीं रह गया । अब मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव तथा आकस्मिक चुनाव भी होते हैं, एक ही अधिकारी इतने कार्यों को किस प्रकार कर सकता है ?

संविधान सभा के सदस्य श्री बी० शिवराव ने अपनी पुस्तक 'नोड टू एक्सपेंड द इलेक्शन कमीशन' में भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है । 6 और 7 दिसम्बर, 1969 को एक गोष्ठी म बोलते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं की संख्या 28 करोड़ 50 लाख तक पहुंचे गई । इन मतदाताओं के लिए सूचियां तैयार करना, उनका निरीक्षण कराना; चुनाव कराना और चुनाव से उत्पन्न जटिलताओं को हल करना एक जिम्मेदारी का काम है और एक अधिकारी अकेले इस कार्य को नहीं संभाल सकता ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक है ताकि चुनावों के मामले में राज्य को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके । विधान सभा के चुनावों से सम्बन्धित चुनाव नियमों में संशोधन करने का अधिकार राज्यों को दे देना चाहिए ।

[श्री आर० पी० उलगनम्बी]

यही नही, कई राजनितिक दलों ने भी निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के बारे में सिफारिश की है, । जनसंघ ने 27 जनवरी, 1975 को इस आशय का एक संकल्प पारित किया । उन्होंने यह भी मांग की है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य केवल न्यायाधीश ही होने चाहिए ताकि निर्णय स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हो । चार विरोधी दलों, द्रमुक, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), जनसंघ, कांग्रेस (विपक्ष) ने निर्वाचन आयुक्त की कार्यवाही की निन्दा की है और उन्हें सरकारी एजेन्ट का नाम दिया है । उन्होंने यह आरोप लगाया है कि वह संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित चुनाव सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री और प्रतिपक्षी नेता हों, की सलाहसे राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए ।

संसद् में श्री अटल बिहारी बाजपेयी एवं श्री श्यामनन्दन मिश्र ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें निर्वाचन आयोग के कार्यकरण को बढ़ती हुई शिकायतों पर चिन्ता व्यक्त को गई है और सिफारिश को गई है कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग का विस्तार और पुनर्गठन करना चाहिए । समाचार पत्रों में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं ।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाए जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाया जाता है ।

यह तर्क दिया जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के विस्तार से व्यय में वृद्धि होगी । लेकिन चुनाव की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह व्यय बहुत अधिक नहीं है ।

विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि उच्चतम न्यायालय को भांति निर्वाचन आयोग को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने कार्यकरण को आन्तरिक प्रक्रिया को नियमित करने के लिए नियम बना सके । ये नियम संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अनुरुप होने चाहिए तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने चाहिए ।

चुनाव आयोग के लिए कानून बनाने को शक्ति केवल सरकार के पास ही नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस से उस स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, और यही बात हमारे मित्र श्री शिब्बनलाल जी सक्सेना ने संविधान सभा में और बाद में भी कही है । स्वयं स्वर्गीय डॉ. अम्बेडकर का विचार चुनाव आयोग का मूल अधिकारों में शामिल करने का था परन्तु बाद में इसे संविधान के 25 वें अध्याय में उल्लिखित किया गया ।

मैं चाहता हूं कि यह एक स्थायी आयोग हो जिनमें 4–5 सदस्य हों । आप कह सकते हैं कि अब भी एक और आयुक्त की नियुक्ति को व्यवस्था है, परन्तु यह भी तो राष्ट्रपति या तत्-कालीन सरकार की इच्छा पर ही निर्भर है, और गत 25 वर्ष में यह व्यवस्था नहीं की गई है और न हीं अन्य आयुक्तों का दर्जा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा ।

अन्य देशों में जहां चुनाव हमारे देश के समान इतने विशाल और विषम नहीं है, वहां भी चुनाव आयोगों में अनेक सदस्य होते है और वे निष्पक्ष रूप में कार्य करते हैं ।

खेद है कि जांच के लिए जितने भी आयोग यहां बनाए जाते हैं उनमें केवल एक ही सदस्य होता है जबकि अन्य स्थायी आयोगों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परमाणु शक्ति आयोग संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग आदि में अनेक सदस्य हैं। अतः निर्वाचन आयोग में भी एक से अधिक सदस्य होने चाहियें।

महोदय, मैंने इसी आशय से यह विधेयक पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि इसे पूरी सभा का समर्थन मिलेगा।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (अलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

चुनाव आयोग में सदस्य संख्या में वृद्धि के साथ-साथ और भी अनेक सुधार अपेक्षित हैं। श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य सभी दलों द्वारा जिन सुधारों की मांग की जा रही है उनका कांग्रेस भी विरोध तो नहीं करती परन्तु प्रश्न यह है कि ये सुधार कैसे किए जाएं ? इसके लिए पहले तो चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जिनमें जनता का विश्वास हो और जिसपर बड़े-बड़े पुंजीपतियों और सत्तारूढ़ दल का कोई प्रभाव न हो। हमारे दल के सुझाव के संदर्भ में सरकार का इरादा एक आयोग नियुक्त करने का है।

सब से पहले तो इस आयोग में जनता और मतदाताओं का पूर्ण विश्वास होना चाहिये जो इस समय नहीं है और मुख्य निर्वाचन आयोग श्रीमती गांधी के इशारों पर चल रहे हैं। प्रजातंत्र को बचाने के लिए यह स्थिति बदलनी होगी और इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Sir, I support this measure because today the Election Commission has lost the faith of the people and it has become totally subsurvient to the Government. I, therefore, want that any new legislation governing the constitution of this commission must preclude the reappointment of Chief Election Commissioners after retirement. Secondly, he should not be connected with any political party nor should be nominated by any political Government. If he is to be nominated at all then it should consist of three commissioners, one nominee of the ruling party, the second to be the nominee of the opposition parties and the third to be the nominee of the Supreme Court and he should be the Chairman of such a Commission.

I feel that the main source of strength in those who are agitating for election reforms is the feeling in the electorate that the present election system is faulty and it is reflected therein. It is strange that on the one hand Smt. Gandhi offers to have a dialogue on this issue but when her own partymen ask for opening a dialogue with J.P., She asks "dialogue for what and with whom ?" I, therefore, allege that the ruling party by retaining control over the Election Commission is conspiring to go toward dictatoral system of Government.

Thirdly, the Election Commission should be given some powers. During election ruling party misuses Governmental machinery. The Election Commission should be empowered to confiscate the official means of publicity or propaganda. The best way to achieve it is that election laws should be so ammended that on the day when notification of election is issued the Government, State or union should resign so as to facilitate impartial election. In that case the Governor of the State or Supreme Court judge or the Election Commission members can look after the administration for the time being. Therefore, in the present conditions, it has become essential that this Bill be passed and confidence be created in the public that the malpractices in the present system of election would be eradicated.

श्री बी० के० दासचौधरी (कुच-बिहार) : आज तक हुए सभी आम चुनावों, मध्यावधि चुनावों तथा सैकड़ों उपचुनावों में चुनाव आयोग के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है। और न ही प्रस्तावक महोदय ने इस आयोग के विरूद्ध कोई शिकायत पेश की है।

[श्री बी० के० दासचौधरी]

यदि एक ही व्यक्ति इन 20 वर्षों में समुचित ढंग से चुनाव करा सका है तो फिर मैं नही समझता कि इस आयोग में चार–पांच सदस्य क्यों रख जायें (**व्यवधान**)। शायद विरोधी पक्ष को यह भावना हो कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत वे चुनाव न जीत सकेंगे। 1967 के चुनावों के बाद जब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो निर्वाचन आयोग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हुई। किन्तु 1971 के आम चुनावों तथा कुछ राज्यों में 1972 के चुनावों के पश्चात् विरोधी पक्ष के विचारों में परिवर्तन हो गया। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्हें चुनावों में निराशा ही हाथ लगी थी।

दूसरी बात यह है कि प्रस्तावक ने परमाणु शक्ति आयोग जैसे कई आयोगों का उल्लेख किया है और कहा है कि इन आयोगों में 8, 10 या 12 सदस्य हैं। किन्तु यह उचित नहीं है। हमें तो यह देखना है कि क्या निर्वाचन आयोग अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहा है या नहीं। जब चुनाव आयुक्त अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से अपना कार्य क्षमता पूर्वक कर रहा है तो फिर हम समझते हैं कि इसमें एक से अधिक सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग गत 20 वर्षों से अपना कार्य भली भांति करता आ रहा है।

प्रश्न उठाया गया है कि सेवा निवृत व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। प्रस्तावक महोदय का कथन है कि कार्य–तथा समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रशासन, कार्यपालिका तथा अन्य प्रकार का पर्याप्त अनुभव हो, उसे ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। मेरा सदस्यों से निवेदन है कि चुंकि इस विधेयक में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है अतः इसे वापस ले लिया जाये। (**व्यवधान**)।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। । देशवासी डी० एम० के० की पृथकवादी नीतियों को भली भांति जानती है। इस विधेयक के प्रस्तावक श्री उलगनम्बी भी इस दल के हैं। यह दल हमेशा ही पृथक रहने और स्वायत्तशाली राज्य की मांग करता रहा है। इस विधेयक में भी किसी न किसी रूप में स्वायत्ता की भावना छिपी हुई है।

भारतीय सम्यवादी दल निर्वाचन सुधार कानूनों को लागू करने की मांग कर रहा है और इसकी यह भी मांग है कि निर्वाचन आयोग का कारगर ढंग से पुनर्गठन किया जाये। यह आयोग बहुत सी जटिल समस्याओं को हल करने में एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण संस्था है।

ये लोग प्रतिक्रियावादी हैं तथा चुनावों में उनका कोई विश्वास नहीं है। चुनाव सदैव निपक्ष रूप से होते हैं। 1967 के चुनावों के दौरान कांग्रेस आठ राज्यों में जीती थी। जबलपुर में हाल ही में हुए उपचुनाव तथा हरियाणा विधान सभा के उपचुनाओं में विपक्षी दल के प्रत्याशियों की जीत हुई।

मैं भी समझता हूं कि चुनाव कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। अठारह वर्ष की आयु के प्रत्येक युवक को मताधिकार देने की दृष्टि से चुनाव कानूनों में संशोधन करने हेतु एक व्यापक विधेयक पेश करने की नितान्त आवश्यकता है। लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। लोगों को

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अपना प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे उनका प्रतिनिधि उनका ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकेगा। चुनाव नामांकन पत्र भरने के 15 दिन के भीतर कर दिए जाने चाहिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर समान सुविधाएं आदि दी जानी चाहिए। उन्हें आपने घोषणा पत्रों के प्रचार के लिए रेडियो, टेलीवीजन, समाचार पत्रों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे इनक माध्यम से जनता को अपनी विचारधारा से अवगत करा सकें। केवल चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी ही मतदाता को मतदान करने के लिए अपना वाहन दे सकता है। अन्य किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति तथा मंत्रियों को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिये। इसके लिये कानूनी तौर पर व्यवस्था कर दी जानी चाहिये।

निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और वह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाओं का सम्मान भी नहीं करता। तमिलनाडु के सभी लोक सभा के सदस्यों तथा तमिलनाडु विधान सभा के सदस्यों की मांग है कि तमिलनाडु में लोक सभा के स्थान उनचालीससे बढाकर 40 कर लिए जायें किन्तु निर्वाचन आयोग ने यह मांग स्वीकार नहीं की है। यह रवैया बदला जाना चाहिए। अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से इसका समाधान नहीं होगा। दिए गए सुझावों के आधार पर चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Five general elections have been held in the country since independence, and even the opposition parties would agree that the Election Commission conducted these elections fairly and these elections were free from any kind of influence. The Election Commission has already got a large paraphernelia and there should be some basis for the demand for increasing the number of Election Commissioners. The need of the hour is that serious thought be given to the difficulties that had to be faced during the process of election such as the question of code of conduct, mal-practices, character assassination etc. The election commission is as autonomous as the Auditor General. The verdict of the electorate is final and people give their verdict after serious thought and deliberation. After the 1971 elections some members said that the ballot papers used in the election was imported from Soviet Union and some chemicals were there in the ballot papers (*interruption*).

I don't think there is any propriety in bringing this Bill.

In the perspective of last five elections, we have to think of evolving a code of conduct for elections. We will support any bill if it is brought here to achieve this object. Similarly, a provision has also to be made to reduce the election expenses and also the period of canvassing prior to elections. Elections should take minimum time and if possible, they should be over within 18 days. It should also be provided that only recognised political parties will be allowed to set up their candidates and the political parties should be recognised on the basis of number of votes obtained by them in the previous elections. The existing multi-party system has only confused the voter. It would be a golden day in our democracy when there will be only two parties a ruling party and the opposition party.

Electoral reforms should also be introduced with a view to reducing the election expenses. The Election Commission can arrange for distribution of a single printed list containing the names of all candidates and their parties. This will reduce the election expenditure. As regards imposing restrictions on the use of motor vehicles and jeeps in elections, the Election Commission should think over the matter seriously.

The Election Commission deserves all praise and congratulations for their performance in holding last five elections in a fair, independent and impartial manner.

However, I oppose the appointment of more than one election commissioner and also oppose to this bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The scope of discussion in regard to this Bill is very limited. Here we are only concerned with this question that the Election Commission should be a single-member or multi-member body. The intention of framers of our constitution was that it should have more than one member. That is why it is provided in the consitution, that "the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners as the President may from time to time fix". Since the Government have not so far thought it necessary to appoint more than one commissioner, Shri Ulaganambi has brought forward this Bill.

The House will recall that a joint select committee had been appointed to go into the question of amending the Election law. That Committee had made some unanimous recommendations. One of the suggestions is that the Election Commission should be multi-member body. We had hoped that a Bill will be brought forward to implement these recommendations. But this has not been done. Now there is again a talk of amending the Election laws. But the Government should first state as to what is their view in regard to the recommendations of the joint select committee.

It is not enough that the Election Commission is impartiali it; should also appear to be so. Impartial and free election is the foundation of democracy. Unfortunately the Election Commission is not acting in that manner. For example recently they have changed the time table which has been chalked out for the preparation of new electoral rolls. This has been done at the instance of the Government who want to hold mid-term elections. This is very objectionable. If the commission acts in this manner people will question its impartiality.

It is a wrong practice to appoint retired civil servants as Chief Election Commissioner. Similarly it is also wrong to appoint a retiring chief Election Commissioner to any other post. There is no dearth of experienced persons in the country.

At present the Chief Election Commissioner and other Commissioners are appointed by the President in consultation with the Home Ministry, which functions according to the conditions of the party in power. This mode of appointment should be changed. The Chief Justice of the Supreme Court and a representative of the opposition parties should also be consulted in this regard.

So far as the question of appointing more than one commissioner is concerned, it is good even for the Chief Election Commissioner that he has some assistants to share his burden.

At present the State Electoral officers are appointed by the State Governments. It is not proper. Those officers should be quite independent. So their appointment and conditions of service should be determined by the Chief Election Commissioner. There should be a separate cadre for this purpose.

I would like the ruling party to take this Bill seriously. The Joint Select Committee has already given recommendations. It would be better if the hon. Minister goes through the report and then gives a reply.

Shri M. C. Daga (Pali) : It is not proper to malign the independent body like the Election Commission. There is a provision in our constitution that Appeals can be made in the High Court against the election of the President and the Vice-President. Therefore there is no purpose in criticising Election Commission. It would have been better if the opposition parties had brought some amendments. There is already provision in our constitution which says that the Election Commission shall be in dependent of the executive control in as much as members of the Election Commission shall not be removed by the President except in the recommendation of the Chief Election Commissioner. Therefore, it is evident that Election Commission is an independent body.

It has been alleged that the Election Commissioner does not perform his duties properly. But it has not been stated in the statement of objects and reasons of theBill.

It is completely independent body and you can challenge its decision before the High Court or before the Supreme Court. Therefore, it is not proper to criticise this independent body. This Bill does not reserve the purpose of election.

I would appear to Shri Uladnambi to withdraw the Bill. It is better if amendments are moved stating the functions of Elections Commissioner.

Mr. Chairman : Two hours have been allotted for the Bill. If the House agrees time can be extended.

Shri Hukam Chand Kachwa (Morena) : Time may be extended by one hour.

Mr. Chairman : Time is extended by one hour.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेसी सदस्य इसको राजनीतिक पुट देना चाहते हैं।

श्री रामसहाय पांडे तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि यदि निर्वाचन आयोग पक्षपात करता तो शायद इनमें से कुछ सदस्य चुनकर न आये होते। यह बात संगत नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि चुनाव कार्यों में कमियां होते हुए भी, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग के होते हुए भी, हम जनता के सहयोग से चुनकर यहां आए हैं। हमें इस मामले को राजनीतिक पुट नहीं देना चाहिए।

हर पांच वर्ष अथवा निर्धारित अवधि के बाद चुनाव होता है। यदि निर्वाचन आयोग का कार्यकरण इसी प्रकार चलता रहा तो मुझे आशंका है कि आगामी चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं होंगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य ने विधेयक पेश किया है।

कुछ समय पूर्व श्री जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मैं भी इस समिति का सदस्य था। समिति ने अपनी अन्तरिम सिफारिशें दे दी हैं और प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित होगा। मैं यह तो नहीं कहता कि प्रतिवेदन में सभी सत्य वर्णित किए गए हैं फिर भी हमें आशा है कि यह प्रतिवेदन जन चर्चा का आधार होगा।

चुनाव कार्यों में सुधार लाने का एक ही तरीका है और वह यह है कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हैं।

गत कुछ वर्षों से लोगों की यह धारणा बन गई है कि चुनाव कार्य उस प्रकार नहीं हो रहे जिस प्रकार होने चाहिए और निर्वाचन आयोग उस प्रकार कार्य नहीं कर रहा जिस प्रकार उसे करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सही दिशा में पहला कदम है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस विधेयक से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा फिर भी हम निर्वाचन आयोग को संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनरूप बना सकेंगे।

संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि निर्वाचन आयोग को बहु सदस्यीय निकाय बनाया जाएगा एवं मूख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। गत 25 वर्षों में सत्तारूढ़ कांग्रेसने निर्वाचन आयोग का विस्तार करना उचित नहीं समझा क्योंकि उनके विचार में राजनीतिक दृष्टि से एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग उनके लिए लाभदायक था, क्योंकि उस पर दबाव डाला जा सकता है और सत्तारूढ दल की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे ढाला जा सकता है।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि निर्वाचन आयुक्त योग्य या सक्षम व्यक्ति नहीं थे फ़िर भी देखने से पता चलता है कि ये सभी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। जो अधिकारी कई वर्षों से सरकारी आदेशों का पालन करता रहा हो उससे हम एकदम आशा कैसे कर सकते हैं कि वह निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा।

इसलिए समय है कि हम निर्वाचन आयोग को बहु सदस्यीय बनाएं ताकि लोगों में चुनाव के प्रति विश्वास को कायम किया जा सके। हमें यह मानना होगा कि यह विधेयक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है।

निर्वाचन आयोग मे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए यही एक उपाय है।

कुछ समय पूर्व मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का निर्णय करने हेतु निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य अधिकारी आए थे। मैंने उनसे पूछा कि परिसीमन प्रस्ताव कौन देता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग प्रस्ताव करता है। लेकिन किस आधार पर ऐसा किया जाता है? मेरा अनुभव यह रहा है कि सत्तारूढ़ दल अपने हित को ध्यान में रखकर परिसीमन कार्य करता है। परिसीमन का आधार सही नहीं है। सरकार ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है तथा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। परिसीमन भौगोलिक, व्यवसायिक अथवा अन्य कारणों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे आधार नहीं माना। यदि आयोग बहु-सदस्यीय होगा तो चुनाव कार्य निष्पक्ष, न्यायपूर्व एवं स्वतन्त्र होंगे।

मतदाता सूचियां तैयार करने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अलग-अलग समय पर कई ऐसे वक्तव्य दिए है जिनके पीछे कोई तर्क नहीं है। मतदाता सूचियां तेजी से तैयार की जा रही हैं। क्या उन्हे ऐसा करने के लिए कहा गया है? गुजरात मे कई 21 वर्षीय युवकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। बाद म मैंने इनका नाम लिखवाया। लेकिन यह कार्य मेरा नहीं, निर्वाचन आयोग का है।

हमारा उद्देश्य चुनाव कार्यों को ऐसा बनाना है ताकि आम जनता के मन में यह धारणा उत्पन्न न हो जाए कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है अथवा उन्हे उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह मतदाताओं को पूरी सुविधाएं दे।

मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि निर्वाचन आयोग ने गत 25 वर्षों में ऐसा कार्य किया है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। फिर भी मैं चाहता हूं कि स्थिति में और सुधार हो। इसी कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : प्रस्तावक ने दों मुख्य तर्क दिए हैं। पहला तो यह कि निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है और इसीलिए यह सम्भावना रहती है कि सरकार उस पर दबाव डाले।

दूसरा तर्क उन्होंने यह दिया है कि लोगों को कई बार न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि आयुक्त को अपने आप ही निर्णय लेना पड़ता है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे विरोध का यह कारण नहीं है कि वर्तमान निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट दल या सरकार के लिये ही उपयुक्त है।

यदि भारतीय संविधान के मूलभूत उद्देश्यों का और संविधान की आत्मा को बनाये रखना है तो जनता की इछाओं की अभिव्यक्ति जनतांत्रिक संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए जिससे जनता यह अनुभव कर सके कि वह देश के महान आन्दोलन मे, एवं राष्ट्र के विकास में भाग ले रही है।

मुख्य तौर पर ब्रिटिश तथा गौण रूप से विश्व के अन्य संविधानों का अनुसरण करते हमारे संविधान में कुछ प्रतीकात्मक निकाय हैं तथा कुछ ग्रुपों, समुदायों की मान्य संस्थाएं हैं।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद, न्यायापालिका और निर्वाचन आयोग ऐसी मुख्य संस्थाएं हैं निके माध्यम से प्रजातन्त्र कार्य करता है। देश में एक नारा चल रहा है की सद को सर्वोच्च सत्ता संपन्न बना दिया जाये।

निर्वाचन प्रणाली मे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच अधिकार दिये गये हैं और इसलिए टे की सम्भावना रहती ही है। इसलिए, बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पर र दिया गया है।

संविधान के अनुछेद 324 में व्यवस्था है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त गा। तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्तियां समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा । जायेंगी। इस संबन्ध में संसद द्वारा निर्मित नियम राष्ट्रपति द्वारा लागू किये जायेंगे।

संसदीय लोकतन्त्र चलाना और इतने बड़े देश में चुनाव कराना एक व्यक्ति के लिए सम्भव सा हो जाता है और संविधान के उपबन्धों के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को युक्त करने वाले अधिकारी द्वारा नियूक्त अन्य सहायकों की सहायता और उनके मार्गदर्शन और सलाह के बिना वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता।

कहा गया है कि यदि निर्वाचन आयोग में एकाधिकार आयोग की तरह तीन अथवा चार और सदस्य हों तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकेगा।

संविधान और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने वाले अधिकारी अपनी भारत के राष्ट्रपति का यह आशय सही नहीं हो सकता कि वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो मनमाने ढंग से कार्य करे।

देश में कुछ ऐसे पद हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियंत्रक एवं महलेखा-परीक्षक के पद जिन पर विश्वास किया जाता है। जब राष्ट्रपति तथा ऐस उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में ही सन्देह हो ....

श्री आर० पी० उगलनम्बी : राष्ट्रपती का निर्वाचन होता है जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हम राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अंतर्गत करने एवं उसमें निहित उत्तरदायित्व निभाने के लिए करते हैं।

सुझाव दिया गया है कि निर्वाचन आयोग में विपक्ष के एक सदस्य को तथा सत्ताधारी दल के एक सदस्य की तथा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का स्थान दिया जाये। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राजनीतिक आधार पर नहीं की जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि यदि निर्वाचन आयुक्त वफादार नौकर शाही से लिया जाता है तो उससे निष्पक्ष निर्णय की आशा नहीं हो सकती। हमारे जैसे विशाल देश में हमें किसी व्यक्ति पर तो निर्भर करना ही होता है, और ऐसे तरीके या मानदण्ड लागू किये जाते हैं जिसे कुछ एक लोग चाह पसन्द नही करते।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

निर्वाचन आयोग के तीन मुख्य कार्य हैं। प्रथम, निर्वाचन सूचियों का तैयार करना जोंकि जन गणना के आधार पर तैयार की जाती है। इन सूचियों की सही होने का उत्तरदायित्व केवल निर्वाचन आयुक्त का ही नहीं अपितु देश के 55 करोड़ नागरिकों का भी है।

आयोग का दुसरा कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करवाना। यह कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के, प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

तीसरा कार्य निर्वाचन कराना है। निर्वाचन कानुन के अंतर्गत मामला न्यायालय में ले जाया जा सकता है। कई मामलों में हमारे दल की तथा अन्यों मामलों में अन्य दलों की हार हुई है। इस संकट के समय ऐसी संस्था के मुख्य अधिकारी पर संदेह करना हमारे लिये उचित नहीं है। उसने देश में लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिये बुद्धिमतापूर्ण कार्य किया है।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : सभापति महोदय, इस विधेयक के बारे में ...

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 फरवरी, 1975/5 फाल्गुन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 24th February, 1975/Phalguna 5, 1896 (*Saka*).

GIPN—S9—2 LSS/75—31-5-75—423